छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026
(फाल्गुन 07, शक सम्वत् 1947)

[अंक 04]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए.)

श्री भूपेश बघेल :- मतलब, आज सभापति जी का कोई प्रश्न नहीं लगा है ।

सभापति महोदय :- श्री भूपेश बघेल जी।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

राज्य में कस्टोडियल डेथ, जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण

(जेल)

1. ("क्र. 583) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जनवरी, 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य की केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक मृत्यु (Custodial Deaths) हुई है ? क्या इन सभी प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न्यायिक जांच पूर्ण कर ली गई है ? (ख) राज्य की जेलों की वर्तमान क्षमता के विरुद्ध कैदियों की संख्या 150% से अधिक होने का क्या कारण है ? (ग) क्या पिछले एक वर्ष (जनवरी, 2025 से 31.01.2026 तक) में राज्य में हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की वृद्धि हुई है ? (घ) राज्य में पिछले 12 महीनों में पुलिस द्वारा पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में राज्य की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में कुल 66 बंदियों की मृत्यु (Custodial Deaths) हुई है। उक्त बंदियों के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 18 प्रकरणों में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा 48 प्रकरणों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जनवरी, 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु (Custodial Deaths) हुई है ? प्रश्न ''क'' के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 66 बंदियों की मृत्यु हुई है । सभापति जी, इसमें मृतकों के नाम की सूची नहीं है । आपने संख्या तो बता दी है कि 66 बंदियों की मृत्यु हुई है । ये 66 बंदी कौन-कौन हैं, किस-किस जेल में हैं, यदि उसकी जानकारी आपके पास हो तो कृपा करके बताएं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न ही यही था कि इस कालखण्ड में जनवरी, 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक मतलब (Custodial Deaths) हुई है । इसको अस्वाभाविक न कहें, Custodial Deaths हुई है । उसके आधार पर कुल संख्या बता दी गई है । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि नाम की सूची प्राप्त की जाये तो वर्तमान में मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल उनको सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है सभापति महोदय । मुझे वह लिस्ट दे देंगे, लेकिन दो बंदियों के बारे में जो आप भी जानते होंगे । क्योंकि कवर्धा जेल में जिसकी मृत्यु हुई है पंकज साहू, चूंकि वह आपके ही विधान सभा क्षेत्र के हैं । क्या इन 66 लोगों में उसका नाम है ? दूसरा, जीवन ठाकुर जो कांकेर जेल में बंद थे, उसकी मृत्यु रायपुर में हुई । इसके बारे में जानकारी है तो कृपा करके बता दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 66 बंदियों में से पंकज साहू जिनका कवर्धा वाला विषय था, जिसका आपने नाम बताया । वह नाम नहीं है क्योंकि वह काल अवधि के बाहर के हैं । जनवरी, 2025 से बाहर के हैं, उससे पहले के हैं । दूसरा, जो नाम आपने स्वर्गीय श्री जीवन ठाकुर जी का बताया । वह नाम जरूर इस सूची में है और इस सूची में उनका नाम है तो उनका डिटेल भी जैसा आपने पूछा है तो संक्षिप्त में मैं आपके सामने मैं रख देता हूं । वह कांकेर के जेल में थे और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से कोर्ट में बात रखकर उनके व्यवहार आदि के विषय के कारण कोर्ट से आदेश ले करके रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया । रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहां हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई और उस

मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डी.जे. को सूचित करेंगे, डी.जे. किसी को जांच का कार्य सौपेंगे और फिर जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी । यह प्रक्रिया भी समयपूर्वक की गई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, `वे आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे और उसे फर्जी केस में फॅसाया गया। कांकेर जेल में उसे निरूद्ध किया गया । मैं क्षमा चाहूंगा निरूद्ध तो थानेदार करते हैं, उसे जेल में डाला गया । उसके साथ-साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया । चूंकि वे शुगर से पीड़ित थे, उनको समय पर दवाई उपलब्ध नहीं होती थी और वहां के जेल अधीक्षक की बहुत सारी शिकायतें हुईं कि उनसे मिलने नहीं देते, ईलाज नहीं कराने देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने की, आदिवासी समाज ने चक्काजाम भी किया, पूरे बस्तर में चक्का जाम किया और इसकी जांच की मांग की गई थी। क्या इसमें जांच की गई ? समाज ने जो मांग किया था, उसके आधार पर आपके विभाग ने जांच किया ? यदि जांच किया गया तो क्या पाया गया ? उसमें किसको दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय, वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी चिंता को भलीभांति स्वीकार करता हूं, उनकी चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। जो प्रकरण दर्ज हुआ था, वह फर्जी प्रकरण था, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जो प्रकरण दर्ज हुआ था, उस पर जांच प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार-पत्र, आदि बनाने का पूर्ण प्रमाण है। उन प्रमाणों के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के बाद उसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, वे अकेले नहीं थे। उस पूरी गिरफ्तारी के उपरान्त उनके साथ विशेष घटना हुई, वह मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि ध्यान पूर्वक इस विषय को सुने और इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, उनको 12 अक्टूबर, 2025 को कांकेर जेल में लाया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया इनको शुगर की परेशानी थी। यह बिलकुल सही है। 12 अक्टूबर, 25 को कांकेर जेल में लाया गया था। 13 अक्टूबर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025 तक इनकी तबीयत के कारण इनको कांकेर के मेडिकल कालेज एवं कांकेर के अस्पताल में भर्ती

कराया गया था। जब वह वहां भर्ती थे तब परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे। वे साथ भी रहे। यह कोई बात नहीं थी। दोबारा फिर से वापस जेल में रखा गया। जेल ले जाने के बाद फिर से 26 अक्टूबर, 2025 से 03 नवम्बर 2025 तक कांकेर के अस्पताल में रहे। तब भी उनके परिजन आते रहे और उनसे मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर मिलते रहे। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया वह एक नेता भी थे। उस नाते उनका अनेक लोगों से परिचय था और परिचय के नाते उनसे मुलाकात होती रही। किसी मुलाकात को नहीं रोका गया। उनसे सारी मुलाकातें होती रहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था, उसके सन्दर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से यह कहा कि यह सहयोग नहीं करते हैं। एक और बड़ा मसला है, जिसको कहना चाहता हूं। जेल के डाक्टर ने उनको बार-बार कहा, उनको बार-बार कहा जाता है कि भोजन करें, बार-बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परन्तु वे परहेज नहीं करते हैं। जेल के अधीक्षक ने कहा कि वह चाहता है कि उसका शुगर बढ़ा जाये, ऐसी कोशिश में वह बार-बार दूसरे लोगों से ऐसी कोई सामग्रियां, जिनसे शुगर बढ़ती हो, उसका उपभोग कर ले रहे हैं। यह मुझसे नहीं कहा, यह कोर्ट में कहा। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी स्थितियां बनीं हैं, जिसके कारण वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह उनका शुगर बढ़ गया है, ऐसा बताकर या तो अस्पताल में जाना चाहते हैं या अन्य अपने प्रयास में लगे होंगे, ऐसा कहकर ज्युडिश्यल मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनका स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो कहा गया है, वह कर दिया जाये, तब उनको रायपुर लाया गया। ना तो परिवार जनों को मिलने से ना अन्य गणमान्य लोगों के मिलने से रोका गया, ना ही उनके सन्दर्भ में उनके चिकित्सा के सन्दर्भ में कोई कोताही बरती गई है। जब भी उनको अस्पताल में भर्ती कराना रहा, भर्ती कराया गया। स्थानीय अस्पताल में लोग जाकर उनको देखते थे। डाक्टर जाकर देखते हैं, डाक्टरों ने जाकर देखा, परीक्षण किया उचित दवाईयां दीं। परन्तु वह व्यक्तिगत तौर पर बार-बार कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कोर्ट में कही है, उसके आधार पर रायपुर लाया गया। रायपुर में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वह दुर्घटना हो गई।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत हिसाब से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। उन्होंने यह कहा कि वह मरीज..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, कितना भी अच्छा उत्तर दें, इसमें तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। जो आपने पूछा है और आखिरी क्या करेंगे, यह भी तय है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं, आप जो कहेंगे, वह कर लेंगे।

श्री विक्रम मण्डावी :- यह आपको कैसे पता चलता है ?

श्री राम कुमार यादव :- यह ब्रम्हज्ञानी हैं, ब्रम्हज्ञानी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग पहले से सोचकर रखते हैं, हम लोगों को जवाब नहीं देना है।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, बहुत गंभीर मामला है, किसी की मृत्यु का मामला है। कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध बंद था और उसकी मृत्यु हुई। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह शुगर बढ़ाना चाहते थे। ऐसा कोई मरीज मिलेगा, जो अपना शुगर बढ़ाए? उसे क्या फायदा मिलेगा? पढ़ा-लिखा आदमी था, जनपद अध्यक्ष रहा है, समाज के बड़े जिम्मेदार पद में रहे हैं। वह आदमी ऐसा क्यों करेगा? दूसरी बात मैं उसी को पूछ लेता हूं कि सबसे अच्छा घर में देखभाल कौन कर सकता है? अब इसे संयोग कहिए, चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए जो भी है, उसका लड़का भी जेल में था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दोनों एक ही बैरक में थे? उसके बाद उसको अलग कर दिया गया? क्योंकि बेटा ही शुगर पेशेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है । लेकिन उसको अलग कर दिया गया और दूसरी बात बोल दूं कि किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। श्रीमती अनिला भेंडिया जी बैठी हैं, सावित्री जी हैं, सब विधायक लोग हैं, जेल अधीक्षक से रिक्वेस्ट कर डाले मेरे पास ये प्रतिवेदन है। जीवन ठाकुर के लड़के से मिलना है, ये इन विधायकों से नहीं मिलने दिया गया। सभापति महोदय, ये विधायक वरिष्ठ मंत्री उनके बेटे से नहीं मिल पाईं । आपकी जेल की व्यवस्था क्या है, इससे पता चलता है। जब विधायक को नहीं मिलने दिया गया तो फिर बचत लोगों के मिलने का कहां सवाल है? तो सवाल इस बात का है कि बाप-बेटा दोनों एक ही बैरक में थे या अलग-अलग थे? और इलाज की क्या व्यवस्था की गई?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सर्वप्रथम यह कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वे शुगर बढ़ाना चाहते थे। ये दस्तावेज कह रहा है, ये दस्तावेजी प्रमाण कह रहा है, वह डॉक्टर का..।.

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आपको इसमें विश्वास हो रहा है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिये । वह डॉक्टर का लिखा हुआ है, डॉक्टर ने यह कहा है कि वे ऐसा कर रहे हैं। बार-बार कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, ये उस दुर्घटना उनकी मृत्यु के पूर्व का विषय है। किसी को यह नहीं मालूम था कि इसमें यह होने वाला है, उसके पूर्व ये कहा गया है और दूसरी बात और फिर आपसे कहूं माननीय सभापति महोदय कि यह भी निर्णय है कि जेल के अधीक्षक ने जाकर न्यायालय में कहा, न्यायालय ने बयान लिए, न सिर्फ उनके बयान लिए, उनके साथ के बैरक में रहने वाले अन्य बंदियों के भी बयान लिए और उन बयानों के आधार पर इस बात का निर्णय किया कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। उनका एक ही बेटा नहीं है माननीय सभापति महोदय, उनका दूसरा बेटा भी है। दूसरा बेटा घर में था और जब वे अस्पताल में थे तब उनके साथ मिलने आया करते थे। घर-परिवार वाले सब मिलने आया करते थे। एक बेटा जो जेल में था, उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वह जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल वे साथ में एक बैरक में थे अथवा नहीं थे, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि इस मृत्यु पर लोगों की शंका है, जेल अधीक्षक का जो व्यवहार है, उससे पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत किए हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या विधान सभा की समिति से इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, एक आदिवासी नेता की मृत्यु हुई है। इसकी जांच की घोषणा करेंगे क्या?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बार-बार नेता-नेता ये विषय आ रहा है, तो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है तो भी उतना ही महत्व का है, कोई नेता है तो भी उतना ही महत्व का है। कोई नेता हो गया तो उसके लिए विशेष प्रावधान के साथ विशेष कवायदें की जाएं, मैं सोचता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है और जिस पर पहले ही मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हों, मैं सोचता हूं कि इसमें और किसी बात के लिए और किसी जांच की बात नहीं है। वैसे भी इसमें दो जांच और भी पहले हुए हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, सर्व आदिवासी समाज से जिला अध्यक्ष थे, आदिवासी समाज से जुड़े हुए थे।

श्री विजय शर्मा :- एक मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य जी, हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा ही होता है । कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्या जो अपराध किया है और किसी समाज का न हो? हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है। माननीय सभापति

महोदय, जेल में जो घटनाएं होती हैं जैसे कि 2021 में 71 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई, 2022 में 90 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई, 2023 में 57 लोगों की हुई, 2024 में 67 लोगों की हुई, सबका मजिस्ट्रियल जांच होता है, मजिस्ट्रेट जांच करते हैं । मैं सोचता हूं कि वह पर्याप्त है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चलिए इस मामले में तो अभी और आप लोग पूछेंगे। चूंकि आपने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि पंकज साहू की मृत्यु हुई है और उसकी जानकारी आपको है, चूंकि आपके विधान सभा का है, आप डेड बॉडी पहुंचाने भी गए थे मंत्री जी। तो क्या उसकी जांच हुई और उस जांच में क्या पाया गया?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्नावधि है, यह उससे पृथक विषय है। मैं स्वयं भी इस विषय पर चिंतित रहता हूं, परंतु तुरंत में ही इसको कहना मुश्किल है।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्री भूपेश बघेल :- सर, एक मिनट। मेरा तो प्रश्नांश 'क' का ही प्रश्न हुआ है।

सभापति महोदय :- 15 मिनट हो गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी लंबा उत्तर दे रहे हैं तो मैं क्या करूं?

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, इस प्रश्न को 15 मिनट हो गये हैं। यदि प्रश्नकाल में ऐसा चलेगा तो कैसे संभव होगा? आप अंतिम प्रश्न कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, मैं बिल्कुल करता हूं। मेरे प्रश्न के प्रश्नांश 'ग' में यह है कि क्या पिछले एक वर्ष में जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक राज्य में हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रश्नांश 'घ' में यह है कि राज्य में पिछले 12 महीने में पुलिस द्वारा पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची दें? जिस जवाब में माननीय मंत्री जी ने मुझे सूची दी, आपको धन्यवाद। ड्रग के मामले में 282 प्रकरण बने हैं। इस 282 प्रकरणों में कितने गिरफ्तार हुए? दूसरा, चूंकि सभापति जी ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन 282 प्रकरणों में यह नव्या मलिक वाला प्रकरण शामिल है या नहीं है? क्योंकि मैं इस सूची में खोज डाला, इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुत चर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी में है। वह रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे होटलों में कार्रवाई करती रही है। इस सूची में नव्या

मलिक है? मैं तो खोज डाला, लेकिन मुझे नहीं मिला। यह नव्या मलिक कौन है और इस सूची में उनका नाम क्यों नहीं है? इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? क्योंकि सभापति महोदय ने मुझे एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। वह कितने बार विदेश गई? वह विदेश गई तो किसके-किसके साथ गई? मंत्री जी, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- आपने पहला प्रश्न पूछा कि प्रश्नांश 'ग' के संदर्भ में कि क्या हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है?

श्री भूपेश बघेल :- आप प्रश्नांश 'घ' का ही उत्तर बता दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- मैं दोनों प्रश्नों का ही उत्तर बता देता हूं। थोड़ा दो मिनट लग जाएगा। माननीय सभापति महोदय दयालु हैं। आपने प्रश्नांश 'ग' के संदर्भ कहा कि हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की वृद्धि हुई। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कमी हुई है। प्रश्नाधीन 13 महीनों में, विगत 13 महीनों के बदले हत्या 3% कम हुआ है। लूट प्रश्नाधीन 13 महीने में, विगत 13 महीनों से 10% कम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, यह इन 13-13 महीनों के नहीं, पिछले 13 महीने में तो आप कहेंगे कि भा.ज.पा. के ही हैं, मैं समझ रहा हूं। भा.ज.पा. के इन 13-13 महीनों को मिलाकर 26 महीने, तो भा.ज.पा. के कार्यकाल के पूरे ले लें और उसके पहले के 26 महीने ले लें, उसमें भी भा.ज.पा. के कार्यकाल में कम अपराध हुए हैं। यह जो दस्तावेज है, मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि इन 282 प्रकरणों में कुल कितने गिरफ्तार हुए, कितने चालान कितने हुए, आदि-आदि? इस संबंध में 282 प्रकरण हैं, इन प्रकरणों में से 206 प्रकरण में चालान पुट-अप हो गया है, कुल आरोपी 705 हैं, जिसमें 662 गिरफ्तार हैं। आपने जो एक विशेष नाम लिया है, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर कार्यवाही नहीं पाया हूं, परंतु कार्यवाही करना जरूर है, मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं। आपने जो नव्या मलिक का नाम लिया है, वह मलिक के संदर्भ में भी पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं स्वयं ढूंढने का कोशिश करूंगा और मुझे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैंने इसको अध्ययन किया, इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है, जबकि पूरे मीडिया में उनका नाम रंगा पड़ा है। उसके नाम बहुत चर्चित हैं। बहुत सारे जो ड्रग पेडलर हैं, उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका नाम प्रमुखता से सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चला है। इस सूची में वह स्थान कैसे नहीं प्राप्त कर पाया?

यदि वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया तो यह चूक है और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, यह बताएं?

श्री विजय शर्मा :- मैं जरूर इसका परीक्षण कर लूंगा।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है।

सभापति महोदय :- 20 मिनट से ऊपर हो गया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। उनको थोड़ा बोलने दीजिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं प्रश्न भी लगा चुकी हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोगों के सवाल पूछने के बाद में मंत्री जी ने पूरा उत्तर दे दिया है। श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, उनको एक प्रश्न तो पूछने दीजिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- सभापति महोदय, बस दो मिनट लेना चाहूंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री के बाद पूछना उनका अपमान है।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- नहीं-नहीं, मेरा भी प्रश्न है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, कोई अपमान नहीं है। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- इनकी बातों में मत आइएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग उनकी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- आज मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए, एक प्रश्न आप कर लीजिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- बिल्कुल, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप लोग प्रश्नकाल में सहयोग नहीं करेंगे तो प्रश्नकाल कैसे चलायेंगे? एक प्रश्न में 20 मिनट हो गये हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- किसी का रिकॉर्ड है, एक-एक क्वेश्चन एक-एक घंटा हुआ है।

सभापति महोदय :- यह प्रश्न एक घंटा के लायक नहीं है, सारे प्रश्नों का जवाब मंत्री जी ने दिया है।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, आदिवासी का मामला है । एक-एक घण्टे चर्चा इसी सदन में हुआ है ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 8 लोगों गिरफ्तार नहीं किया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाप-बेटे को और एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है । उनके मरने के बाद बेटा जो है उसकी भी मृत्यु 12-1-2026 को हो गई । परिवार को बिना बताये हुये, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के, दिनांक 2-12-2025 को केन्द्रीय जेल में रिफर किया गया, जबकि जेल मेन्युअल के अध्याय 12 नियम 3,5, और 9 के अनुसार स्थानान्तरण के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है । यह स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है, लेकिन बिना कैदी के, परिवार वालों को बिना सूचना दिये हुये, वहां रिफर किया गया।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, कैदी के परिवार को जरूर सूचना दी जाती है, लेकिन स्थानांतरण के बाद दी गई । दूसरा, जो आपने कहा कि 2-3 लोग गिरफ्तार हुये हैं, यदि आप कहेंगे तो मैं नाम पढ़कर और दिनांक बता देता हूँ कि कौन-कौन कब गिरफ्तार हुआ है ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- सभापति महोदय, जब 7.45 की उनकी मृत्यु हुई, लेकिन परिवार वालों को 4.30 बजे उसकी सूचना मिलती है ।

श्री विजय शर्मा :-माननीय सभापति महोदय, अनौपचारिक सूचनाओं के अतिरिक्त जो पुलिस विभाग की औपचारिक सूचना की प्रक्रिया है, यह उसकी बात कर रही हैं । जब सूचना लेकर थाने वाले पहुंचे थे तो आप स्वयं वहां पर उपस्थित थी । यह सूचना जो वहां पहुंचाई गई, 4.30 बजे का समय उस प्रक्रिया के लिये कहा गया है, जो उत्तर में है वह इसलिये है, क्योंकि वह वायरलेस होता है । वायरलेस के माध्यम से थाने में सूचना जाती है और जाकर व्यक्तिश: बताया जाता है । आजकल मोबाईल पर तुरन्त सूचना पहुंच जाती है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती सावित्री मंडावी :- सभापति महोदय, जी नहीं । मैं कहना चाहूँगी कि...।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, तुरन्त नहीं पहुंचा है, शाम को 5 बजे सूचना मिलती है ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- तब पता चला कि इनकी मृत्यु हो गयी ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, जो मजिस्टिरियल जांच है, उससे सदस्य संतुष्ट नहीं है, क्या इसे विधान सभा की समिति से जांच करायेंगे, यही आपसे निवेदन है?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैं तो नया हूँ, शायद मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग वरिष्ठ हैं जरा मुझे बताये कि जज अगर जांच कर रहे हों, मामला न्यायालय में हो तो क्या इसकी जांच हो सकती है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, क्यों नहीं हो सकती है, विधान सभा सबसे ऊँचा है? यह सबसे बड़ा है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, इसका परिणाम आ जाने दीजिए, आपकी संतुष्टि और असंतुष्टि के ऊपर भी बात कर ली जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जांच की घोषणा करें। एक आदिवासी की मृत्यु हुई है..।(व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- बार-बार नेता और आदिवासी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है..।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप लोग न्यायपालिका के ऊपर तो भरोसा करिये ?(व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री सुनील सोनी :- सभापति जी, 24 मिनट हो गये हैं, उसके बाद भी?

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा। आप प्रश्न करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति जी, इतनी बड़ी समस्या है, इसमें हर उत्तर संदिग्ध है? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मामले की गंभीरता और प्रकरण को देखते हुये प्रश्नकाल में आपके 24 मिनट पूरे हो गये हैं। यह चर्चा के लिये पर्याप्त है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, यह सरकारी हत्या है, एक आदिवासी को तिल-तिल कर मारा गया है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उत्तर सही आना चाहिये। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, हम बहिगर्मन करते हैं।

समय:11.24 बजे

<u>बहिगर्मन</u>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिगर्मन किया गया।)

समय: 11.25 बजे

<u>तारांकित प्रश्नों के उत्तर (क्रमश:)</u>

कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 591) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 तक कितनी नई एवं पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति मिली है? विधानसभावार एवं ब्लॉकवार जानकारी देवें? (ख) इनमें से कितनी सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? लंबित सड़कों के निर्माण को पूरा करने के लिए विभाग ने क्या कोई समयसीमा निर्धारित की है?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 तक 28 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। विधानसभावार एवं विकासखंडवार जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-'अ' अनुसार है। पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति निरंक है। (ख) 09 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। निर्माण हेतु लंबित कार्यो को पूरा करने हेतु समय-सीमा की जानकारी संलग्न[1] ''प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

श्रीमती भावना बोहरा:- सभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और सड़क नवीनीकरण की जानकारी मैंने चाही थी। मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करूँगी कि सड़कों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन सड़कों के नवीनीकरण की जानकारी जो मांगी गई थी, यह उत्तर में आया है कि जानकारी निरंक है तथा विभाग के द्वारा जो जानकारी एकत्र हुई है, उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में एक भी सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग 45 ऐसी सड़कें हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या मापदंड है कि 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत आगे होने वाला है? क्या मापदंड है, 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

श्री विजय शर्मा:- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है तो उसके संदर्भ में यह है कि नवीनीकरण के संदर्भ में बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण 5 वर्षों बाद किया जाता है। पिछले दो वर्षों में तो नवीनीकरण के कोई बजट नहीं थे, इसलिए कोई काम नहीं था। इस बार नवीनीकरण का बजट आया है, इस बार आगे इस पर काम करेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- चूँकि इसमें आपके और हमारे दोनों विधानसभा की लगभग 45 ही सड़कें हैं, जो चलने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगी कि अगर बजट है तो कृपया यह सूची मेरे पास हो, उसको प्राथमिकता में जरूर स्थान देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरा प्रश्न यह है कि 6 ऐसी सड़कों की सूची, जिसमें मुख्यमंत्री सड़क विकास...।

[1] "परिशिष्ट - एक"

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह तो घर का मामला है, इसमें विधान सभा की क्या जरूरत है, दोनों बैठ के हल कर लें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी से मिल लें।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इसका मतलब यह है, जिले का मामला है, पड़ोसी का मामला है और उसके बाद प्रश्न करना पड़ रहा है, अजय जी, इसका मतलब दूरियाँ बहुत हैं, नज़दीकियाँ नहीं हैं, दूरियाँ बहुत हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- दूरियां नहीं, यही विधान सभा की पारदर्शिता है और सदन का महत्व है कि इसी बहाने बाकी लोगों के भी ये विषय संज्ञान में आ जाएँ। बाकी चर्चा तो रोज होती है, चर्चा की चिंता नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भावना बोहरा जी ने इसलिए इस विषय को लाया कि सबको ध्यान रहे। प्रदेश में 56 सड़कों में से सिर्फ चार वहाँ गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। दूसरे वर्ष में प्रदेश के 59 सड़कों में से सिर्फ नौ वहाँ गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। मतलब पूरे प्रदेश की चिंता हो रही है, इसलिए इस प्रश्न को लाया गया है। गलतफहमी में कोई न रहे मतलब ऐसा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं एक प्रश्न और इसमें पूछना चाहूँगी कि छह ऐसी सड़कें जो मुख्यमंत्री सड़क ग्राम विकास योजना के तहत स्वीकृत हुई थीं, लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण एवं अधोसंरचना की निधि से उस रोड को निर्मित किया गया । अब इसको लगभग 5 से 10 साल वापस से हो चुके हैं और विभाग इस विषय पर अभी तक कन्फ्यूज्ड है या स्पष्ट नहीं है कि आने वाले नवीनीकरण किस मद से होगा? क्या इसका मद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आएगा या पर्यावरण विकास संरचना के अंतर्गत आएगा? कौन इसके नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा? क्योंकि जो 45 सड़कें हैं जो नवीनीकरण में हैं, उनमें इन सड़कों का, इन 6 सड़कों का नाम नहीं है। ये आज चलने की स्थिति में नहीं है। ये जो सड़कें हैं, वह किस मद में, किस निधि में जाकर आगे नवीनीकरण होना है, कृपया इसको भी एक बार संज्ञान में ला दें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप जवाब देंगे? मैं इसको एक लाईन को पढ़ रहा हूँ– पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति निरंक है। ये बजट सत्र है, इस बात को भावना जी ने आपको याद दिलाई है तो निरंक न रहे, इसकी व्यवस्था आप बनाएँगे, ऐसा वह चाह रही हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये निरंक प्रश्नाधीन समय के लिए है भविष्य के लिए नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, भावना ने भावना व्यक्त कर दी, केवल वह पंडरिया का मामला नहीं है, भावना की भावना यह है कि पूरे प्रदेश में हो।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी बिल्कुल। सभापति महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं फिर से अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। 6 ऐसी सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुई थीं लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण अधोसंरचना की विकास निधि से निर्मित हुआ है। इन सड़कों को भी लगभग 5 से 10 साल हो चुके हैं, इसको नवीनीकरण की जरूरत है तो विभाग इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कौन से मद से नवीनीकरण होगा क्योंकि जो 45 सड़कें नवीनीकरण की सूची में हैं इनमें इन 6 सड़कों का उसमें जिक्र नहीं है। किस मद से और कब तक ये हो पाएगा कृपया उसे एक बार जानकारी दे दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे यह नहीं मालूम है कि माननीय सदस्य किन 6 सड़कों की बात कर रही हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मेरे पास सूची है। आप चाहें तो मैं इसको पढ़ भी सकती हूँ। बकेला से खामी, खैरावार से बोरतरा, देवसरा से गोरखपुर कला, महकी से कोरला, ये ऐसी छह सड़कें हैं।

श्री विजय शर्मा :- मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। बात प्रक्रिया की है तो एजेंसी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये रही है, परंतु राशि किसी और मद की थी। अब कालांतर में इस रोड को पुनर्निर्माण के लिए, नवीनीकरण के लिए लिया जा सकता है, किसी भी मद से लिया जा सकता है, चाहे इस विभाग के मद से, कहीं और मद से आता है तो भी लिया जा सकता है। कार्य एजेंसी के नाते मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तब तक जब तक कि इसको किसी और सड़क को किसी और को हैंडओवर ना किया जाए, तब तक इस पर काम कर सकती है।

श्रीमती भावना बोहरा :- मंत्री जी, हैंडओवर तो पहले ही हो चुके हैं, क्योंकि कार्य कंप्लीट है। नवीनीकरण की बात है तो मैं निवेदन करुँगी कि जो 45 सड़कें हैं, इन 6 सड़कों को भी नवीनीकरण की संख्या में जोड़ा जाए तो टोटल 51 सड़कों की गिनती जब नवीनीकरण हो तो ये 6 सड़कों को जोड़कर 51 सड़कों की जिले की नवीनीकरण की स्वीकृति भविष्य में लें, आदरणीय मंत्री जी महोदय से ऐसी उम्मीद करती हूँ। उसके अलावा एक विषय है, जिसको मैं संज्ञान में लेना चाहूंगी। यह प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को जरूर बोल रही हूं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक बांगर मेन रोड से लेकर कोटना पानी, टोलापारा तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसकी स्वीकृति 138.61 लाख रुपये की शासकीय स्वीकृति मिली। उसके बाद स्वीकृति को यह बोलकर निरस्त किया गया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह स्वीकृति पहले ही हो चुकी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर विभाग किसी सड़क की जानकारी नवीनीकरण के लिए या फिर स्वीकृति या नई स्वीकृति के लिए देता है तो क्या उनके पास यह डेटा उपलब्ध नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसकी स्वीकृति हो चुकी है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फिर से की गई है तो क्या इसमें विभाग जिम्मेदार है या डेटाबेस उपलब्ध नहीं है या इसके पीछे क्या कारण है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि यह बहुत सामान्य सा विषय है। अगर एक विभाग के द्वारा बनायी गयी सड़क है, पी.एम.जी.एस.वाई. की अनेक सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. को हैंड ओवर हो जाती हैं तो जब वह पी.डब्ल्यू.डी. को हैंड ओवर हो जाती हैं तो फिर उसमें आगे काम पी.डब्ल्यू.डी. करता है। लेकिन तब तक हो सकता है कि पुराने किसी प्रस्ताव में उस सड़क का नाम पी.एम.जी.एस.वाई. में भी नवीनीकरण वगैरह में रहा हो। उसमें ऐसी कोई स्थिति होगी। इसमें जो भी बात सामने आएगी या जो भी विषय सामने आएगा, उसको मैं बिल्कुल देख लूंगा।

सभापति महोदय :- श्री विक्रम मंडावी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सल पुनर्वास नीति

[गृह]

3. (*क्र. 721) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति क्या है? कितने ईनामी नक्सलियों ने इस नीति के तहत वर्ष 2023-24 से अब तक आत्मसमर्पण किया है? आत्मसमर्पित नक्सलियों पर घोषित ईनाम की राशि का किन-किन को भुगतान किया गया है? वर्षवार, नाम, पता एवं राशि के विवरण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार अब तक घोषित ईनाम की राशि में से कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सहित जानकारी पृथक-पृथक नाम सहित देवें? (ग) आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है? जानकारी वर्षवार बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बनायी गई है। पुनर्वास नीति अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 09.02.2026 तक कुल 2937 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, उनमें से 1496 ईनामी तथा 1441 गैर ईनामी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 2754 को प्रारंभिक तौर पर प्रोत्साहन राशि 10 करोड़, 35 लाख 80 हजार का भुगतान किया गया है। कुल 1496 ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पद के विरूद्ध घोषित ईनाम राशि 49 करोड़ 39 लाख, 50 हजार रूपये में से 02 आत्मसमर्पित ईनामी नक्सली को 05 लाख रूपये की ईनाम राशि का भुगतान किया गया है। आत्मसमर्पित ईनामी नक्सली को भुगतान की गई राशि विवरण नाम, पता सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र †[2] "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार 1496 ईनामी नक्सलियों में से 1349 ईनामी नक्सलियों को प्रारंभिक तौर पर कुल राशि 05 करोड़, 64 लाख 45 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि तथा 02 ईनामी नक्सलियों को 05 लाख रूपये ईनाम राशि का भुगतान किया गया है। कुल 1494 आत्मसमर्पित नक्सलियों के पद के विरूद्ध घोषित ईनाम राशि 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार रूपये ईनाम राशि का प्रकरण प्रकियाधीन हैं। राज्य स्तरीय समिति द्वारा ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों के अनुशंसित 92 प्रकरण जिला स्तरीय कमेटी को भुगतान हेतु प्रेषित किये गये है, जिसकी सूची नाम सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। आत्मसमर्पित ईनामी नक्सलियों के शेष 1402 प्रकरणों में घोषित ईनाम राशि राज्य स्तरीय समिति के विवारण उपरान्त भुगतान की

[2] † परिशिष्ट ''दो''

कार्यवाही की जायेगी। (ग) आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर अब तक की गई खर्च की जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था तो मेरे प्रश्न के मूल अंश का जवाब आया ही नहीं है और सदन शुरू होने के मात्र 10 मिनट पहले ही मुझे उसका पुनरीक्षित उत्तर दिया गया है। वैसे में मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को अगले दिवस के लिए आगे बढ़ा दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य को 10 मिनट पहले उत्तर मिला है तो वह इसमें क्या प्रश्न करेंगे? उसमें क्या पूरक प्रश्न पूछ पाएंगे?

श्री विक्रम मंडावी :- सभापति महोदय, मेरे मूल प्रश्न का इसमें अंश ही नहीं है और उसका जवाब ही नहीं आया है। मात्र 10 मिनट पहले मुझे इस प्रश्न का जवाब दिया गया है।

सभापति महोदय :- आप उस प्रश्न को एक बार देख लीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न में बढ़ोतरी ही हुई है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। पहला विषय यह है कि एक तथ्य था, एक और तथ्य माननीय सदस्य के ध्यान में आ जाए, इसलिए एक और तथ्य को जोड़कर उत्तर दिया गया है। दूसरा विषय यह है कि इस पर माननीय सदस्य जैसी व्यवस्था चाहे, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। आप निर्णय कर सकते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप आगे के डेट के लिए कार्रवाई को बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदय:- क्या है कि उस प्रश्न में ऐड किया गया है। उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुऔ है। मैं समझता हूं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछकर जवाब ले लीजिये, मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

श्री विक्रम मंडावी:- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने पूरक प्रश्न का उत्तर दिया है कि कुल 1496 ईनामी आत्म समर्पण नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है तो इनकी कुल घोषित राशि कितनी है?

श्री विजय शर्मा:- माननीय सभापति महोदय, जो कुल पुनर्वास है, वह 2937 लोगों का है। उसमें से 1496 वह हैं जो हमारे 100 कैटिगिरी जो पहले के डिसाइडेड हैं, वह होते हैं और उसमें 1441 वह हैं जो उस कैटिगिरी से अलग हैं, परंतु इनकी विभिन्न श्रेणियां और हैं। मिलिशिया, मिलिशिया सदस्य, डी.के.एम.एस., दण्डकारण्य आदिवासी किसान, मजदूर संघ आदि।

श्री विक्रम मंडावी:- माननीय सभापति महोदय, 1496 के लिए कितना घोषित ईनाम है?

श्री विजय शर्मा:- भैया, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यह तो नक्सलवाद का विषय है। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय चाहे तो उसमें और निर्णय कर लें, कोई बात ही नहीं है। यह जो 1496 के लिए हम कह रहे हैं। एक मिनट, आप शांति भर रखिये। चले मत जाइयेगा। (हंसी) मैं अच्छे से लिखकर लाया हूं, इसलिए आपसे बोल रहा हूं। यह अच्छा प्रश्न है और मैं इसके लिए अच्छे से अभ्यास करके आया हूं। यह जो ईनामी नक्सली हैं, वह कुल-मिलाकर 1496 हैं और उनके लिए कुल राशि 5 करोड़ 64 लाख रूपये है। जो इनको कालांतर में दिया जाना है। 3 वर्ष का समय होता है। 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनके खाते में मिल जाएगी। यह वही 5 करोड़ 64 लाख रूपये की राशि है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, पहले जो उत्तर पुस्तिका में उत्तर आया था, मंत्री जी उससे अलग जवाब दे रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- एक मिनट, एक मिनट। अच्छा भैया, एक मिनट, एक मिनट। यह जो अभी 50-50 हजार रूपये के हिसाब से राशि दी गई है और शेष जो इनके इनाम की राशि है, वह 49 करोड़ 34 लाख रूपये है। आपके उत्तर में बाद में वही जोड़ा गया हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार रूपये की राशि बता रहे हैं। उस राशि में से कितनी राशि का वितरण अभी तक हो चुका है?

श्री विजय शर्मा :- आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए। सभापति महोदय, जो इनाम की राशि है, वह उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। मैं सोचता हूं कि आपको ध्यान होगा। आप बस्तर के हैं । इसमें जो प्रारंभिक 50 हजार रूपये की राशि होती है, वह उनको दे दी गई है और वह राशि 5 करोड़ 64 लाख रूपये है। अब 5 करोड़ 64 लाख रूपये को आप 1496 नक्सलियों से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

50 हजार करके मत जोड़िएगा, उसके अंतर हैं। मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रश्नाधीन समय पूछा है, उसमें 1 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक पुरानी वाली व्यवस्था लागू थी, जिसमें उनको 10 हजार रूपये दिया जाता था। ऐसे 5 लोग थे।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय।

श्री विजय शर्मा :- भैया, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, यह बात तो मैं।

श्री विजय शर्मा :- भैया, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके काम की बात कह रहा हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- मैं इसी में बात रख रहा हूं।

श्री विजय शर्मा :- मैं आपके काम की बात कह रहा हूं। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- यह 49 करोड़ 50 हजार रूपये है, उसमें 3 लाख रूपये कम करने से आपने कितनी राशि दी है?

श्री विजय शर्मा :- मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप खुद इसमें जवाब दे रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- हां, मैं बोल रहा हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- इसमें आपका जवाब आ चुका है। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, लेकिन उसमें निर्णय ऐसा है। भैया, आप मेरी बात सुनिये। उसमें आप 1496 में 50 हजार का गुणा कर देंगे और बोलेंगे कि इतना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए समय बता रहा हूं । मेरा आपसे यह कहना है कि इसमें तीन तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं । 5 लोगों को 10 हजार रूपये के हिसाब से, 415 लोगों को 25 हजार रूपये के हिसाब से और 929 लोगों को 50 हजार रूपये के हिसाब से यह राशि दी गई है। इसलिए यह राशि 5 करोड़ 64 लाख रूपये है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल सीधा और सिंपल-सा है कि इसमें से अभी तक आपने कितनी राशि का भुगतान किया है या नहीं किया है? इतनी राशि का अंतर बता दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, वह तो आपको बता दिया है। 5 करोड़ 64 लाख रूपये दिया जा चुका है और इनको 49 करोड़ 34 लाख रूपये और दिया जाना है।

श्री विक्रम मण्डावी :- और दिया जाना शेष है?

श्री विजय शर्मा :- हां-हां।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, लेकिन आपने मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार की राशि में से अभी तक सिर्फ दो आत्मसमर्पित नक्सलियों को 5 लाख रूपये की राशि का वितरण हुआ है। आपने आत्मसमर्पित नक्सलियों को अभी तक 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार में से मात्र 5 लाख रूपये की राशि ही वितरीत की है ?

श्री विजय शर्मा :- किसने कह दिया ?

श्री विक्रम मण्डावी :- यह आपका उत्तर है। आपने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में यह जवाब है।

श्री विजय शर्मा :- इसीलिए मैंने आपको संशोधित उत्तर भेजा है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, मैं संशोधित उत्तर ही पढ़ रहा हूं।

श्री विजय शर्मा :- आप संशोधित उत्तर कहां पढ़ रहे हैं?

श्री विक्रम मण्डावी :- मैं संशोधित उत्तर ही पढ़ रहा हूं।

श्री विजय शर्मा :- भैया, आप पढ़कर देखिए। मैं आपको पढ़कर उत्तर सुना देता हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, इसमें दिया है कि कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार रूपये में से दो आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5 लाख रूपये की इनाम राशि का भुगतान किया गया है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, यह उनका है जो 3 साल वाले पूरे हो गए हैं। आप अपनी प्रश्नावली पर ध्यान दें। आपकी प्रश्नावली में 3 वर्ष पूरे नहीं होते हैं (व्यवधान)।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने वर्ष 2023 से लेकर वर्तमान समय का प्रश्न किया है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपकी प्रश्नावली में 3 वर्ष पूरे नहीं होते हैं। आप मेरी बात को समझिये। इस वर्ष में जिन्होंने पुनर्वास किया है, उनको दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, मैंने प्रश्न में आपसे पूछा था कि 2023 से लेकर वर्तमान समय तक की जानकारी प्रदान करें।

श्री विजय शर्मा :- क्या 2023 से लेकर वर्तमान समय तक 3 साल पूरे हो गये? आप मेरी बात को समझिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप इसमें क्यों नहीं लिखे हैं? आपको इसमें 3 साल का अंतराल का जवाब देना था।

श्री विजय शर्मा :- आप कृपया अपना प्रश्न समझ लीजिए, फिर मुझको बताइएगा ।

श्री विक्रम मण्डावी :- चलिए ठीक है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जो 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार रूपये की राशि का वितरण करना बता रहे हैं, उस राशि को कब तक देंगे और उसको देने की प्रक्रिया क्या है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया है। खैर। इसको देने की प्रक्रिया यही है कि इस पर जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जो लोग पुनर्वास करते हैं, उनके लिए जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर समिति होती है। वर्तमान में 92 ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें प्रदेश स्तर की समिति से भी अनुशंसा की जा चुकी है। उनकी राशि तैयार है, हम इनको राशि देंगे और वे यह राशि तीन वर्ष बाद बैंक से निकाल पाएंगे।

सभापति महोदय :- श्रीमती अनिला भेड़िया।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उनका रैंक या पद होता है, तो उनको पदवार कितनी-कितनी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राशि देने का प्रावधान है? यदि वे बंदूक या अन्य हथियार लेकर आते हैं, तो उसमें कितनी-कितनी राशि देने का प्रावधान है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पुनर्वास नीति क्या है? नक्सलवाद पुनर्वास नीति जो पहले जारी हो चुकी है, वही नीति है। उसके अंतर्गत यह है कि उनकी स्वयं की जितनी-जितनी राशि है और उसके बाद उनके हथियारों के साथ जो राशि दी जाती है, यह भी उसमें उल्लेखित है। फिर भी यदि आप चाहें तो मैं कुछ पढ़ देता हूं। CCM को 40 लाख रूपये, SZCM को 25 लाख रूपये, CYPC/PCM को 8 लाख रूपये, बटालियन सदस्य को 8 लाख रूपये, DBCM को 8 लाख रूपये दिये जाते हैं। उसमें यह सारी जानकारी है। वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसको आपको यहां पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहेंगे तो पूरा पढ़ूंगा, जैसा आप बताएं।

सभापति महोदय :- श्रीमती अनिला भेड़िया।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि वर्तमान समय में बस्तर में जो मुख्यधारा में जुड़कर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ऐसे बहुत से आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, जिनकी पीड़ा है। वर्तमान समय में उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। दूसरी चीज वह अपना एक नया जीवन शुरूआत करना चाहते हैं, उस ओर विशेष ध्यान दिया जाये और जल्द से जल्द वह राशि उनको मिलना चाहिए ताकि मुख्यधारा में जो विश्वास करते रहे हैं, वह उस ओर आगे बढ़ें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह नक्सलवाद का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात दूसरी तरफ जायेगी। इस बात की चिंता जितनी सरकार कर रही है, विगत सरकार ने नहीं किया। इसको समझना चाहिए।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, हम भी चाहते हैं कि उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ जल्द मिले, वही हम चाहते हैं।

सभापति महोदय :- उस बात को आगे बढ़ाना नहीं है।

I.T.I. में प्राचार्य व प्रशिक्षण अधीक्षक के रिक्त पद

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

4. (*क्र. 389) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विभाग अंतर्गत I.T.I. में प्राचार्य व प्रशिक्षण अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) : संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ प्राचार्य वर्ग 02 के 69 एवं प्रशिक्षण अधीक्षक के 209 पद रिक्त है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहला ''क'' प्रश्न किया था कि आई.टी.आई. के प्राचार्य एवं प्रशिक्षण अधीक्षक के कितने प्रश्न रिक्त हैं और दूसरा ''ख'' प्रश्न था, ख प्रश्न को काट दिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें English communication skill language व हिन्दी भाषा के प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रमोशन चैनल में शामिल करते हुए पदोन्नति कब देंगे, उस प्रश्न को आपने काट दिया है। इसमें इन अधिकारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई और इसमें पदोन्नति प्लस भर्ती कब तक की जायेगी?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न मेरे पास आया है और जो इसमें प्रश्न कटा है, वो वहीं से कटा है, मैंने नहीं काटा है। रही बात जिनकी बात आप प्राचार्य की और प्रशिक्षण अधीक्षक की बात कर रही हैं, प्राचार्य का कोर्ट में लंबित था जिसके कारण वह कहीं न कहीं प्रमोशन रूका हुआ था। अब उसका उच्च न्यायालय से आदेश आ गया है तो सही समय में उसमें कार्रवाई की जायेगी। अधीक्षक का भी है, उसमें भी उसी प्रकार से था, उसका भी निर्णय समय आने पर लिया जायेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय मंत्री महोदय, यह प्रश्न कहां से कट गया?

श्री बालेश्वर साहू :- मंत्री जी, रास्ता ऊबड़-खाबड़ रहिस हे, गिर गये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमारे प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र हैं कि प्रशिक्षण अधीक्षक के 209 पद रिक्त हैं और प्राचार्य वर्ग का 64 पद रिक्त लिखे हैं। उसमें एक नया संशोधन दिये हैं कि प्राचार्य के 69 पद रिक्त हैं। इस तरह के पद रिक्त रहेंगे तो आप बोल रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करेंगे, स्किल डेव्हलपमेंट करेंगे। आपके पास प्रशिक्षण अधिकारी नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगी कि इसमें आप कब तक पद को भरेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके लिए आपको प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं थी, उमेश बाबू बता देते कि कब-कब, कैसे-कैसे होगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप पद को कब तक भरेंगे ताकि हमारे यहां हमारे बेरोजगार युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योगों में काम करें? नहीं तो आपके छत्तीसगढ़ में बाहर के ही प्रशिक्षक आकर यहां रोजगार प्राप्त करेंगे और हमारे लोग बेरोजगार होते जायेंगे। आप कब तक पद भरेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- भाभी जी, बाहर-बाहर मत कर, राज्यसभा के चुनाव होत हे। फेर तीन जन बाहर से आ जाही। बाहर से आवथे का?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, इसमें निश्चित ही बहुत सारे पद रिक्त हैं और माननीय वरिष्ठ सदस्या ने बहुत गंभीर चिंता की है। इसमें समय-समय पर भर्ती की जाती है। अभी हमारे जितने भी आई.टी.आई. हैं, सभी जगह हमारे मेहमान प्राध्यापक हैं या फिर संविदा प्रशिक्षक हैं, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से सभी आई.टी.आई. संचालित हैं और हमारे सभी साथियों को प्रशिक्षण मिल रहा है। इसमें भर्ती की समयावधि अभी बता पाना संभव नहीं है, लेकिन समय पर सभी चीजें की जायेंगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट से केस लगभग खत्म हो गया है। उसका डिसीजन आ गया है तो अब भर्तियां होंगी? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्राचार्य के लिये कितने प्रतिशत पद प्रमोशन के हैं और कितनी सीधी भर्ती के हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर अभी इतने प्रशिक्षक उपस्थित नहीं हैं तो आप मेहमान प्रशिक्षकों से काम करा रहे होंगे? अभी जो इस साल आपने मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती की होगी, उसमें कितने मूल निवासी छत्तीसगढ़ के हैं और कितने बाहरी हैं ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमने भर्ती नहीं की है लेकिन जो प्राचार्य के 6 पद में से 5 पद रिक्त हैं, इसके लिए मैंने बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय आया है जिसमें अभी कार्रवाई चल रही है, जिसके माध्यम से होगी। रही बात आपने जो भर्ती की बात की, अभी हम लोगों ने भर्ती नहीं की है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि प्राचार्य का पद आप सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों से करते होंगे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- जी।

श्री उमेश पटेल :- तो कितना प्रतिशत उसमें सीधी भर्ती है और कितना प्रतिशत प्रमोशन का है क्योंकि जो कोर्ट में लगा है वह प्रमोशन का लगा है, सीधी भर्ती का तो अटका नहीं है तो सीधी भर्ती के पोस्ट तो हम भर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रूकावट है नहीं ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, प्राचार्य वर्ग-1 के पदों के लिये 25 प्रतिशत पद हम सीधी भर्ती करते हैं और 75 प्रतिशत पद पदौन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं तो निश्चित ही इसका समय बताना संभव नहीं है।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, सीधी भर्ती तो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो कोर्ट में लंबित है उसका हमने मान लिया कि चलो कोर्ट में लंबित है ।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों द्वारा युवाओं के रोजगार सृजन हेतु चलाई जा रही योजनाएं

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

5. (*क्र. 696) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय/अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों (आईटीआई आदि) की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? (ख) इन संस्थानों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षकों एवं तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा उन्हें भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तथा उनसे कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? (घ) क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए नवीन कौशल विकास, स्वरोजगार एवं प्लेसमेंट से जुड़ी योजनाएँ प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) : (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 02 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित है एवं अशासकीय/निजी

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित नहीं है। संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में व्यवसायवार प्रशिक्षणार्थियों (छात्रों) के नामांकन संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[3] अनुसार है। (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की पद संरचना में शिक्षक के पद नहीं होते, अपितु प्रशिक्षण अधिकारी के पद होते हैं। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्रतापपुर में प्रशिक्षण अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारी के कुल 13 पद के विरूद्ध 11 पद एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाड्रफनगर में स्वीकृत कुल 13 पद के विरूद्ध 11 पद रिक्त है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। (ग) तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। परंतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र सूरजपुर एवं बलरामपुर में रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प से चयनित युवाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब[4] अनुसार है। (घ) जी नहीं। रोजगार इच्छुकों हेतु जिले में रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाता है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि...।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय सभापति महोदय।

श्री उमेश पटेल :- अभी एक और मिनट। रूक जाईये न।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय-अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों, आई.टी.आई. आदि की संख्या कितनी है तथा उसमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, उत्तर आया ही नहीं है।

सभापति महोदय :- जवाब दे दिये हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[3] [संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

[4] [संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मौका दे दीजिये, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, जवाब तो देने दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, जवाब तो आने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम कंपलीट हुए नहीं हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय मंत्री जी, जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये। पहले प्रश्न का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- जवाब आया है। एक-बार और दे देते हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- फिर से एक-बार। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक-बार जवाब दे दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दो बहुत पाइंटेड प्रश्न थे।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय कौशल मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय-अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों, आई.टी.आई. आदि की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों तथा छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दो बहुत ही सिंपल पाइंटेड प्रश्न थे।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी, एक-बार बैठ जाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न था कि प्रमोशन के पद जो आप सीधी भर्ती कर रहे हैं, उसमें कोई रोक-टोक तो है नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गयी फिर रिवर्ट कैसे होगी । अब तो आपने प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी फिर रिवर्ट हो रहा है।

सभापति महोदय :- लास्ट जवाब दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, तो उसमें क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? दूसरा मेहमान प्रशिक्षणों की जो आप भर्ती करने वाले हैं या हो चुका होगा तो उसमें कितने मूल निवासी हैं, यह दो का उत्तर दे दीजिये?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया कि हमने अभी भर्ती नहीं की है और मैंने बताया कि अभी जब भर्ती करेंगे तो उसमें बतायेंगे और रही बात जो प्रमोशन वाली है । उसका मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कोई बात ही नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सीधी भर्ती जहां कोई रोक-टोक नहीं है उसको क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया कि अभी समयावधि बता पाना संभव नहीं है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप समयावधि मत बताईये लेकिन बाहर से मेहमान लायेंगे या मूल निवासी को मौका दिया जायेगा यह बता दीजिये?

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला पोर्ते।

श्री उमेश पटेल :- आप सीधी भर्ती भर नहीं रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- देखिये, यह सारी चीजें प्रक्रिया से होती हैं, नियम से होती हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप यह बता दीजिये कि बाहर से लाया जायेगा या मूल निवासी को लिया जायेगा?

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला पोर्ते।

श्री उमेश पटेल :- आपको मंत्री बने हुए दो साल हो गये हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननननीय कौशल विकास मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय-अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्या को पूरी जानकारी दे दी है लेकिन फिर भी मैं पढ़कर बता देता हूं कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्तमान में 2 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं एवं अशासकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित नहीं है, संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में व्यवसायवार प्रशिक्षणार्थियों को, छात्रों को नामांकन संबंधी जानकारी संलग्न पत्रक- अ में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है, जिसमें हमारे आई.टी.आई. प्रतापपुर में कंम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिये 2 यूनिट हैं जिसमें प्रशिक्षणार्थी छात्रों की नामांकन संख्या 47 है, महिलाओं की संख्या 21 है, पुरूष की संख्या 26 है, यह पूरी जानकारी मैंने दी हुई है । ईलेक्ट्रिशियन के लिये 2 है जिसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, वेल्डर के लिये भी 2 है जिसमें 31 और टोटल अगर हम करें तो स्वीकृत यूनिट 6 और 118 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं जिसमें 50 महिला हैं और 68 पुरूष हैं और आई.टी.आई. वाड्रफनगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा उसमें भी 2 यूनिट है जिसमें 48 हैं और महिलायें 27 और 21 और इलेक्ट्रिशियन में भी 2 यूनिट हैं जिसमें 39 हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जिसमें 21 महिलायें हैं, 18 पुरूष हैं, फिटर में भी 2 यूनिट है जिसमें 38 और 26 महिलायें और 12 पुरूष, मैकेनिक-डीजल में भी 2, 48 प्रशिक्षणर्थी हैं जिसमें 9 महिलायें हैं और 39 पुरूष हैं । टोटल 8 यूनिट में 173 प्रशिक्षणार्थी हैं और 83 महिलायें हैं और 90 पुरूष हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय मंत्री जी, मैं यह पूछना चाह रही हूं कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विगत् 3 वर्षों में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यक्रम संचालित किये गये हैं तथा उनमें से कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। हम करियर मार्गदर्शन और कौशल करते रहते हैं, जिसमें हम लोग प्लेसमेंट कैम्प भी करते हैं, रोजगार मेला का भी आयोजन करते हैं जिसके माध्यम से हमारे युवा साथियों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलते रहता है। अभी प्रदेश स्तरीय भी हुआ और हमारे अंबिकापुर में भी आयोजन किया गया है जिसमें मैं अंबिकापुर संभाग का बता देता हूँ। मैं उनको सरगुजा संभाग का बता देता हूँ कि प्लेसमेंट कैम्प की उपस्थिति नियोजकों की संख्या 29 रही, जिसमें प्लेसमेंट कैम्प में कुल रिक्तियां की संख्या 4 हजार 562 थी, जिसमें प्लेसमेंट कैम्प में साक्षात्कार के लिए 3 हजार 664 आये और प्लेसमेंट कैम्प में प्राप्त कुल रिक्तियों में से चयनित हुए तो वहां सरगुजा संभाग में 818 युवा साथियों का चयन हुआ है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक सूची उपलब्ध है, परिशिष्ट "तीन" में जिला सूरजपुर अंतर्गत प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र तकनीकी में पूरा निरंक दिया गया है और जिला बलरामपुर अंतर्गत प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में भी है तो मेरा यह आग्रह है कि आप जो यह रोजगार मेला लगवाते हैं, इसे आप विकासखण्ड स्तर पर लगवायेंगे क्या? क्या इसका प्रचार-प्रसार सही ढंग से किया जायेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा इस रोजगार मेले में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही अभी सरगुजा संभाग में हमने 17.02.2026 को ही रोजगार मेला आयोजित किया था और निश्चित ही आने वाले समय में जो माननीय सदस्य की चिंता है, उसको ध्यान में रखते हुए, उनके विधान सभा क्षेत्र में भी यह प्रयास करेंगे कि वहां पर रोजगार मेला आयोजित हो और युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो रोजगार मेला है आप मुख्यमंत्री कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल योजना को विकासखण्ड स्तर पर चलायेंगे क्या?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसको विशेष ध्यान देंगे और उसको दिखवायेंगे ताकि उनकी चिंता दूर हो।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर।

<u>108 एम्बुलेस सेवा हेतु आमंत्रित निविदा</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 336) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 108 एम्बुलेस सेवा हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हॉ तो विगत एवं इस वित्तीय वर्ष में निविदा कब-कब आमंत्रित की गई ? कितने निविदाकारों ने भाग लिया तथा उनके द्वारा क्या-क्या दर प्रस्तुत की गई है और किस दर पर कार्य आवंटित किया गया है? यदि एक ही निविदाकार था तो यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्य भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत आने वाले किस नियम के अंतर्गत दिया गया है? नियम सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार निविदा के संबंध में किस-किस के द्वारा, कब-कब, किसको एवं क्या-क्या शिकायतें की गई हैं? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई एवं शिकायत की अद्यतन स्थिति क्या है एवं कौन दोषी पाया गया? शिकायतवार पूर्ण जानकारी देवें? (ग) उक्त निविदाओं में स्वीकृत निविदा की प्रमुख शर्तें क्या है तथा पूर्व प्रचलित व नवीन स्वीकृत निविदा शर्तो में किये गए परिवर्तन की तुलनात्मक जानकारी देवें तथा इनमें जुर्माना व एमडीटी (लोकेशन ट्रेक डिवाईस) के लिए तय राशि की भी तुलनात्मक जानकारी देवें? एमडीटी के लिये प्रति एम्बुलेस कितनी राशि प्रति माह/प्रति ट्रिप निर्धारित है? नियम/निर्देश सहित जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जी हाँ। प्रथम निविदा दिनांक 09.04.2025, द्वितीय निविदा दिनांक 11.07.2025 एवं तृतीय निविदा दिनांक 24.09.2025 आमंत्रित किया गया है। जानकारी संलग्न [5]प्रपत्र “अ” अनुसार है। निविदाकार का चयन भंडार क्रय नियम 2002 के 4.3.3 खुली निविदा के अंतर्गत संपादित किया साथ ही सामान्य वित्तीय संहिता, भारत सरकार (GFR) के नियम-173 (XX) का पालन करते हुए प्रक्रिया की गयी है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है। जुर्माना संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र- "द” अनुसार है। एमडीटी (लोकेशन ट्रेक डिवाईस) के लिए निविदा में पृथक से राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। पृथक से इंगित नहीं है।

(प्रश्नकाल के पश्चातद्य दी गई व्यवस्था के तहत प्रश्न चस्पा किया गया)

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, अब सातवां प्रश्न आ गया क्या? मेरा प्रश्न छोटा सा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भईया, मैंने तो अभी प्रश्न ही नहीं किया है। पहले मूल प्रश्नकर्त्ता का तो प्रश्न होने दीजिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, आप खड़े होइये।

---

[5] [संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर अंतर्गत स्वीकृत पद

[चिकित्सा शिक्षा]

7. (*क्र. 575) श्री अजय चंद्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल (मेकाहारा) रायपुर में कितने बिस्तर स्वीकृत हैं और उसका सेटअप क्या है? क्या स्वीकृत बिस्तर के अनुरूप सेटअप की स्वीकृति प्राप्त है? यदि हां तो कितने पद रिक्त एवं भरे हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से, कितने-कितने पद व विशेषज्ञों के साथ-साथ अन्य मानव संसाधन एवं उपकरण की आवश्यकता है? इसे स्वीकृत बिस्तर के साथ क्यों स्वीकृत नहीं किया गया? इसके कारण क्या हैं और कब तक स्वीकृत कर इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) उक्त अस्पताल अंतर्गत कौन-कौन से विभाग हैं तथा वहां स्थापित एक्यूपमेंट (मशीन उपकरण) की स्थिति क्या है? कब से बंद या चालू की स्थिति में हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल (मेकाहारा) रायपुर में 700 बिस्तर स्वीकृत है साथ ही कैंसर अस्पताल हेतु 100 बिस्तर स्वीकृत है। स्वीकृत बिस्तर के अनुरूप सेटअप की स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृत सेटअप में भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। स्वीकृत बिस्तर के अनुरूप सेटअप की स्वीकृति होने के कारण शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।(ख) चिकित्सालय अंतर्गत 21 विभाग संचालित है। विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। विभागवार स्थापित इक्यूपमेंट (मशीन उपकरण) की बंद एवं चालू की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब समय कम है।

सभापति महोदय :- आप सीधे प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने मेकाहारा के सेटअप में बारे में पूछा है तो उसमें मेरा एक प्रश्न है सेटअप में नेशनल मेडिकल कमिशन एक एक स्टैण्डर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने उस स्टैण्डर्ड के तहत मेकाहारा का सेटअप बनाया है या इनका खुद का कोई स्टैण्डर्ड है ? यदि स्टेट का वह स्टैण्डर्ड है तो वह क्या है? मुझको यह बता दें और उस स्टैण्डर्ड के तहत मेकाहारा का सेटअप स्वीकृत है या अस्वीकृत है, संक्षेप में यह बता दें? मैं फिर दूसरा प्रश्न करूंगा। फिर सुनील जी प्रश्न करेंगे।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न जल्दी-जल्दी करें और उत्तर भी जल्दी दें। तब होगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इन दो सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकाहारा का कोई स्टैण्डर्ड बनाया है, न उसको किया है और इसके पहले अन्य सदस्य भी मंत्रिमण्डल, मैं मेकाहारा का बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिये। मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है तो जो भी सेटअप है, वह स्टैण्डर्ड के अनुसार है। हमारी 230 सीटें चल रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने एक लाईन का प्रश्न पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमिशन के स्टैण्डर्ड में बना है या राज्य का कोई स्टैण्डर्ड है ? और यदि वह स्टैण्डर्ड है ? तो मेकाहारा का किस आधार पर बना है, यह उसी आधार पर बना है या नेशनल मेडिकल कमिशन के स्टैण्डर्ड के आधार पर बना है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं। आजकल नेशनल मेडिकल कमिशन के गाईड लाईन से चलते हैं और हमारे राज्य में भी उसी के तहत संचालित होते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसी के हिसाब से मेकाहारा का बना है क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से उसी के हिसान से बना है तभी तो वह चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि उसके हिसाब से बना है मेरा यह कहना है कि उसके हिसाब से नहीं बना है। आप उसकी जांच करवायेंगे क्या ? आपने जो मापदण्ड बनाया है कि नेशनल मेडिकल कमिशन के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं । वह पद भरे हैं या नहीं भरे हैं यह अलग विषय है। आपका उस स्टैण्डर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है इसकी जांच करायेंगे क्या? या मैं आपको प्रमाण देता हूँ। वह लागू नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो आप नेशनल मेडिकल कमिशन के हिसाब से बना है, जो बोल रहे हैं वह असत्य है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, नेशनल मेडिकल कमिशन के हिसाब से नहीं बना रहता तो उसको मान्यता नहीं देती। इनके या मेरे कहने से नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह एन.एम.सी. के हिसाब से नहीं बना है। यदि वह उसी स्टैण्डर्ड में है तो समय कम है मैं दूसरी बात बोल देता हूँ। जिसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा । सभापति महोदय, मुझे मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई है । इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, वह दोनों पेपर मेरे पास हैं । पैट स्कैन और गामा कैमरा के बारे में आज जो जानकारी दी गई है, उसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है और पिछले पत्र में इन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। चूंकि अधूरी जानकारी दी गई है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मैं कुछ लिखा पढ़ी करूं, उससे पहले इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिए चर्चा में आप शिफ्ट कर दें। या कौन सा जानकारी सही है? यह साबित हो रही है। दोनों पेपर विधान सभा के ही हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल:- सभापति महोदय, माननीय सदस्य को दोनों ही उत्तर दिया गया है, दोनों ही ठीक है। उसका कारण यह है कि पहले जो जवाब दिया गया था, उसमें पैट स्केन और गामा कैमरा है, उसका जिक्र हमारे सेट-अप में शामिल करके दिखाया गया था, परन्तु मैंने पहले ही बताया था कि उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच के बाद यह बात स्पष्ट हो रही है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति ली ही नहीं गई है और जब उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है तो कायदे से हमारे सेट-अप में भी शामिल नहीं है, लेकिन हम प्रक्रियाओं के तहत उसको वित्त विभाग से बातचीत करके और सचिव स्तर से बातचीत करके लेने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरे पास दोनों उत्तर हैं। मंत्री जी का कहना है कि सेट-अप में दोनों मशीन शामिल नहीं हैं । यदि वे उस मशीन का उल्लेख कर रहे हैं तो यह बता दें कि वह मशीन कभी कहां है, वह किसकी है ? मैंने तो उसका उल्लेख नहीं किया। मैंने कहा कि उसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने पूरक जानकारी दी कि वह मशीन सेट-अप में नहीं है तो वह मशीन कहां पर है, कहां पर रखी गई है, किसकी है, उसमें बात कर लें। यदि मंत्री जी उसका उल्लेख कर रहे हैं उसमें बता दें कि उसकी क्या स्थिति है? वह मशीन हवा में

रखी है या पाताल में रखी गई है या समुद्र में रखी गई है, वह मशीन कहां है और किसकी है, यह बता दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी जांच चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जांच अलग विषय है। आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो वह मशीन कहां है और किसकी है? आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप उसकी जांच क्यों करवा रहे हैं? इसको बताईए कि वह मशीन किसकी है, कहां है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, उसकी जांच इसलिए करवा रहे हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति प्राप्त नहीं की गई थी और वित्तीय नियमों के खिलाफ उसकी खरीदी की गई है । आप कहेंगे तो हम उसकी जांच करा देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आपने ही कहा कि वह हमारे रिकॉर्ड में नहीं है इसलिए मैंने इस प्रश्न में जानकारी नहीं दी तो वह किसके रिकॉर्ड में है, वह मशीन कहां है, किसकी है। आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जांच क्यों करवा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं? आपने ही कहा कि वह मशीन मेरे रिकॉर्ड में नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, वह मशीन हमारे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है और वह मशीन मेकाहारा में रखी हुई है। उस समय वित्तीय नियमों के पालन किए बिना उसकी खरीदी की गई थी और वह मशीन 20 करोड़ से ऊपर की थी, बड़ी राशि की थी। उसमें बिना वित्तीय अनुमति के वह मशीन खरीद ली गई थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। वह किसके रिकॉड में है, जब आप उसका उल्लेख कर रहे हैं तो आप यह बताईए कि वह किसकी मशीन है? स्वास्थ्य विभाग की मशीन नहीं है तो वह किसकी मशीन है? जांच अलग विषय है, वह मशीन किसकी है, वह अलग विषय है। वह मशीन किसकी है, मैं यह पूछ रहा हूं। वह आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो वह किसकी मशीन है? जांच का विषय बाद में है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, वह मशीन इसलिए रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि अधिकृत रूप से उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, अगला प्रश्न मेरा है, थोड़ा सा समय बचा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, रिकॉर्ड में नहीं है तो वह मशीन मेकाहारा में क्यों रखी गई है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, जब उस मशीन को खरीदा गया तो बाद में पता चला कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, नियमों के खिलाफ खरीदी गई है।

श्री अनुज शर्मा :- अभी लावारिश है, कोई भी उठा सकता है, उसका कोई वारिश नहीं है, उसको कोई भी उठा सकता है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, उसकी जांच कब तक कराएंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, उसकी जल्द ही जांच करने की कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, थोड़ा सा समय बचा है, मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दे दें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय मंत्री जी, वह कौन सा समय है, जब बिना वित्तीय स्वीकृति के वह मशीन खरीद ली गई है, यही बता दें, तब हम लोग समझ जाएंगे कि इधर की खरीदी है या उधर की खरीदी है? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अब नहीं बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि किस समय का है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, यह पूर्व के समय खरीदी का है और उसका समय मैं आपको बाद में बता दूंगा। (हंसी) निश्चित तिथि मुझे याद नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- ऐसा तो नहीं है कि यह मशीन प्रश्नकर्ता के समय का ही है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, इसलिए तो मंत्री जी कहिस कि जांच कर रहे हैं तो ओ ह चुप बैठ गे । इसलिए बोलिस कि आप कहेंगे तो जांच करा देंगे तो ओ ह चुप बैठ गे।

श्री भूपेश बघेल :- अब आगे प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सुकुड़दुम हो गे हे।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अप्रमाणित/असंपादित के लिए नहीं

सदन को सूचना

प्रश्न संख्या 6 में पूरक प्रश्न नहीं होने के संबंध में

सभापति महोदय :- सभा के द्वारा दिए गए सभापति के दायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप प्रश्न संख्या-6 के प्रश्नकर्ता का नाम नहीं पुकारा गया। क्योंकि प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही प्रश्नोत्तरी सूची के सभी प्रश्न उस दिन की सभा की कार्यवाही का भाग बन जाते हैं, अत: उक्त व्यवस्था के तहत वह प्रश्न भी सभा की कार्यवाही का भाग बन गया है। उसमें मात्र पूरक प्रश्न नहीं पूछे गये हैं।

समय: 12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

सभापति महोदय :- श्री विष्णुदेव साय।

1. **विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचनाएं**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक:-

(i) 114/सी.एस.ई.आर.सी. / 2025, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिये टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025 तथा,

(ii) 115/सी.एस.ई.आर.सी./2025, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025 पटल पर रखता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का नाम पुकारा। उसके बाद श्री केदार कश्यप जी खड़े हुए तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आसंदी ने मुख्यमंत्री जी को पुकारा और आप खड़े होकर पठन किए। आपको बहुत-बहुत बधाई। आप इधर आ जायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं और संसदीय कार्यमंत्री होने के नाते मैं यह पटल पर रख रहा हूं।

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, चौधरी जी कभी गंभीरता से नहीं लेते। वह कहीं बैठे थे, जबकि उनको पठन करना है। जब बजट प्रस्तुत करना था, तब भी 4 मिनट लेट आये थे। आज भी लेट आये हैं। आप वित्त मंत्री जी को प्रताड़ित करिये। वह बार-बार ऐसा विलंब क्यों करते हैं, यह उचित नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं उस दिन भी आ गया था। मैं कुछ अनिवार्य कार्य से व्यस्त था।

श्री भूपेश बघेल :- इससे ज्यादा अनिवार्य कुछ नहीं हो सकता।

श्री ओ.पी. चौधरी :- मैं पहले ही लाकर पटल पर रख चुका था। उसको इस तरह से विषय बनाना उचित नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- यह उचित नहीं है ?

2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में अंतिम तिमाही तथा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 के संदर्भ में प्रथम व द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 307/पीएलजीएमजे/ 845/ 2025- सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025 तथा

(ii) 309/पीएलजीएमजे/ 845 / 2025 सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025 पटल पर रखता हूं।

4. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप):- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूं।

5. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप):- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 15-24/15-2/2023, दिनांक 04दिसंबर, 2024 तथा

(ii) लॉ/762/2025 कॉम. कोऑप. एंड आरसीएस / 76627, दिनांक 20 जून, 2025 पटल पर रखता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों से एक-एक दाना धान खरीदेंगे और धान खरीदी में इतनी ज्यादा अनियमितता हुई कि इनको पिछले साल से भी कम धान मिला। वर्ष 2024-25 को छोड़िए, 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141 लाख 4 हजार 366 मीट्रिक टन ही ये लोग खरीद पाए। धान खरीदी में हमारे सबसे ज्यादा गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका और दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी जो 50 हजार 50 किसानों का पंजीयन हुआ था, उसमें से 41 हजार किसान ही धान बेच पाए। तो इनके द्वारा जो धान खरीदी में जानबूझकर कुप्रबंध किया गया, अनियमितताएं की गईं, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जानबूझ कर धान कम खरीदने की कोशिश की क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। आपने शुरू से किसानों को पंजीयन के मामले में [XX][6] बनाया। [XX] शायद असंसदीय नहीं है? नहीं हो सकता। धोखे में रखा, रकबा सत्यापन के बारे में आपने धोखे में रखा, रकबा को सरेंडर भी कराया, टोकन देने में आपने तीन बार, चार बार घुमाया, दैनिक खरीदी की सीमा में आपने कमी की, घरों में घुस करके भौतिक सत्यापन किया, बोरा भराई के समय ही हमाली लोगों ने चार्ज लिया और इस तरह से आपने पहले दिन से किसानों को चोर समझा और उनका धान न खरीदा जाए, इसके लिए आपने अनेक उपाय किए हैं। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर हमारा स्थगन है, उसको स्वीकार कर लें और हम उस पर पूरी बात रखेंगे कि किस-किस तरीके से इस बार किसान खून के आंसू रो रहे हैं और किस-किस तरीके से आपने उस जमाने से भी जिसे आप अंग्रेजों का जमाना कहते थे, अंग्रेजों के जमाने में भी किसान को इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। मेरा निवेदन है कि हमारा स्थगन स्वीकार करें और इस पर चर्चा कराएं तो हम अन्य बातों को आपके सामने रखेंगे।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी। इसको विलोपित कर देना [XX] बनाया गया।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं जानना चाहता हूं कि [XX] बनाना असंसदीय है? मैं पहले स्वीकार कर लूं, मतलब मैं भी समझ जाऊं कि अगली बार [XX] नहीं बनाऊंगा। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- जो बना रहे थे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, आज और कल बजट पर सामान्य चर्चा है।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सभापति महोदय :- एक मिनट, उमेश पटेल जी बोल रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- मेरा आग्रह है कि इसको अग्राह्य किया जाए।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अभी तो हम लोग शून्यकाल में निवेदन कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, माननीय नेताजी ने सारा डिटेल दिया है। मैं सिर्फ एक जिले की बात करता हूं और क्यों यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी बताऊंगा। जांजगीर-चांपा जिले में सक्ती विधान सभा में 13,999 किसानों का पंजीयन हुआ। पंजीकृत किसानों ने जो के.सी.सी. लिया, वह है 7,838। के.सी.सी. धारक किसान जो धान बेच पाए, वह है 7,587। जो बच गए, उसकी संख्या है 251 और टोटल 8 करोड़ 24 लाख 6 हजार 123 रुपए का भुगतान के.सी.सी. का बचा हुआ है। यह सक्ती विधान सभा का है । सभापति महोदय, जैजैपुर का जाएंगे तो 10,108 किसानों का पंजीयन हुआ, जिसमें 4,275 किसानों ने के.सी.सी. लिया था। के.सी.सी. जो लिए थे, वे किसान जो धान बेच पाए, वह 4,150 है। 125 किसान वहां बच गए हैं और इनका जो टोटल अमाउंट होता है 5 करोड़ 22 लाख 6 हजार 542।

सभापति महोदय, पामगढ़ में 38,743 किसानों ने पंजीकृत किया और इसमें 518 ऐसे किसान बच गए हैं जो के.सी.सी. का अभी उधार लिए हुए हैं और इनका 1 करोड़ 89 लाख 59 हजार 645 होता है। सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं अकलतरा विधान सभा के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें 452 के.सी.सी. धारक ऐसे किसान धान बेचने से बच गये हैं, जिनका टोटल अमाउंट 1 करोड़ 34 लाख 30 हज़ार 347 रूपये होता है। जांजगीर-चांपा जिले में 434 किसान बच गए हैं, जिनका टोटल अमाउंट 2 करोड़ 10 लाख 2 हज़ार 395 रूपये होता है। सिर्फ जांजगीर-चांपा जिले में 1,780 किसान हैं, जिन्होंने के.सी.सी. लिया था, वह धान नहीं बेच पाए हैं और इनका टोटल अमाउंट 6 करोड़ 90 लाख 18 हज़ार 55 रुपये होता है। इतने किसान एक जिले में बचे हैं। अब अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान बच गए हैं, जिन्होंने के.सी.सी. लिया था। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराएं, ताकि हम लोग वृहद रूप से इस विषय पर चर्चा करें। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि या तो उनका कर्ज माफ़ी करें या धान खरीदी को फिर से Open करें।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा :-

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय जी, इस बार धान खरीदी को लेकर इस सरकार ने जो अनियमितता बरती है, उसके कारण बहुत ही लज्जाजनक

स्थिति है। इस बार जिस तरीके से कोरोना महामारी आया, जिसका कोई अंदेशा नहीं था। अचानक से कोरोना महामारी आया और हम सबको इधर से उधर कर दिया। वही स्थिति एक नया शब्द आया, समर्पण। आज तक हमने नहीं सुना था कि रकबा का भी समर्पण होता है। मेरे यहां 1,33,730 लोगों का रकबा समर्पण हो गया है। (शेम-शेम की आवाज) वह भी छोटे किसानों का नहीं, बड़े-बड़े किसानों का भी रकबा समर्पण हो गया है। साथ ही एक छोटा किसान है, जिसके पास 5 एकड़ खेत है। वह मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैडम, मैंने 3 एकड़ का धान बेचा है और 2 एकड़ समर्पण हो गया। वह भी बिना उनकी जानकारी के समर्पण हो गया। वैसे ही इस सरकार के द्वारा 6,826 किसानों का एक भी धान नहीं खरीदा गया है। सभापति महोदय जी, किसान के.सी.सी. से कर्जा लिए रहते हैं। उनका 1 लाख रूपये का कर्जा है, उसको वह कहाँ से चुकाएंगे? जबकि उनका 3 एकड़ खेत है। सभापति महोदय जी, इसको संज्ञान में लीजिये, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा की कार्यवाही रोक कर इसमें चर्चा कराएं।

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र सिंह जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- आदरणीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा जिले के जो आँकड़े सामने आए हैं। उसके अलावा पंजीकृत किसान से जितनी खरीदी हुई है। हमारे जिले में लगभग 7,000 ऐसे किसान हैं, जिन्होंने धान नहीं बेचा। 1,60,000 क्विंटल कम धान की खरीदी हुई है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक आदमी ने जहर पी लिया और जहर पीने के बाद दूसरे दिन उसका धान खरीदा गया। एक आदमी टावर पर चढ़ गया, उसको नीचे लाया गया और उसके बाद उसको जांजगीर-चांपा विधान सभा के जेल भेज दिया गया। इसके अलावा हमारे जिले की 6.5 करोड़ की राशि ऐसी है, जिन्होंने के.सी.सी. लिया था और वे किसान धान नहीं बेच पाए हैं। इसलिए लिंकिंग के माध्यम से उनका धान खरीदे जाने का औचित्य बनता है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करें और इस पर चर्चा कराएं।

सभापति महोदय :- ब्यास कश्यप जी।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं खेती-किसानी के संबंध में कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आज भी पूर्व में खरीदे गए 149 लाख मीट्रिक टन के बदले जब हम प्रत्येक दाना को खरीदने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार 141 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीदी कर पाए, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी नहीं हो पाई है। जांजगीर-चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है

और उस पर पटेल जी ने और हमारे राघवेंद्र भाई ने भी चिंता व्यक्त की है। निश्चित रूप से मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूँ। पूर्व में 96% किसानों की धान खरीदी हुई थी और इस बार मात्र 93% किसानों की धान ही खरीद पाए हैं। 6.5 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण की वसूली अभी भी बाकी है और मार्च के बाद वह ऋण बढ़ जाएगा। भविष्य में उन किसानों को के.सी.सी. से न ऋण मिल पाएगा, न खाद मिल पाएगा। सभापति महोदय, हम इसमें इसलिए चर्चा कराना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मंत्री 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की बात करते हैं और 141 लाख मीट्रिक टन पर आकर रुक गए हैं। अभी भी किसानों के पास धान रखा हुआ है। उनके धान को लिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम लिंकिंग का धान लें, ताकि वे किसान ऋण मुक्त हो जाए और भविष्य में बेहतर खेती करने के लिए वे फिर से तैयारी करें। अन्यथा जो घटना घटी है। माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर विषय है। हमारे जिले में कई लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। वे टावर पर चढ़ गए थे। यहाँ के किसान लोग सेवा सहकारी समिति में...।

सभापति महोदय :- एक सदस्य शून्यकाल में एक ही उठाते हैं, दो नहीं ।

श्री ब्यास कश्यप :- गेट बंद कर दिये और गेट बंद करने के बाद उनके ऊपर एफ.आई.आर. हुई है । एफ.आई.आर. होने के बाद उनको जेल में डाला गया है और बार-बार पेशी जा रहे हैं । पेशी को कम से कम बंद करने के लिये एफ.आई.आर.खत्म करें ।

सभापति महोदय :- ब्यास कश्यप जी, बैठ जाईये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, आज का स्थगन इसलिये आवश्यक है कि धान खरीदी में बहुत परेशानी हुई है । मेरे क्षेत्र के गरीब किसान, 2 एकड़ का किसान ब्लेड चलाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है।आज भी वह स्वस्थ नहीं है, सरकार के इस कार्यकाल में प्रशासन के द्वारा किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया है, किसानों के धान की खरीदी नहीं हुई है, गांजा बेचने वालों के लिये जो व्यवहार नहीं हुआ है, अफीम-चरस वाले डेढ़-दो करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, किसानों के साथ ऐसे व्यवहार किया गया है जैसे कि वह चोरी का धान रखा हो । माननीय सभापति महोदय, सरकार बोलती है कि हम किसानों का धान खरीदे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चर्चा से भाग रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप चर्चा स्वीकार कीजिए और अगर फिर से धान खरीदी नहीं होती है तो जिन किसानों का धान नहीं बिका है, उसका कर्जा माफ होना चाहिये। किसानों का धान

जो 3100 रूपये में बिकना था वह धान 1800 रूपये में बिक रहा है। विपक्ष की मांग पर फिर से धान खरीदी हो, किसान अभी भी धान रखे हुये हैं । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ ला कथे, धान के कटोरा । छत्तीसगढ़ के आय के मूल साधन सिर्फ खेती-किसानी अऊ धान-चांऊर से इंहा के जीवन चलथे । आप भी किसान घर के बेटा अव । अऊ जे प्रकार ले किसान के छत्तीसगढ़ में दुर्दशा होवथे, किसान के घर में पुलिस वाला इंडा हिलाके बात करथे तेखर पायके किसान सहमे हुये हे । एमन किसान के ऑंसू पोंछबो करके आगिन, किसान के आंसू पोंछबो, वोमन ला आगू बढ़ाबो, दुनिया भर के सपना देखाके आईन हे, आज किसान के घर म पुलिस दरोगा भेजथव ? सभापति महोदय, मोर आपसे निवेदन हे कि यदि प्रताड़ित किसान के इंहा चर्चा नई होही त काखर चर्चा होही ? बाकी काम ला रोकव, छत्तीसगढ़ के मूल किसान के चर्चा इंहा होना चाहिये। वोखर दुख-दर्द के इंहा बात होना चाहिये। एखर निवेदन हे।

सभापति महोदय :- श्री बालेश्वर साहू।

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार जो एक-एक दाना धान खरीदे के बात करे रहिसे, अऊ जौन हिसाब से किसान मन के दु:ख-दर्द ला नई देखिस । धान खरीदी हो चुके हे, हमन स्थगन प्रस्ताव लाय हवन। जे किसान धान नइ बेच पाय हे, वोखर लिये सरकार से आग्रह हे कि आप मन कर्ज माफी करव । जो किसान राईस मिलर ला बेचे हे या अऊ दुकान में बेचे हे, वोखर जतका अंतर के राशि बनथे, वोला जो आप मन अंतर के राशि भुगतान करिहव तत्काल भुगतान किये जाये । अइसे मैं मांग करथंव । आज के स्थगन प्रस्ताव म ऐला आग्रह करके आप मन चर्चा करावव । मैं आपसे ये निवेदन करथंव ।

सभापति महोदय :- श्री विक्रम मण्डावी जी ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों के प्रदेश के रूप में पूरे देश में है । छत्तीसगढ़ का किसान चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, यहां आत्मनिर्भरता खेती-किसानी पर ही है । वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में जिस तरह से किसानों का धान लेना था, उसमें 2 लाख 11 हजार 832 किसान प्रदेश में धान नहीं बेच पाये हैं । यह स्थिति पूरे प्रदेश में है । हम बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, जशपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर 10 हजार से ज्यादा किसान धान नहीं बेच पाये हैं । 2

लाख से ऊपर जो किसान है, उसमें से 1 लाख 32 हजार 374 जो किसान है, वह अनुसूचित क्षेत्र के हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले किसान है, गरीब वर्ग के लोग हैं । सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसानों के जो महत्वपूर्ण विषय है, उस पर स्थगन के माध्यम से सदन में चर्चा की जाये। धन्यवाद।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। सरकार धान खरीदी में इस समय किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, वह ठीक नहीं है। तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी जाकर छोटे-छोटे किसान को इतना प्रताड़ित किए हैं कि धान का एक बिगा नहीं बेच पाए। उनको परेशान किए, घर में चेकिंग करने गए। खुज्जी विधानसभा में बोहरन भेड़ी का एक ऐसा किसान है जिसकी 12 एकड़ जमीन है, दो गांव में उसकी कृषि जमीन है, उसका टोकन कट गया था और उन्होंने टोकन के हिसाब से तैयारी की। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, दूसरे गांव के धान को जहां उनको बेचना था, वहां लाना था। वहां पर कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी जाकर उनको मना कर दिए। उन्होंने बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर लिया था। उसकी वसूली की कार्रवाई जारी थी तो उसने चार दिन समय मांगा कि भाई मेरे धान बिकने दीजिए उसके बाद मैं लोन पटा दूंगा। उन्होंने मना कर दिया और दूसरे दिन बोहरन भेड़ी के आदमी ने आत्महत्या कर ली। (शेम-शेम की आवाज) इस प्रकार यह सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए जो स्थगन प्रस्ताव है उसको स्वीकार करके चर्चा कराई जाए, यह निवेदन है।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आज नेता जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मेरे सिहावा विधानसभा में एक राजकुमार नाम का किसान जो 65 क्विंटल धान लेकर सोसाइटी में जा रहा था, वह 45 क्विंटल धान मंडी में ले गया। 15 क्विंटल धान को रास्ते में पटवारी और जितनी समिति बनी थी, उन लोगों के द्वारा उनको समर्पण में जबरदस्ती दस्तखत करा करके उनके धान को रोका गया। उसने 15 क्विंटल धान को मेरे कार्यालय में लाकर रख दिया। वह किसान मेरे धान को खरीद नहीं रहे हैं करके बहुत प्रताड़ित हुआ, उस किसान को दूसरे दिन अटैक भी आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और आज तक उसके 15 क्विंटल धान को नहीं लिया गया। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि किसानों का मामला है। इसलिए इसे चर्चा कराई जानी चाहिए। मेरे सिहावा विधानसभा

क्षेत्र में आज भी बोरई क्षेत्र से 120 क्विंटल धान पकड़ाया है। इसलिए इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, बालोद जिला कृषि के लिए जाना जाता है। लेकिन 1,55,119 किसान की संख्या है और केवल 1,30,000 किसान ही धान बेच पाए। पूर्व विधायक को धान बेचने के लिए रात भर सोसाइटी में धरना देना पड़ा, पूर्व जनपद अध्यक्ष को धान बेचने के लिए सोसाइटी में बैठना पड़ा है, प्राधिकृत अधिकारी को धान बेचने के लिए अपने सोसाइटी में बैठना पड़ा है। ये स्थिति अमूमन बालोद जिला में थी। अभी तक 8,725 किसान एक भी बार धान नहीं बेच पाए। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्जा लिया था तो क्या ऐसे किसान जिनके धान नहीं बिके उनका कर्जा माफ होगा ? मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं जो हमारे नेता जी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है, उसे स्वीकार करके इस सदन में चर्चा कराई जाए।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आज जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी लोग किसान हैं और किसान के बारे में आज हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन लाया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोसमर्रा ग्राम का एक किसान अपना धान बेचने गया, वहाँ पर धान बेचने के लिए टोकन भी कट गया था लेकिन उस किसान को यह कहा गया कि आपका धान पुराना है, जबकि वह 40-50 एकड़ जमीन वाला किसान है, उसके बाद उसके घर में जाकर पटवारी, तहसीलदार ने छापा मारा और उसके धान को जब्त कर लिया गया। इस तरह से हमारे किसान को परेशान किया गया है। एक 3 एकड़ जमीन वाला छोटा सा किसान था और उसकी 8 डिसमिल का ही धान लिया गया। वह बेचारा किसान दूसरे-तीसरे दिन आकर कलेक्ट्रेट में आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। मैं बस अंत में इतना ही बोलना चाहती हूँ :-

"जाति-धर्म का सौदा करने वाले, इंसान की कीमत क्या जानें,

जो फसल की कीमत दे न सके, वह किसान की कीमत क्या जानें।"

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, धन्यवाद।

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, आज जो स्थगन लाया गया है वह स्थगन किसानों के लिए है और किसान का दर्द आज हम लोग समझ रहे हैं, हमारी पार्टी समझ रही है और निश्चित ही यह स्थगन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला का नाम आता है और धनहा धमतरी के नाम से धमतरी को जाना जाता है और धमतरी में जिस प्रकार से इस सरकार में किसानों की दुर्गति हुई है, वह कभी नहीं हुई है। इतिहास गवाह रहेगा कि आज जिस प्रकार से किसान को उसकी उपज का सही मूल्य प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस सरकार में समर्पण के नाम से किसानों को ठगा जा रहा है। जिस प्रकार से रकबा समर्पण हुआ और छोटे-छोटे किसान, जिनकी 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ भूमि है, वह किसान आज त्रस्त और परेशान हैं। साथ ही साथ जो किसान के.सी.सी. या कर्जा लिए हुए हैं, उन किसानों का धान लिंकिंग के माध्यम से कर्ज माफी की घोषणा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति जी, हमारा छत्तीसगढ़ किसान का राज्य है, जहां आम जनता की आर्थिक स्थिति सिर्फ किसानी के भरोसे तय है कि वह अपनी जिंदगी कैसे बिताये। उसमें आज 2 लाख से अधिक अन्नदाताओं का धान समर्थन मूल्य के रूप में नहीं बिक पाया है। शुरुआत में मेरे डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब गिरदावरी हुई, उसका सर्वे हुआ तो वहां के पढ़े-लिखे लोगों को दे दिया गया और गलत रिपोर्ट के कारण बहुत से किसानों का रकबा शून्य हुआ। उसके बाद जब शिकायतें हुईं तो उसमें आधा रकबा को लिया गया और आधे को नहीं ले पाये। उसके बाद भी बहुत से किसान आज धान नहीं बेच पाये हैं और उनको रकबा समर्पण भी कराया गया। बहुत से बड़े व छोटे किसान आज भी वंचित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज नहीं आये हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके क्षेत्र में भी 50,000 किसानों का पंजीयन करवाया गया था, लेकिन 41,092 किसान ही धान बेच पाये और 8,958 किसान धान बेचने से वंचित हैं तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि हमारे स्थगन पर चर्चा करानी चाहिए।

सभापति महोदय :- हो गया। अब अंतिम है। लगभग सारे सदस्य बोल चुके हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह कल्पना की गई थी कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का भला होगा। वर्ष 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया और धान का मूल्य 2100 रूपये किया गया तो लोग किसानी की तरफ वापस लौटे। परंतु जब से यह सरकार आई है, तब से किसानों को लगातार हतोत्साहित कर रही है। पहले गिरदावरी के नाम पर, फिर एग्रीटेक के नाम पर लगातार किसानों के रकबे काटे जा रहे हैं और किसान इस तरीके से परेशान है कि वह कर्जा ले चुका है। पहले पटवारी जाता है, वह बोलता है कि गिरदावरी में आपका धान चढ़ाने के लिए मैं पैसा लूंगा। एग्रीटेक वाला अपने पैसे की मांग करता है। एक किसान के साथ तो ऐसा हुआ कि उसका टोकन कटा था और टोकन कटने के बाद उसको देखने के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए पहले पटवारी गया और वह आकर रिपोर्ट दिया तो तहसीलदार बोला कि मैं नहीं मानूंगा, मैं अलग से करूंगा। बाद में उससे पैसे की मांग की गई ताकि जब वह पैसा देगा, तब उसका धान बिकेगा। वह बेचारा किसान क्या करता? उसकी मजबूरी थी कि उसके पास जो 150 क्विंटल धान रखा हुआ था, अगर वह नहीं बिकता तो वह सड़क पर आ जाता। इस तरीके से लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, लगातार खेती से उन्मुख किया जा रहा है। यह सरकार किसानों के साथ नहीं है, इसलिए हमारे नेता जी का जो स्थगन है, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किस तरीके का धोखा हो रहा है। धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, होली के पहले प्रदेश के किसानों को 10,200 करोड़ रूपये का बोनस जाने वाला है। इससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। इससे निकल नहीं पा रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसान का धान नहीं बिका है। (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- आप पूरा धान तो खरीद नहीं पा रहे हो। धान तो पूरा खरीद लो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सभी सदस्य बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- यह डायवर्सन का मामला नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री विक्रम मंडावी :- आप कम धान खरीदवाये हो। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अगर आपमें नैतिक साहस है तो इस विषय में चर्चा करवाइये। यह बीच में टोकने का काम न करें। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप चर्चा करवाइये न। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना अंतर्गत। भूपेश जी, आप बोलेंगे।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- सभापति महोदय, हम लोग तो बोलने वाले हैं। शुक्ला जी को तो आपने मौका नहीं दिया था, लेकिन वह आसंदी की अनुमति के बिना खुद ही खड़े होकर बोल लिए। हम लोग स्थगन पर चर्चा कर रहे थे तो अचानक वह खड़े हो गए। विपक्ष ने स्थगन लाया है और सरकार ने पहले से मन बना लिया है कि हमको इसमें चर्चा नहीं करानी है। जैसे ही नेता जी ने और उसके बाद दूसरा, उमेश पटेल जी ने बात रखी तो तत्काल केदार कश्यप जी खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि इसमें चर्चा नहीं होगी। उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे बोलने दीजिए। आपने जो कहा, मैंने उतना ही बोला है। आपकी मंशा पहले से ही स्पष्ट हो गई थी कि आप स्थगन ग्राह्य नहीं कराएंगे। सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि किसानों के मामले में सारे सदस्य आंकड़ों सहित बात कर रहे हैं। कितने किसान पंजीकृत हुए, कितने धान बेचे, कितने समर्पण कराए, कितने का धान कटा, कितने का एग्रोटेक में समर्पण हुआ, कितने जबरिया समर्पण कराए गए, कितने किसान आत्महत्या किए, किसका कितना गला कटा, कितना टोकन कटा, माननीय सदस्यों ने यह सारी बातें कही। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस सरकार का फैसला होता, तो यह फैसला कभी नहीं करते। लेकिन यहाँ अधिकारी राज चल रहा है और अधिकारियों को किसी के मान-सम्मान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपने मान-सम्मान से मतलब है। हमारे नेता जी ने कहा कि किसानों को चोर समझा गया? आप बिना पूछे उसके घर में, बिना नोटिस के किसान के खलिहान में कैसे प्रवेश कर गए? किसी की संपत्ति में, किसी के घर में, किसी की बाड़ी में, किसी के खलिहान में आप प्रवेश करने वाले होते कौन हैं? आपने उन्हें चोर समझ लिया? आपने

उन्हें कौन-सा नोटिस दिया? सभापति महोदय, मैं बताता हूँ। यह लोग मेरे घर में, मेरे खलिहान में गए। आपने मुझे कौन-सा नोटिस दिया था? मेरी गलती केवल इतनी है कि मैंने धान बेचने के लिए टोकन माँगा था। मैंने दो बार धान बेचा, तब कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन तीसरे टोकन में वे मेरे घर में, मेरे खलिहान में आ गए और फोटो खींची। मैं तो दिल्ली में था। यदि मुझे पता चलता तो मैं इन्हें प्रवेश करने नहीं देता। सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि यह किस अधिकार से मेरे खलिहान में प्रवेश किए ? यह उसका नाम बताएं और वे क्यों गए थे यह बताएं ? यह अपमानित करने का माध्यम बना लिए हैं। आप पूरे प्रदेश के किसानों को अपमानित कर रहे हैं। सभापति महोदय, यदि आप इस मामले में चर्चा नहीं करायेंगे तो फिर किसमें चर्चा होगी? सभापति महोदय, हम तो आपसे माँग करते हैं लेकिन इन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया। इन्होंने फैसला कर दिया कि इसमें चर्चा नहीं होगी क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो अध्यक्ष भी रहे हैं, आप पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, विधान सभा के भी अध्यक्ष रहे है और अभी सभापति के पद में भी हैं, आप किसान पुत्र हैं, किसान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी ग्राह्यता पर चर्चा कराएं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अभी बोल रहा हूँ। सभापति महोदय ने मुझे अनुमति दी है। मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य यहां पर भाषण दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ।

श्री केदार कश्यप :- आप अपना विषय रखिये।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अपना विषय ही रख रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भपेश बघेल :- किसको दबाव में ? (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- दबाव बनाने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- धमकाना बंद करें। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- हम किसानों के हक में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप अपमानित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आप अधिकारी राज की बात किसके लिए कर रहे हैं ? आपके समय में अधिकारियों का राज चलता था। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- (व्यवधान) नहीं भेजते अधिकारियों और कर्मचारियों को । (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आपके समय में अधिकारी राज चलता था।

श्री भूपेश बघेल :- आप की सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों के मान-अपमान से कोई लेना-देना नहीं है। यह बलात मेरे परिसर में घुसे। यह होते कौन हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार के (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप ही बताइए। (व्यवधान) यह मेरे परिसर में घुस गए, यह किसानों के परिसर में घुस गए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, क्या इनमें नैतिक साहस बचा है कि यह किसानों के विषय पर चर्चा कर सकें?

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्थगन ग्राह्य करके चर्चा कराएं। आप ग्राह्यता में चर्चा करा लें। वह भी नहीं होता? सभापति महोदय, मैं आपसे यह चाहता हूँ कि कम से कम इस विभाग से जवाब तो मांग लें, आंकड़े तो आ जाएं। नेता जी ने जो बात कही, वह उन्होंने सारे आंकड़े सहित बात कही । सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम सरकार से जवाब तो लें।

सभापति महोदय :- मैंने लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया और इस विषय को लेकर आप लोगों को जो अपनी बात रखनी चाहिए थी, आप लोगों ने लगभग अपनी बात रखी है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना अंतर्गत राज्य सरकार के कुप्रबंधन तथा अनियमितता को रोकने में विफलता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं माननीय सदस्यों के द्वारा, प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की

सूचना मुझे आज प्राप्त हुई। इस संबंध में जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त किया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आपने इतना आग्रह करते हैं कि आप स्थगन का वाचन तो कर दें।

सभापति महोदय :- मेरा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यह बजट सत्र है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बजट सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती। बजट सत्र के दौरान आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा सहित सभी विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा के अवसर आपको उपलब्ध होंगे जिन पर चर्चा के दौरान अपने विषय पर विस्तार से बात रख सकते हैं। आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया चर्चा में भाग लें। मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों एवं संसदीय कार्य मंत्री के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बाकी विषयों में दिन भर बोलने का अवसर मिलेगा, आप चर्चा करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो किसानों के साथ धोखा है। किसानों के साथ अपमान है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं होगी तो क्या होगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किये।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय 12.37 बजे **<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>**

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़ करके गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं:-

01. डॉ. चरणदास महंत

02. श्री भूपेश बघेल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

03. श्री कवासी लखमा

04. श्रीमती अनिला भेंडिया

05. श्री उमेश पटेल

06. श्री लखेश्वर बघेल

07. श्री दलेश्वर साहू

08. श्री भोलाराम साहू

09. श्री लालजीत सिंह राठिया

10. श्री दिलीप लहरिया

11. श्री रामकुमार यादव

12. श्री द्वारिकाधीश यादव

13. श्रीमती अंबिका मरकाम

14. श्रीमती संगीता सिन्हा

15. श्री कुंवर सिंह निषाद

16. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा

17. श्री इन्द्र शाह मंडावी

18. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े

19.. श्री विक्रम मंडावी

20. श्रीमती विद्यावती सिदार

21. श्री फूल सिंह राठिया

22. श्री अटल श्रीवास्तव

23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

24. श्री ब्यास कश्यप

25. श्री बालेश्वर साहू

26. श्रीमती शेषराज हरवंश

27. श्रीमती चातुरी नंद

28. श्री इन्द्र साव

29. श्री जनक ध्रुव

30. श्री ओंकार साहू

31. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर गये)

समय : 12.38 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

सभापति महोदय :- प्रकिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- श्री सुनील सोनी जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

सदन को सूचना

अशांकित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री श्यामबिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें। श्री सुनील सोनी जी ।

समय: 12.41 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

(1) मदिरा दुकान एवं अहाता आवंटन हेतु स्थान चयन के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाना

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर, दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में मदिरा दुकानों एवं अहाता आबंटन हेतु स्थान चयन के मापदण्ड के बिना शहर के रिहायशी क्षेत्रों, व्यस्तम एवं धार्मिक मार्गों तथा विद्यालयों जैसे संवेदनशील स्थानों पर मदिरा दुकानों एवं अहाता का आबंटन कर दिया गया है एवं कालांतर में उसके आसपास घनी बस्ती/धार्मिक स्थल/विद्यालय का निर्माण हो जाने पर तो उस स्थान से मदिरा दुकान के विस्थापन हेतु आमजनों द्वारा मांग किये जाने पर भी शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जिस कारण आम जनताओं में शासन, प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में मदिरा दुकानों एवं अहाता आबंटन हेतु स्थान चयन के मापदण्ड के बिना शहर के रिहायशी क्षेत्रों/व्यस्ततम मार्गों/धार्मिक मार्गों/विद्यालयों जैसे संवेदनशील स्थानों पर मदिरा दुकानों एवं अहाता का आबंटन कर दिया गया है । राज्य में समस्त मदिरा दुकानें एवं सम्बद्ध अहाते छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों

के तहत ही अवस्थित हैं।

यह कहना भी सही नहीं है कि कालांतर में उसके आसपास घनी/धार्मिक स्थल/विद्यालय का निर्माण हो जाने पर तो उस स्थान से मदिरा दुकान के विस्थापन हेतु आमजनों द्वारा मांग किये जाने पर भी शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है अपितु विभाग को किसी भी मदिरा दुकान तथा सम्बद्ध अहाते की नियम विपरीत अवस्थिति के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच उपरांत स्थानांतरण की कार्रवाई की जाती है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि आम जनता में शासन, प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मुझे ध्यान नहीं है कि आजतक किसी जनप्रतिनिधि की बैठक करके कलेक्टर के माध्यम से या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वह कभी भी अवगत नहीं कराया कि यहां पर दुकान खुलेगी, आपकी आपत्ति है क्या ? क्या आपको इसके अंदर में कोई दिक्कत है ? लेकिन इस प्रकार का कोई भी कदम आज तक नहीं उठाया गया है और उसका परिणाम है, मैं आपके सामने जितना माननीय मंत्री जी ने प्रश्न किया है, मैं आपको फोटोसहित दे सकता हूं कि आज आप कटोरा तालाब जो रायपुर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, जयस्तम्भ के बाद में सबसे ज्यादा कटोरा तालाब में ट्रेफिक जाम रहता है, मेन रोड के ऊपर में शराब की दुकान है और यह फोटोग्राफ से बाजू में एक ही दीवाल के अंदर में मंदिर भी है, एक ही दीवाल है, दुकान की ही दीवाल के अंदर में मंदिर है और केवल मदिरा दुकान नहीं है, वहां पर अहाता भी बना दिया तो वहां से जो भीड़ जब ट्रेफिक में फंसकर खड़ी होती है तो उस अहाता से निकलने वाले जो मदमस्त लोग हैं, वह या तो वहां पर छेड़खानी करते हैं या फिर किसी के स्कूटर को पीछे से खिंचना चालू कर देते हैं। कुल मिलाकर वहां पर अपराधी तत्वों का जमावड़ा हो गया है। मेरा रोज का वहां से आना-जाना है। मैं देखता हूँ कि अगर वहां पर सबसे ज्यादा जमावड़ा होता है और वहां पर ट्रैफिक भी है। एक तरफ हमारे पुलिस कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने का काम कर रहे हैं। वह चौक-चौराहे, अण्डर ब्रिज में व्यवस्था सुधारने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे व्यवस्तत् मार्ग के अंदर में है इसी प्रकार से आप देखेंगे फोर लेन के सर्विस रोड में भाठागांव के अंदर में वहां पर वालफोर्ट सहित अनेक लोग हजारों की संख्या में रहते हैं और वहां पर सर्विस लेन में ...।

समय:12.46 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, वहां पर सर्विस लेन में दारू की दुकान है, शराब की दुकान है वहां पर अहाता है, वहां के लोगों और महिलाओं के लिए कोई दूसरा रास्ता घर जाने का नहीं है जब वह उस रास्ते से जाते हैं तब वहां पर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जात है। इसी प्रकार से संतोषी नगर मुश्किल से 20 से 25 ...।

सभापति महोदय :- अब हो गया। आप मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे प्रश्न ही कर रहा हूँ कि मुझको जितना जवाब दिया गया है। इन सारे स्थानों पर संतोषी नगर सहित शराब की दुकानें हैं मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इन दुकानों को व्यवस्थापित कर दीजिए और कहीं दूसरे अन्यत्र स्थान पर ले जाईये।

श्री लखन लाल देवांगन :- :- माननीय सभापति महोदय, कटोरा तालाब का दुकान लगभग 20 वर्षों से संचालित है और माननीय सदस्य जी ने कहा है कि वह मंदिर से सटा हुआ है। अगर वह मंदिर से सटा हुआ होगा तो हम उसका परीक्षण करवा लेंगे और निश्चित तौर पर उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, आप भाठागांव का भी बता दीजिए?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप एक मिनट बैठिये। मैं सबको मौका दूंगा। पहले मूल ध्यानाकर्षण वाले का प्रश्न हो जाने दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- उनका प्रश्न हो गया है।

सभापति महोदय :- आपको कहां-कहां का पूछना है आप एक बार में पूछ लीजिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, भाठागांव फोरलेन सर्विस लेन, सर्विस रोड के अंदर में है। वहां पर हजारों की संख्या में रहवासी हैं वहां से माता-बहनें और सब लोग आते जाते हैं। सर्विस लेन में अहाता होना, वह अपने आप में दुर्भाग्य है ।

सभापति महोदय :- आप एक लाईन में बताईये। आप कौन सी दुकान के बारे में बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मैं भाठागांव दुकान के बारे में बोल रहा हूँ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 19.02.2026 को इससे पहले हमारे आबकारी सचिव ने दिनांक 11.02.2026 को इस तरह के आदेश सभी कलेक्टरों को जारी किया है जिसमें समस्त संभाग आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, रेंज के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026 के संबंध में ली गई बैठक में प्रदेश में संचालित समस्त मदिरा दुकान किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल आदि से 100 मीटर की दूरी पर आपत्ति रहित स्थल पर संचालित हो, इसकी जांच संबंधित जिले के राजस्व अधिकारी एवं आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा किये जाने तथा जिला कलेक्टर एवं आबकारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र शीघ्र, अतिशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मदिरा दुकान की जांच के समय, मदिरा दुकान के संबंध अस्पताल, संबंध अहातों की जांच निम्नानुसार संचलित सुनिश्चित किये जाने एवं संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रेषित शीघ्र, अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि जितने भी इस तरह के प्रदेश में कोई भी आपत्तिजनक स्थल में संचालित हो रहे हैं, उसका कलेक्टर से प्रतिवेदन आ जाएगा, हम उसको हस्तांतरित कर देंगे।

सभापति महोदय :- माननीय सुशांत शुक्ला जी आप प्रश्न कर लीजिए। मैं सबको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है।

सभापति महोदय :- आप प्वाईंटेड प्रश्न कर लीजिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्वाईंटेड प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है वह प्रशासनिक तौर पर पूर्णत: मिथ्या है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको उसका तथ्य देता हूं ।

सभापति महोदय :- जो भी हों, आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, आप खुद बिलासपुर के निवासी हैं । लिंगियाडीह मुख्य मार्ग से लगा हुआ एक दुकान है, वहां पर पूर्ववर्ती सरकार ने दुकान संचालित करने के लिए गुप्ता जी की जमीन को किराए पर लिया। प्रशासनिक लचरता यह देखिए कि उसकी अतिरिक्त जमीन पर कब्जा करके बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुबंध के चखना दुकान चलाया जाता है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं प्रश्न की ही बात कर रहा हूं। चाटीडीह मुख्य बाजार के अंदर दुकान चल रही है, उसे हटाने के लिए 20 बार पत्र लिखे गए, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। बिरकोना में चखना दुकान खोलने के लिए इन्होंने निविदा तो की, लेकिन कोई नियमावली नहीं बनाई । मैं प्रश्न पर आता हूं ।

सभापति महोदय :- आप जनरल बात कर रहे हैं । आप प्वाइंटेड प्रश्न पूछिए कि इन-इन दुकानों को आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे?

श्री सुशांत शुक्ला :- प्रश्न उसी के बाद आएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप ध्यानाकर्षण को पढ़ेंगे तो स्पेशिफिक पूछा ही नहीं गया है । वह एक-एक जगह के एक-एक दुकान के बारे में पूछेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा । आप ध्यानाकर्षण के कंटेंट को देख लीजिए।

सभापति महोदय :- यह बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हैं, उसमें माननीय मंत्री जी पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं । अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं पूरी बात करने के बाद एक प्रश्न पूछूंगा। बिरकोना में जल संसाधन विभाग की जमीन पर कब्जा करके चखना दुकान चलाया जा रहा है, अधिकारियों को बोला गया है, पर वे नहीं सुनते हैं । अशोक नगर चौक पर रिहायशी कालोनी के बगल में और जंक्शन के पास दुकानें चलाई जा रही है। सभापति महोदय, यह आप की जानकारी में भी है। बिरकोना रोड पर रिहायशी कालोनी के बगल में दुकान चलाई जा रही है, उसकी जानकारी आपको भी है। कोनी में शैक्षणिक केन्द्र के बगल में दुकान चलाई जा रही है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, ऐसे में तो दो दिन लग जाएगा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, मैंने जितना विषय उठाया है, उस पर कब तक कार्रवाई कर देंगे, यह बता दें?

सभापति महोदय :- आपको जो-जो आपत्ति है, आप मंत्री जी को दे दीजिए। मंत्री जी उसमें आपको आश्वासन देंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, दे-देकर थक गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है।

सभापति महोदय :- विधान सभा में बात हो रही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं विधान सभा में बता रहा हूं । मैं आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं ?

सभापति महोदय :- विधान सभा में बात हो रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, आपको न बताएं तो किसको बताएं, सदन के अंदर बात न रखें तो किसको बताएं?

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से बोलिए न, मैं बोल रहा हूं। मंत्री जी, इनकी बातों का जवाब दीजिए ।

श्री लखन लाल देवांगन :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण लगाया है, वह उससे अलग हटकर है और उनको जो आपत्ति है तो वे लिखकर दे देंगे, हम उसका परीक्षण करा लेंगे ।

सभापति महोदय :- मैंने यही कहा है। मूणत जी, आप पूछ लीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- मूणत जी का क्या लेना-देना है?

सभापति महोदय :- लेकिन अब लेना-देना है न।

श्री राजेश मूणत :- उससे लेना-देना नहीं है।

सभापति महोदय :- प्रश्न से लेना देना है।

श्री राजेश मूणत :- मेरा तो सरकार से प्रश्न है। क्या दुकान खोलने के पूर्व कोई सर्वे होता है ? आपने अपने उत्तर में कहा कि 100 मीटर के दायरे में स्कूल, मंदिर, संस्थान् होगी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो क्या दुकान खोलने के पहले आपत्ति या अनापत्ति आई क्या या आप भविष्य में कहां-कहां दुकान खोलते हैं? मैं आपको राजधानी के कई उदाहरण दे दूंगा।

सभापति महोदय :- मूणत साहब, आपका प्रश्न सिर्फ ध्यानाकर्षण से संबंधित नहीं है ।

श्री राजेश मूणत :- इसी से है मैं इसलिए बता रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप एक जनरल प्रश्न पूछ लीजिए न।

श्री राजेश मूणत :- मैं यही कह रहा हूं कि कटोरा तालाब के अंदर दुकान और मंदिर पास-पास हैं । यदि आप कहेंगे तो मैं फोटो दिखा देता हूं ।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं?

श्री राजेश मूणत :- मंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि दिखवा लेंगे। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो क्या आपकी कोई पॉलिसी है कि कहां दुकान खुलना चाहिए और कहां अहाता खुलना चाहिए? मैं इतना ही तो पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है क्या?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, कटोरा तालाब के बारे में पहले ही माननीय सदस्य ने पूछा, उसके बारे में मैंने उत्तर दे दिया है । आबकारी विभाग का जो नियम है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा-छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 सामान्य प्रयोजन नियम अनुसार किसी फुटकर दुकान को परिसर में अहाता संचालन करने की अनुमति देने के पूर्व निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाएगा । यदि दुकान पंजीकृत किसी मील, कारखाने जहां न्यूनतम 150 श्रमिक नियोजित हों तो मील से 100 मीटर या उससे अधिक दूरी स्थित है, किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था अस्पताल, अनुसूचित जातियों की कॉलोनी, 100 परिवार, श्रमिक कालोनी न्यूनतम 100 परिवार, पेट्रोल पम्प न्यूनतम 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है । राष्ट्रीय राजमार्ग में लगी हुई जगह पर शराब दुकान नहीं होगी, किन्तु उन राष्ट्रीय राजमार्गों में नियम लागू नहीं होंगे, जो किसी नगरीय निकाय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं । मदिरा दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से पांच सौ मीटर की दूरी पर स्थित, भीतर स्थित नहीं होगी। परन्तु 20 हजार या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में दूरी 220 मीटर से कम नहीं होगी।

सभापति महोदय :- ठीक है, हो गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपने इसमें जो कहा है, मैंने भी उसको पढ़ा है तभी इस बात को पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एन.एच. के किनारे कोई भी दारू की भट्ठी या दुकान नहीं खुल सकती है, यह आपके एक्ट में स्पष्ट है। उसके बाद भांटागांव, सरोना, रायपुरा, मेन रोड के ऊपर सर्विस रोड के ऊपर पूरी दुकान खुली है। आपके लोगों ने उसकी परमिशन दी है। यहां तक कि तेलघानी नाका जहां पर रायपुर का सबसे बड़ा जाम लगता है, वहां पर प्रशासन ने लिखकर दी है कि तेलघानी नाका, वहीं पर पूरा जाम लगता है और वहीं पर पूरी भट्ठी है। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप जो पालिसी बता रहे हैं, उस पालिसी के ऊपर वाकई में नीचे स्तर पर क्या इसकी एक कमेटी बनाकर पुन: परीक्षण करायेंगे ? यही मेरा आपसे आग्रह है। अगर वह वाकई में पालिसी में है तो आप दुकान खोलिये। अगर आपत्ति है तो उसका समाधान कर दीजिये, हम इतना ही तो चाहते हैं।

सभापति महोदय :- आप दिखवा लीजियेगा।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि इसकी बैठकर लेकर कलेक्टर और संभाग आयुक्त, सभी को निर्देशित किया गया है कि आप इस पर प्रतिवेदन भेजे ताकि आपत्ति वाली जगह से दुकान हटाया जा सके। इसको मैंने पहले ही बता दिया है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, सदस्य जो बोल रहे हैं, आप चेक करवा लीजिये।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय के बारे में भी बताया कि नगरीय प्रशासन को भी गया है।

सभापति महोदय :- आप दिखवा लीजियेगा। आपने जवाब दे दिया है।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, खरोरा-कठिया रोड में शराब की दुकान है। जिसको हटाने का आग्रह मैंने माननीय मंत्री जी से किया था, जब यह विभाग माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास था। उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि इस शराब दुकान को स्थानान्तरित किया जायेगा। लेकिन आपके विभाग से एक पत्र आया कि वहां हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हमने तो जगह भी बता दिया था। हमने नगर पंचायत की तरफ से जगह भी सुनिश्चित कर दी थी, जहां आप दुकान शिफ्ट कर

सकते थे। लेकिन आज दिनांक तक शिफ्ट नहीं किया गया है। क्या आप मेहरबानी इसको कब तक शिफ्ट करा देंगे, मुझे यह बता दीजिये?

सभापित महोदय, इसी में एक दूसरा प्रश्न और भी है। लाभाण्डी में हाईवे में सर्विस रोड में एक साथ दो दुकाने हैं। एक प्रीमियम है और एक दूसरी मदिरा की दुकान है।

सभापति महोदय :- देखिये, आप प्रश्न लंबा कर रहे हैं। और भी ध्यानाकर्षण हैं, और भी आगे की प्रक्रिया है।

श्री अनुज शर्मा :- आप मुझे यह बता दीजिये कि आप खरोरा की शराब दुकान कब तक हटा देंगे?

सभापति महोदय :- जब एक बार प्रश्न पूछने के लिए कहा जाये तो दो-तीन एक साथ प्रश्न पूछ लेते हैं। मंत्री जी, दिखवा लीजियेगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सबसे कम समय लिया।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि विस्तार से प्रश्न आ चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं समझता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय :- आगे बढ़ जाते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बस मेरा जवाब आ जाये कि खरोरा की दुकान कब तक हटा देंगे ? उनकी घोषणा भी है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जबर्दस्ती घोषणा किया गया है, मत बोलिये। आपने निवेदन किया होगा, वह बात अलग है। आपने आवेदन दिया होगा, वह अलग विषय है। बाकी मैंने घोषणा नहीं की है।

श्री अनुज शर्मा :- आपने नहीं किया है। आपके पूर्व आबकारी मंत्री जी ने किया है, मैने यह बोला है। मंत्री जी, आपने ध्यान से सुना नहीं है। मैंने जो कहा था, उसको आपने सुना नहीं।

सभापति महोदय :- चलिये मैं बता देता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अनुज शर्मा :- मैंने कहा था कि आपसे पहले यह विभाग माननीय श्याम बिहारी जी के पास था। मैंने उनसे निवेदन किया था।

सभापति महोदय :- आप बैठिये जरा।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, श्याम बिहारी जी के पास आबकारी विभाग था ही नहीं, आप श्याम बिहारी का नाम ले आये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, वह जो बोल रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- सामान्यत: श्याम बिहारी जी के पास विभाग नहीं था।

सभापति महोदय :- अब सुनिये न, मैं बोल रहा हूं। अनुज शर्मा जी बोल रहे हैं कि वह श्याम बिहारी जी से बोले थे। उनकी बात एक बार सुनकर आप उसका परीक्षण करवा लीजिये।

श्री लखन लाल देवांगन :- ठीक है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं समय चाहता हूं। आप दुकान कब तक शिफ्ट करेंगे बता दीजिये ? मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय :- यहां से डायरेक्शन दे दिया। आपको और क्या चाहिए?

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति जी, मैं यह बोल रहा हूं कि मेरा एक ही सवाल है। प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जहां लोग बस गये हैं, भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से जहां अटल आवास है, उस बीच में शराब दुकान खोलना यह कैसी प्रक्रिया है ? यह भारत देश का पहला शराब दुकान होगा।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा, वे दिखवा लेंगे।

श्री रिकेश सेन :- लिखकर तो कितने बार दे दिये हैं।

सभापति महोदय :- एक बार मंत्री जी को आप दे दीजिये न। विधान सभा में आपसे बोल रहे हैं कि आप उनको बता दीजियेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न है बस।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- एक छोटा सा प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- नहीं ऐसा नहीं होगा न, ऐसा ध्यानाकर्षण में 20 लोग आज तक नहीं पूछे हैं।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, समाधान तो होना चाहिए।

सभापति महोदय :- 30 साल की राजनीतिक जीवन में मैंने नहीं देखा है।

श्री रिकेश सेन :- इतने गंभीर-गंभीर विषय आए हैं..।

सभापति महोदय :- देखिये न, मैंने आपके लिए बोल दिया ।

सभापति महोदय :- श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न पूछना था।

सभापति महोदय :- श्रीमती अंबिका मरकाम ध्यानाकर्षण पढ़ेंगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- एक छोटा सा विषय है, छूट गया है।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय जी।

सभापति महोदय :- अजय जी, बोल लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- हो गया था।

सभापति महोदय :- यह वापस रिवर्स गियर में आ गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यानाकर्षण से उद्भूत विषय पर ही बात करूंगा।

श्री राजेश मूणत :- वह तो आगे बढ़ गया।

सभापति महोदय :- नहीं, रिवर्स गियर लगा लिया।

श्री राजेश मूणत :- ये तो आगे बढ़ गया।

सभापति महोदय :- मैं अनुमति दिया हूं। बस फाइनल हो गया।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मुझे यह बताइये माननीय मंत्री जी, मेरे ख्याल से सब कोई इसमें सहमत हो जाएंगे। यह जो अहाता आप खोलते हैं, शराब दुकान तो अपनी जगह उचित है-अनुचित है, वह आपकी प्रक्रिया अलग बहस का विषय है। आप अहाता खोलते हैं, कितनी दूर तक अहाता मान्य होता है? एक शराब दुकान में कितनी अहाता होनी चाहिए? अहाता वैध है या अवैध है, उसको निर्धारित कौन करता है और उसमें कार्रवाई कौन करता है? इसका एक सर्कुलर या तो सबको जारी हो जाए, हम लोग बता सकें कि अहाता की परिभाषा यह है, इतनी अहाता होगी, इतनी दूर तक अहाता होगी। आप किसी शराब भट्टी का निरीक्षण करेंगे तो आपको एक-एक किलोमीटर तक अहाता मिलेगा । कौन सा वैध है, कौन सा अवैध है, पानी भी गंदा है, पाउच भी गंदा है, गिलास भी गंदा है, सब गंदा है।

श्री राजेश मूणत :- कैसे मालूम?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, उसको मजाक में मत लीजिये । तो दुकान को Regularize करना आपका विषय है। लेकिन यह अहाता जो परेशानी पैदा करती है, एक दुकान में कितनी अहाता होगी, अहाता कैसे होगा, उसको वैध या अवैध कौन निर्धारित करेगा, कौन उस पर कार्रवाई करेगा, उसके निरीक्षण की क्या प्रक्रिया होगी? मेरा यह कहना है, आप अभी उत्तर नहीं देंगे, तो इसका एक सर्कुलर, अभी सत्र चल रहा है, आप हम लोगों को अवगत करवा दें, सदन के पटल पर टेबल कर दीजियेगा।

सभापति महोदय :- देखिये, ध्यानाकर्षण में यह सब चीज तो है नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, अहाता पर है, मैंने अहाता पर ही पूछा है। स्थान विशेष का नहीं पूछा।

सभापति महोदय :- ठीक है। मंत्री जी। आप भी पूछ लो। मंत्री जी, एक मिनट। आप भी पूछ लीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि जो कमेटी वर्तमान में परीक्षण के लिए जिला स्तर पर या प्रशासन स्तर पर बनाई जा रही है, उसमें क्या जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है? और अगर नहीं किया गया है, तो कब करेंगे?

सभापति महोदय :- बस ठीक है। अब मंत्री जी, अजय जी की बात का और उनका...।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- सभापति महोदय, एक मिनट एक छोटा सा Question पूछ लूं।

सभापति महोदय :- आप भी पूछ लीजिये।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- माननीय मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि महासमुंद में जो दो शराब दुकान है, पूरा एन.एच. में लगा हुआ है। इससे बच्चे लोगों को कॉलेज आने-जाने, स्कूल आने-जाने में बहुत तकलीफ होती है। शहर के अंदर है, एक रायपुर रोड में है और एक बागबाहरा रोड में है। क्या इसे हटाने के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे?

सभापति महोदय :- अब सुनिये, आपका प्रश्न आ गया। ध्यानाकर्षण में महासमुंद नहीं है। आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिये, जो भी आपकी चिंता है उसके बारे में वे जांच करा लेंगे, दिखवा लेंगे। और मंत्री जी, आप अजय जी की बात का जवाब दीजिये, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।

श्री रिकेश सेन :- सभापति जी, मेरी चिंता का क्या होगा? हमारी चिंता का क्या होगा?

सभापति महोदय :- आपको लिखकर बताना पड़ेगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- इसमें ध्यानाकर्षण में आपका भिलाई नहीं है न ।

श्री रिकेश सेन :- मैं ध्यानाकर्षण पर बात कर रहा हूं। आपने जो समय दिया बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय :- तो वही तो बोल रहा हूं।

श्री रिकेश सेन :- सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में शराब दुकान खोल दिए हैं । यह कितनी बड़ी बात है।

सभापति महोदय :- मेरी बात सुनिये। जो ध्यानाकर्षण है, उसी से संबंधित जवाब लेकर मंत्री आते हैं। अब उसमें महासमुंद, दंतेवाड़ा आ जाएगा तो उसका जवाब होना जरूरी नहीं है। आप लिखकर दे दीजिये।

श्री रिकेश सेन :- जो उन्होंने विषय रखा- नेशनल हाईवे, स्कूल, मंदिर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तीन स्कूल और एक कॉलेज के बीच में खोल दिया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- सब सही है। आपको लिखकर देने में तकलीफ है क्या?

श्री रिकेश सेन :- 100 बार लिखकर दे दिया हूं। 100 बार दे दिया हूं।

सभापति महोदय :- और एक बार दे दीजिये। बोलिए मंत्री जी।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, शराब दुकान के संचालन का भी नियम बना हुआ है, अहाता चलाने का भी अधिनियम बना हुआ है और माननीय सदस्य जी ने, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य जी ने नियम के बारे में पूछा है, मैं निश्चित तौर पर जो अधिनियम बना है, उनको उपलब्ध करा दूंगा ।

सभापित महोदय :- बहुत सुंदर। ठीक है। नियम 267 ''क'' के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं। अंबिका मरकाम जी आ गईं। अंबिका मरकाम जी, मैंने आपका नाम तीन बार पुकारा है और एक बार फिर पुकारता हूं। श्रीमती अंबिका मरकाम।

(2) प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी पारधी समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण- पत्र नहीं बनाया जाना.

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में आदिवासी समाज की विविधता उसकी पहचान है। छत्तीसगढ़ में लगभग 42 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें राज्य की कुल आबादी का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। गोंड, बैगा, कोरवा, कमार, बिरहोर, मुरिया, माड़िया, हल्बा और अबुझमाड़िया जैसी जनजातियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं जनजातियों के बीच एक ऐसा समुदाय भी है, जो आजादी के दशकों बाद भी शिक्षा, रोजगार और बुनियादी अधिकारों से जूझ रहे हैं। आदिवासी पारधी समाज एक ऐसा समुदाय है, जो मुख्यधारा से जुड़ने के बावजूद अवसरों की दौड़ में आज भी पीछे है। साल 1984 के आसपास मुख्यधारा से जुड़ने वाले आदिवासी पारधी समुदाय का इतिहास घुमंतू और शिकारी जीवनशैली से जुड़ा रहा है। शिकार पर कानूनी रोक लगने के बाद इस समाज ने जीविकोपार्जन के लिए बांस से चटाई और टोकरी बनाना तथा कृषि, मजदूरी को अपनाया। समाज के सामने सबसे बड़ी बाधा प्रशासन द्वारा मांगे जाने वाले 50 वर्षों के शासकीय दस्तावेज हैं। दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश बच्चे आठवीं कक्षा के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं को भी सरकारी सेवा में अवसर नहीं मिल पा रहा है। कई बार शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। परिणामस्वरूप पूरा समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों से वंचित है। स्थानीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का कहना है कि उनके विद्यालय में पारधी समुदाय के लगभग 25 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजी जटिलताओं के कारण आगे की पढ़ाई लगभग असंभव हो जाती है। शिक्षकों के अनुसार, समुदाय से अब तक किसी व्यक्ति का सरकारी सेवा में चयन नहीं हो पाया है, जिससे बच्चों के बीच निराशा का भाव बढ़ता है। इस मुद्दे पर प्रशासन द्वारा उचित समाधान नहीं किये जाने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत पारधी आदिवासियों में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) 1956, अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) 1976 तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में **पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया** को क्षेत्रीय बंधन (Area Restriction) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिये **अनुसूचित जनजाति अधिसूचित** किया गया है।

राज्य शासन द्वारा मई 2008 में अनुसूचित जनजाति पारधी एवं गैर अनुसूचित जनजाति पारधी समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन कर क्षेत्रीय बंधन समाप्त किये जाने मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं राज्य सरकार की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार, जनजातीय कार्यमंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 29.02.2012 के माध्यम से **अमान्य** कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति का प्रमाणीकरण विनियमन) अधिनियम एवं नियम 2013 जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचना दिनांक 06.09.1950 के पूर्व के अभिलेख जिनमें आवेदकों के पूर्वजों की जाति उपदर्शित हो, नियमानुसार आवश्यक है। विहित नियम में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वजों की जाति अंकित हो, अपने मूल निवास क्षेत्र (छत्तीसगढ़) के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह

कहना सही नहीं होगा कि इस मुद्दे पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत पारधी समाज के लोगों में शासन/प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था । मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जनजाति पारधी समुदाय घुमन्तु आदिवासी हैं, उनके जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये सरकार की क्या नीति है तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के काररण पारधी समाज शासन की नीतियों से अनभिज्ञ है ऐसे में उनकी शिक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये शासन की नीति क्या है, कृपया माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात का जिक्र किया है और जहां तक जनजाति प्रमाण पत्र बनाने की बात है तो भारत सरकार की जो गाईड लाईन है उसके आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनाने का नियम है । सभापति महोदय, हम अलग से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं । यह अधिकार हमारे पास नहीं है। हां इतना है कि भारत सरकार के द्वारा जो गाईड लाईन दिया गया है, क्योंकि जनजाति की जो सूची है, उस सूची के आधार पर ही कोई भी जिले के अधिकारी या सक्षम अधिकारी जो ब्लॉक स्तर का है, तहसील स्तर का है, सब डिविजन के हैं, वह जारी कर सकता है। इसमें सभी के लिये नियम एक ही है। जनजाति की सूची के आधार पर उनको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि केन्द्र सरकार की गाईड लाईन के आधार पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, क्या बच्चे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये केन्द्र में जायेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को समझ लें। मैं आपको पुन: बता रहा हूँ कि भारत सरकार जो अधिसूचित करती है, जनजातियों की जो सूची है, जिसमें आपने भी जिक्र किया है कि ४२ के लगभग जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जिन-जिन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, उसकी एक क्रमवार सूची है । छत्तीसगए में उसके लिये प्रमाण पत्र देने का अधिकार हमें है, लेकिन इसके अलावा कोई कहे कि हम जाति प्रमाण पत्र दे दें तो यह अधिकार नहीं है । जहां तक आपका प्रश्न है, मेरी सहानुभूति है । मैं भी चाहता हूँ और आपके प्रश्न का सही तरीके से जवाब

दे रहा हूँ तथा हम आपकी समस्या के निराकरण के लिये बैठे हैं । अगर आपकी समस्या के निराकरण के लिये अगर फिर से भारत सरकार को पत्र हमें लिखना होगा तो हम फिर से दोबारा पत्र लिखकर निवेदन करेंगे कि इन वर्गों को जो दिक्कतें हो रही है, उसका निराकरण किया जाये।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- बहुत हो गया, अंबिका जी । वह बता दिये हैं कि दिल्ली सरकार के निर्देश पर जो मापदण्ड है उसी आधार पर सर्टिफिकेट बनेगा, वैसे नहीं बन पायेगा और लिखने के लिये आश्वासन दिये हैं।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही पूछ रही हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको भी सहानुभूति है, आप भी उसी आदिवासी समाज से आते हैं, आप सहानुभूतिपूर्वक विशेष रूप से इस पर कार्यवाही करेंगे तो...।

सभापति महोदय :- वह चिट्ठी लिखेंगे, बोल दिये हैं । आप पूछ लीजिए?

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में पूर्व में अनुसूची के तहत 44 जनजातियां थी और अभी पिछले सालों में...।

सभापति महोदय :- प्रश्न पूछिये, उनको सब मालूम है कि कितने जनजाति हैं। आप प्रश्न पूछिये?

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, 44 प्रकार की जो जनजातियां है, इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति है, जैसे कमार, भुंजिया, बिल्होर, यह 54 प्रकार जो जो जनजाति है, इससे संबंधित वर्तमान में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो यहां निवास कर रहे हैं और अविभाजित मध्यप्रदेश में वे मध्यप्रदेश के निवासी थे, लेकिन अब तकलीफ इस बात की हो रही है कि 40 से 50 साल तक वह यहां निवासरत हैं, अब उनके परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये तकलीफ हो रही है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ना?

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाह रहा हूँ कि पहले वह मध्यप्रदेश में थे और वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में निवासरत् है तो उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा क्या?

सभापति महोदय :- बस, ठीक है। मंत्री जी।

श्री रामविचार नेताम :- आपका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश से लोग आकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। अब वहाँ का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश में उनको मिला होगा। यहाँ अगर आकर बसे हैं और उसी समाज के हैं तो उनको भी पात्रता है, यहाँ प्रमाण पत्र मिल सकता है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी तकलीफें आ रही हैं, मेरे पास दस्तावेज, कई आवेदन आए हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :- मैं आपसे बोल रहा हूँ न, आप मंत्री जी को उन दस्तावेजों को लेकर मिल लीजिएगा, उसमें मदद करेंगे।

(माननीय सदस्य (श्री कुंवर सिहं निषाद) और (श्री रामकुमार यादव) द्वारा हाथ उठाने पर)

सभापति महोदय :- आदिवासियों के सर्टिफिकेट में आपका क्या लेना-देना?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोरे क्षेत्र के बात ए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इसी में एक बात है।

सभापति महोदय :- चलिए बता दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, मंत्री जी भी जानत हे कि जब मैं एखर पहली विधायक नई रेहेव त पूरा प्रदेश में अभियान चलाय रेहेन, – सौरा, पाँव, पोंडिया, खड़िया, मांझी, उरांव, धनवार, कोर, कोड़ाकू, कोंध। ऐसे 22 प्रकार के जाति प्रमाणपत्र नई बनत रिहिस हे। ओमे बहुत सारा बने के आदेश आ गे हे आप भेजे रेहेव, कुछ के रूक गेहे। ओमे हमर यादव मन के पिछड़ा वर्ग के भी रूके हे। हमन साहब मन ला बोलथन ता ओमन कथे हमन दिल्ली भेज देहन। कब आही, कब बनही तब तक लईका मन कइसे करही। आप यहां से ओखर लिखित में दे दो कि वहां से भेज दे हन वही यादव हे, तब तक ओ ह सेंटर में बनते रही। ये आपके माध्यम से निवेदन हे कि यादव समाज के जो त्रुटि हे तेला एक लिखित में जारी करहू का?

सभापति महोदय :- आपको जो भी चाहिए, आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा। उन्होंने लिखकर भेजेंगे कहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इसी संबंध में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति के संबंध में मैंने एक अशासकीय संकल्प लगाया है। मछुआरा समाज की विभिन्न जातियाँ, मांझी समुदाय के अंतर्गत केंवट, धीवर, कहार, कहरा, तुरतुरिया, बाथम, मल्लाह, 1950 तक सब आते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय तो हमारे समुदाय को मांझी समुदाय के अंतर्गत आरक्षण मिलता था। 1975 तक लगभग मिला है।

सभापति महोदय :- आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है कि केंवट, धीवर, कहार, कहरा...।

सभापति महोदय :- भाई, अशासकीय संकल्प का फैसला मंत्री जी नहीं कर सकते, वह विधानसभा से होता है। आपको मंत्री जी से जो पूछना है पूछिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ही पूछ रहा हूँ कि मैंने आपके पास दो-तीन बार उस संबंध में आवेदन भी लगाया है, क्या इसमें जो विसंगति हुई है, जो हमारे अधिकार थे, अनुसूचित जनजाति के संबंध में हमको जो आरक्षण मिला था, क्या उस अधिकार के संबंध में यह सरकार कुछ निर्णय लेगी? या जो पूर्ववत हमें जो आरक्षण का अधिकार मिला था, वह सरकार इस मांझी समुदाय के अंतर्गत केंवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह को अपना आरक्षण प्रदान करेगी? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- इन सबकी बातों का एक साथ जवाब दे दें।

श्री रामविचार नेताम :- निषाद जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका भी प्रश्न है, हमारे रामकुमार जी का प्रश्न है, वह अलग-अलग विषय है। आज ध्यानाकर्षण किसी एक जाति विशेष को लेकर है। माननीय अंबिका जी ने ध्यानाकर्षित कराया है। मैंने इनका उत्तर दिया है, बाक़ी आप लोगों की जो-जो समस्याएँ, जो बातें जाति से संबंधित हैं, उसके बारे में आपकी जो प्रक्रिया है, जो आवेदन आता है–चाहे मेरे पास आए या विभाग के पास जाए या आयोग के पास–कहीं भी लिखते हैं, उसके आधार पर विभाग कार्रवाई करता है। इसलिए आप संकल्प के माध्यम से

या किसी माध्यम से आप लाते हैं, ध्यानाकर्षित कराते हैं, उसका बक़ायदा उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

नियम 267 'क' के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जाएँगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।

(1) श्री सुनील कुमार सोनी

(2) श्री अजय चंद्राकर

(3) श्रीमती अंबिका मरकाम

समय :1.19 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

सभापति महोदय :- गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण। श्री विक्रम उसेंडी, सभापति।

सभापति (श्री विक्रम उसेंडी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 27 फ़रवरी 2026 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफ़ारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक-08)	श्री बघेल लखेश्वर	30 मिनट

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

समय : 1.22 बजे **<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

01. श्री कुंवर सिंह निषाद

02. श्री सुशांत शुक्ला

समय : 1.23 बजे

<u>समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन</u>

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन.

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन। श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (2), नियम 223-ख के उपनियम (1) तथा नियम 223-ग के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।''

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है ''सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (2), नियम 223-ख के उपनियम (1) तथा नियम 223-ग के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।''

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन। श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय : 1.24 बजे

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन.</u>

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति महोदय, ''सभा के सदस्यगण विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।''

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि ''सभा के सदस्यगण विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिसमें क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।''

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय:- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को अपरान्ह 4:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 को अपरान्ह 2:00 बजे से विधान सभा भवन स्थित बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित "सूचना कार्यालय" से प्राप्त किये जा सकते हैं।

समय:1.27 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा</u>

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडी लोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2026-27 के वित्तीय आय-व्यय के बजट के विरोध में कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे वित्त मंत्री जी ने एक शब्द लाया है “संकल्प”, समावेशी विकास'। यह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहला शब्द ‘S’ ही विफल होते प्रतीत हो रहा है। ‘S’ का मतलब समावेशी विकास, सिर्फ जुमले, A का मतलब अधोसंरचना, आम जनता पर बोझ, N का मतलब निवेश, नई घोषणाएं, पुराना हाल, K का मतलब कुशल मानव संसाधन, कागजी विकास, A का मतलब अंत्योदय, असली मुद्दों से दूर, L का मतलब लाइवलीहुड, लुभावने वायदे, P का मतलब पॉलिसी से परिणाम, परिणाम कम, प्रचार ज्यादा (मेजों की थपथपाहट)। यह हमारे समावेशी विकास में दिखाई दे रहा है। रही बस्तर और सरगुजा की बात, तो बस्तर और सरगुजा में वनों का जो दोहन हो रहा है, चाहे सड़कें बनाने में या चाहे आपकी फैक्ट्रियां लगाने में हो किंतु आज वहां की जनजाति, दुर्गम इलाकों में रहने वाले हमारे जनजाति भाई अभी भी झरिया का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। आप लोग

असंशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

कहते हैं कि हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है हमको 2047 के विजन तक इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे बस्तर के जनजाति भाई लोग शुद्ध पानी पियेंगे। यह हम लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं। आप नए-नए बजट तो तय कर रहे हैं परन्तु वहां पर जो पुराने टूरिज्म हैं, उनको संधारण करने की बात आपने कहीं नहीं की। उदहारण स्वरुप आपने वहां के टूरिज्म को सहेजने की बात की थी। आपने कुटुमसर गुफा में एक नवीन खोज लायी थी, जहां पर हरी गुफा के नाम से खोज की गयी थी परन्तु आप आज वहां की स्थिति देखिये। वहां पर जो हरा-हरा पत्थर दिख रहा था, उसे संजोने की कोई चर्चा नहीं हुई। वहां पुराने जितने भी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस बने हुए थे, उनके संधारण की कहीं पर भी बात नहीं हुई। आप यहां पर नए-नए टूरिज्म बनाने की बात कर रहे हैं परन्तु मुझे लगता है कि आप नया इसलिए बनाना चाह रहे कि वहां पर जो पुरानी चीज़ है, उसे आप लुप्त कर दें, जिससे हमारे आदिवासियों की संस्कृति लुप्त हो जाये, शायद यही आपकी सोच होगी। वैसे ही आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कालेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पर मानव संसाधन की कमी है तो हम कैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अच्छे कालेज की बात करेंगे? जब तक हमारे मानव संसाधन की वहां व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आयेगी, हमारे मेडिकल कालेज के छात्रों को वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम अच्छे स्वास्थ्य की बात कैसे करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से मितानिनों की बातें कर रहे हैं। आपने मितानिनों के लिये 350 करोड़ रुपये का बजट रखा है। आज मितानिन बहनें सड़कों में घूम रहीं हैं कि हमारा मानदेय तो बढ़ा दें। जो पूर्व सरकार ने मानदेय बढ़ाया, आप उसी मानदेय को दे दो। जो उन लोगों को 2100 रुपये मानदेय दिया गया था, आप उसी मानदेय को देने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर किस उससे 350 करोड़ रुपये की बात यहां पर रखे हैं। इससे कोई औचित्य नहीं है। जबिक आपके स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी मितानिन बहनें संभालकर रखी हैं। आपके डॉक्टर, नर्स उपलब्ध नहीं रहते तो यहीं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों सर्दी, खासी जैसी छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में बताती हैं और दवाई वितरण करती हैं। कम से कम उनका ध्यान रखा जाये। उनको सही समय पर मानदेय देना चाहिए। आप नेटवर्क जरूर बढ़ा रहे हैं, सब वृक्ष काट रहे हैं तो उसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? आप जंगल ऐसे काट देते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर जंगल में हमारे किसान भाई, हमारी जनता सिंचाई के लिये जगह मांगे कि हमको यहां से सिंचाईलाइन देना है। कृषि के लिये के लिये या दैनिक कार्य के लिये हमको नाली बनाना है तो उसके लिये फॉरेस्ट विभाग कोई

स्वीकृति नहीं देंगे। परंतु आप बड़े-बड़े उद्योपतियों को फैक्टरी दे रहे हैं, उसके लिये आपके स्वार्थ के लिये नेटवर्क लगाना है, उसके लिये आप जंगल के सारे पेड़ काट देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कोई नियम कानून नहीं आयेगा। आम जनता के लिये आप लोगों का नियम कानून बनता है। वैसे ही हम लोग महिला बाल विकास विभाग की बात करें तो महिला बाल विकास विभाग में गर्भवती महिलाओं को जो भोजन पूर्व सरकार में दिया जाता था, वह भोजन आप लोगों ने बंद कर दिया। आप लोग बहुत हल्ला करते थे कि हम लोग रेडी-टू-ईट का काम महिला समूहों को देंगे। परंतु आज तक आपको धरातल में कहीं दिखाई नहीं देता। खाली आप पूर्व सरकार का विरोध किये। परंतु आज आप कह रहे हैं तो आप उसमें अड़िग रहिये, आप करने की कोशिश कीजिए, परंतु आप लोग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह कुपोषित बच्चे लोगों के लिये स्थानीय मदद से कई जगह हम लोग अंडा, केला, बहुत से चिक्की का उद्योग चालू किये थे, ऐसे उद्योगों को आप लोगों ने बंद कर दिया और कह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे सुपोषित होंगे। आप महिला बाल विकास विभाग में बजट ऐसे ही कम कर दे रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे सुपोषित होंगे। यह आप बताईये। आप अधोसरंचना की बात करते हैं। अभी नये निर्माणाधीन चाहे सड़कें, भवन हों या कोई भी चीज का हो, आज बजट में लाये हैं, परंतु जो पुराने काम चल रहे हैं, उनकी आपने कहीं पर चर्चा नहीं की। उस कार्य की समय-सीमा भी पार हो रही है तब भी आप उनके बारे में चर्चा नहीं किये हैं। अधोसरंचना में आप जो बजट रखे हैं, वह भी हम कैसे जानें कि यह पुरानी अधोसंरचना का है या नई अधोसरंचना का है।

माननीन सभापति महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के लिये 800 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा है, पर उसको कैसे देंगे ? क्या 8 रुपये बिजली दर को कम करके देंगे या कैसे देंगे ? यह भी आपने स्पष्ट नहीं किया है। वैसे ही अन्त्योदय के लिये भी खाद्य विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है और लोगों को खाद्य देने का काम कर रहे हैं। परंतु आज आप देखिये प्रदेश में कई ऐसे लोगों का राशन कार्ड काट दिया गया है। कहीं पर बोल रहें हैं कि उनका अंगूठा नहीं लग रहा है, कहीं पर बोल रहे हैं कि ये लोग बाहर हैं। कहीं पर भी कुछ भी कारण बताने का काम कर रहे हैं। ऐसे दो-तीन महीने से कई जगह राशन मिला नहीं है। इसके लिए आपने कोई उपाय नहीं किया। न इसके लिये ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने की भी आपने कोई योजना नहीं बनायी है तो इसी तरह जनजाति कल्याण विभाग की बात है तो जनजाति कल्याण विभाग में भी आप लोग लगातार उनके बजट में कटौती करते जा रहे हैं, आप लोग नये-नये आश्रमों की, हॉस्टलों की, ऐसे ही यहां पर बजट में चर्चा किये हैं परंतु जो पुराना जनजाति क्षेत्र में हमारे हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं वहां के बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आप

क्या करेंगे, यह आपने बजट में नहीं किया है। आपने नये बजट तो जारी कर दिये हैं लेकिन आज क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, अनुसूचित जाति क्षेत्र में जाकर देखिये कि वहां के छात्रावासों की स्थिति क्या है, वहां के बच्चों की स्थिति क्या है ? वहां टीचर हैं या नहीं हैं, इनकी स्थिति क्या है ? आप वहां जाकर देखिये तब तो पुरानी जो चीजें हैं उनको आप संधारण करने की, सुधारने के काम न करके आप नये काम की घोषणा कर रहे हैं । आप समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र । कल हमारे वरिष्ठ विधायक ने इस प्रश्न को उठाया भी था कि नशा मुक्ति केंद्र में आप लोगों ने ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में नशा कम हो रहा हो, नशा मुक्त हो रहा होगा तो यह काम समाज कल्याण का था परंतु हमारे होम मिनिस्टर जी जवाब दे रहे थे । हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो गांव-गांव में नशा की ओर हमारे नौजवान बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिये आपको प्रयास करना बहुत जरूरी है नहीं तो धीरे-धीरे हमारे यहां के युवा खत्म हो जायेंगे । छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जायेगा और कुशल मानव संसाधन में जो जिक्र किया गया है कि महाविधायलयों का, पढ़ने-लिखने की जगह नहीं है । हम नये-नये संसाधन चालू करेंगे, नये-नये सेंटर चालू करेंगे, विकसित करेंगे जिससे हमारे बच्चों को अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा सीखेंगे परंतु जो पुराने हैं । आज हम लोगों ने कौशल विभाग में बहुत से प्रश्न लगाये थे तो आपके पास यह जो पुराने हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिये ।

समय :1.37 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

माननीय सभापति महोदय, आप उन्हें क्यों नहीं सुधार रहे हैं? जो पुरानी संस्था है उसमें आप अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना की कोशिश की कीजिये, वहां पर आप शिक्षकों की व्यवस्था कीजिये । तभी तो वहां पर हमारे बच्चे नये-नये ट्रेनिंग लेकर आयेंगे नहीं तो यहां के उद्योगों में बाहर के कुशल श्रमिक आयेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक लोग हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे इंजीनियर हो अथवा कोई भी बच्चे हों यहां पर कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे इसलिये आप पुरानी संस्थाओं को सुधारकर उसी में अपग्रेड करने की कोशिश कीजिये ताकि हमारे यहां के युवा साथियों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा । वैसे ही कृषि के क्षेत्र में हमारे साथियों ने आज कृषि के बारे में चूंकि यहां बहुत-बहुत चर्चा हुई है और मैं यह कहना चाहूंगी कि आपने केंद्रीय कृषि विकास के लिये 130 करोड़ रूपये की बात की है परंतु मैं यह

कहना चाहूंगी कि इसमें क्या करेंगे, आपने स्पष्ट नहीं किया है । इसमें क्या छोटे-छोटे औजार, कुदारी-रापा, छोटी-छोटी मशीन देकर क्या किसानों को उपकृत करने की कोशिश करेंगे ? बिल्कुल नहीं, ऐसे छोटे-छोटे काम करने से क्या मतलब है ? आप ऐसा काम कीजिये कि छत्तीसगढ़ के किसान को लगे कि हां, सरकार ने हमारे लिये कुछ किया है । आपने तो किसानों को ऐसे ही परेशान कर दिया है वह कैसे अपने कृषि को आगे बढ़ायेंगे, कैसे उन्नत कृषि करेंगे ? आप लोग यह समझाईये, चूंकि पहले तो आप लोगों ने खाद वगैरह के लिये कमी कर दी । मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसे आपका 60-40 का रेशियो रहता है । 40 प्रतिशत सहकारी आपके व्यापारियों को और 60 प्रतिशत सहकारी सोसायटियों को तो आपको इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है । आप पहले हमारी सहकारी सोसायटियों को खाद उपलब्ध कराईये उसके बाद आप व्यापारियों को उपलब्ध कराईये क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बालोद जिला में आपके सहकारी सोसायटियों में कम से कम 15 प्रतिशत खाद गया है और आपके व्यपारियों के यहां कम से कम 35 प्रतिशत खाद गया है तो इसमें फिर हमारे किसान कैसे करेंगे? वह महंगी खातु खरीदने के लिये मजबूर हो जा रहे हैं तो ऐसे में हमारे किसान कैसे स्वावलंबी बनेंगे और कैसे सस्ती कृषि करेंगे ? यह आप बतायेंगे उसी तरह आप रकबा घटाने की बात कर रहे हैं। हमारे किसानों का रकबा घटा दे रहे हैं। वैसी अगर दो गांवों में खेती है तो कृषि एग्रो एक्ट में एक गांव का जोड़ रहे हैं और दूसरे गांव का जोड़ ही नहीं रहे हो तो एक गांव के किसान तो अपना धान बेच ही नहीं पा रहा है, यह मेरे साथ भी हुआ है। आप दूसरों की बात नहीं करेंगे। मेरी ही दो गांवों में खेती है और एक गांव का जोड़ा ही नहीं है। मतलब यह किस तरह से हो रहा है। उसमें बोलने से तहसीलदार और पटवारी कहते हैं कि वहां गिरदावरी नहीं हुई थी तो यह गिरदावरी किसने की थी? वहां आपके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। वह भी उन्होंने नहीं किया था। मुझे यह लगता है कि आप लोगों ने नये-नये लड़कों को हायर किया जिसको यह पता नहीं है कि खेतों में कैसे गिरदावरी होती है, यह किसका खेत है आप किसी किसान को बतायेंगे नहीं कि आपके खेत में गिरदावरी करने आ रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा? उसी तरह से आप बोल रहे हैं कि आज उड़द, अरहर, मूंग, तिल, तिलहन, दलहन में आप लोग बोल रहे हैं कि हम खरीदी करेंगे, आप उनको शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि देंगे। आप उन्हें प्रोत्साहन राशि कैसे देंगे ? अभी किसान रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उन्हें बोला जा रहा है कि अभी गिरदावरी नहीं हुई है आपके यहां दाल या तिलहन कौन सी खेती होती है? या नहीं होती है? वहां पर यह देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वैसे भी आप लोगों ने किसानों को चोर घोषित कर दिया है तो आप उन्हें दलहन, तिलहन की खेती में भी चोर बना दीजिए, उनके घरों

में जाकर देखिये। वहां पर है या नहीं? आपको गिरदावरी करने की क्याजरूरत है। उनके घरों में अरहर, चना, उड़द है या नहीं? आप यह जाकर देख लीजिए। उसके बाद उनसे खरीदीये। आज हर तरह से हमारे किसान परेशान हैं। उनको हर तरह से मजबूर किया जा रहा है इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में आपके पूर्व सरकार में भी किसान आत्महत्या कर रहे थे और आज भी आत्महत्या करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता, किसान मजबूर हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह आप लोग शिक्षा विभाग की बात करते हैं। हम शिक्षा को महत्व देंगे। यहां के हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। छत्तीसगढ़ को एक अच्छी शिक्षा नीति देंगे, पर कहां से यह संभव होगा। आपने एस.आई.आर. में सारे शिक्षकों को लगा दिया था। आज हमारे 10 वीं, 12 वीं बोर्ड के...।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, शिक्षक मन कुकुर घलोक खेदत रहिन हावए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, आप लोगों ने शिक्षकों को ऐसे निम्न स्तर का बना लिया कि आप लोगों ने हमारे शिक्षकों को कुकुर खेदने के लिए लगा दिया। आप लोगों ने एस.आई.आर. में सारे शिक्षकों को लगा दिया था। तब हमारे 10 वीं और 12 वीं के बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ था। उनकी बोर्ड की परीक्षा थी तो आज उनका परिणाम क्या होगा। आज उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को चिंता नहीं की। आज हम लोगों के पास बहुत से गांवों के स्कूलों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है या विभाग जिम्मेदार है, यह आपको तय करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह आप लोग नशे के क्षेत्र में गांव-गांव में आप लोग शराब दुकानें खोल रहे हैं। आपने शिक्षा के मंदिर, 10000 स्कूलों को बंद कर दिया, परन्तु आप लोगों ने 75 शराब की दुकानें खोल रहे हैं और यह जारी भी है कि हर शहर में हमारी शराब की दुकानें खुलनी चाहिए तो हमारे बच्चे नशे के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप वित्त विभाग का दायित्व निभा रहे हैं और आप एक समझदार शिक्षित मंत्री के रूप में जाने जाते हैं तो नशा मुक्ति के लिए और ज्यादा बजट देना चाहिए। बल्कि आपको शराब दुकानों को खोलने के लिए बजट को कम कर देना चाहिए, उसकी कटौती कर इसमें आपको जारी करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र में जितने भी बच्चे नशे के क्षेत्र में जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को भी इसके लिए बोलना चाहिए कि आपके अपने बच्चे को कैसे नशे से दूर रहे, वहां आसपास के एरिया में इस

तरह की कोई दुकानें न हो, जिससे वहां बच्चे प्रभावित हो और बच्चों को उनका असर पड़े, यह भी आपको सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की बात कहें तो उसमें हमारे रसोईयां संघ, मजदूर भी आते हैं तो आप लोग उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वहां पर उन लोग 2-3 महीने से बैठे है, वह अपने पूरे परिवार, घर-बार को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को लेकर पड़े हुए हैं। आपके स्कूल में मिड डे मिल बंद है । इनकी भी आपने सुध नहीं ली । अगर रसोइयों नहीं रहेंगे तो आपके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कौन देखेगा, यह भी आपने सुध नहीं ली । कम से कम उनको आश्वासन दे देते । इस बजट में आपने उनके लिए कुछ नहीं रखा, आपने आश्वासन भी नहीं दिया। इसलिए वे आज परेशान हैं । महिलाओं के साथ, रसोईयां भाई बहिनों को विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारे बी.एड. के छात्रों के साथ भी आप लोगों ने बहुत अन्याय किया है । वे प्रशिक्षित बच्चे हैं । उनके लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हैं ? अगर प्रशिक्षित बच्चे स्कूलों में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे । उन बच्चों के साथ भी आप लोग अन्याय कर रहे हैं । उनको दो-ढाई बजे रात तक आप जेल में बंद करके रखे हुए हैं । यह तो कानून भी नहीं कहता कि किसी को बिना जुर्म के जेल में रखा जाए । आपकी सरकार में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं । बिना नियम के आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी जेल में डाल रहे हैं, किसी को मर्डर के आरोप में जेल में डाल रहे हैं, किसी को और कुछ अपराध में जेल में डाल रहे हैं । जो हकीकत में हो रहा है, चाकूबाजी, मर्डर, लड़कियों के साथ अनाचार हो रहा है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं । कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर हो गई है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े खतरनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं । दो दिन पहले पुलिया के नीचे गिरकर बच्चे ट्रक के नीचे आ गए। मेरे क्षेत्र में भी कल की ही घटना है । स्कूल बस कंडेक्टर चला रहे हैं । आप ये देखिए कि ड्राईवर है या नहीं ? कंडेक्टर स्कूल बस चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ तो वह पुल के नीचे गिरकर एक बच्चा तत्काल खत्म हो गया, 13-14 बच्चे घायल हैं । यह स्थिति आज परिवहन की है । परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने अंधाधुंध गाड़ियां चल रही हैं, लोडिंग खत्म करके खाली ट्रक आती है तो वह इतनी स्पीड से चलती है कि सामने वाला कब दब जाएगा,

कोई ठिकाना नहीं है । मुझे लगता है कि परिवहन विभाग सिर्फ वसूली के लिए है, नियम-कानून के लिए नहीं है । जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उससे ही वसूली करते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- जो बड़े ट्रक चलथे, ओला तो ए मन नमस्ते करथे। काबर कि एमन के आदमी हे, अडानी, अम्बानी ए। गरीब आदमी रात कन आथे तो उही मन ला रोकवाकर बड़का पावर बता थे। सबला छत्तीसगढ़ के जनता देखथे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बेसहारा लोगों को रोक-रोक कर वसूली कर रहे हैं। 500 या 1000 दीजिए, नहीं तो चालान कर देंगे या गाड़ी की जब्ती कर लेंगे । जो बड़ी-बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, वह अंधाधुंध गाड़ियां चला रहे हैं। बसें कहीं भी घूस रही है, उसके लिए कोई नियम-कानून नहीं है, उसको कोई चालान नहीं करेगा। यही परिवहन विभाग है, यही कानून व्यवस्था है। हमारे राज्य में सबका मंथली है, ऐसा लोग बोल रहे हैं । सबका मंथली फिक्स है इसलिए ऐसा हो रहा है । इसलिए इसमें आप लोग विभाग में संलग्न रहकर गाड़ियों पर लगाम लगाईए। परिवहन में रास्ते में कहां से चलना है, उसका कोई नियम नहीं है । कहीं से भी चल रहे हैं। ट्रैफिक सप्ताह मनाते हैं तो उसमें क्या बताते हैं ? ट्रैफिक सप्ताह में क्या बताते हैं, ट्रक को कहीं से भी घूसा दो, बस को कहीं से भी ले चलो। ऐसा होता है क्या? छत्तीसगढ़ में यह ट्रैफिक सप्ताह है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति जी, आप मंथली-मंथली बोल रही हैं वह पिछले कार्यकाल का है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी का है । हम तो अभी भाषण दे रहे हैं तो अभी का बोलेंगे, पिछला क्यों बोलेंगे?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी जो नया रेट आया है, उसके लिए है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी जो नया रेट आया है, उसके लिए बोल रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- फिर पुराना रेट क्या था? वह भी बताईए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वह आप लोग बताईए न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पहले आप लोग नया रेट बताईए कि कितना प्रतिशत वृद्धि किये हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अनिला जी, आपके महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपोषण का असर आप में ही ज्यादा दिख रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं जन्म लेते ही सुपोषित हो गई थी । आप लोगों के सरकार में आने से कुपोषित हो गई।

श्री केदार कश्यप :- पीछे वालों पर भी थोड़ा कृपा दृष्टि बनाकर रखिए।

श्री रामकुमार यादव :- ये दीदी, का हे कि धान ला कोन खाथे, कोन खाथे तेला पता नइ हे, लेकिन मुसवा के नाम धर देवत हे। मुसवा ला बद्दी देत हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका नाम है। आपको भी बोलना है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, इन लोग बहुत टोका-टाकी करते हैं।

सभापति महोदय, आप सहकारी समितियों का भी हाल देखिये। वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां न दुकानों की व्यवस्था है, वहां पर धान खरीदी केन्द्रों में आपरेटरों की व्यवस्था नहीं है। आप उनको पेमेन्ट नहीं दे रहे हैं, आप उनका पेमेन्ट नहीं बढ़ा रहे हैं। आप उनसे 24 घंटे काम ले रहे हैं और उनका मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं तो वे लोग कैसे काम करेंगे ? आज उनके 2 हजार, 3 हजार, 5 हजार में क्या होगा। आज महंगाई के जमाने में क्या हो रहा है ? आपने अपने बजट में महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है।

सभापति महोदय, हमारे वृद्धों को जो वृद्धा पेंशन मिलता है, आप उनको एक हजार रूपया दे रहे हैं, उनका पांच सौ रूपया काट दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना के हिसाब से उसका पांच सौ काटकर एक हजार रूपया दे रहे हैं, जबकि आपको उनको 15 सौ रूपया देना चाहिए था। आप लोग महतारी वंदन योजना में अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। बल्कि नया नाम जोड़ने के लिए, जो लाभार्थी हैं, जिनको जरूरत है, उनके लिए आप लोग पोर्टल नहीं खोल रहे हैं, उनका नाम जोड़ ही नहीं रहे हैं तो आप लोग कैसे उनको महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे? आप एक हजार रूपया दे रहे हैं और उनका बिजली बिल दो हजार रूपये का आ रहा है तो वह बेचारी कहां से पटाये ? ऐसे लोग हमारे पास स्वेच्छा अनुदान के लिए आते हैं कि हमको एक हजार रूपया दे दो, बिजली बिल पटायेंगे कहते हैं। यह तो स्थिति है। आप लोग महतारियों को

लुभाने का काम, दर्शन कराने की योजना बनाते हैं। खाली दर्शन करा देने से महतारियां स्वावलम्बी हो जायेंगी ? महतारी लोग समृद्ध हो जायेंगे ? आपका असली काम है कि आप उनको रोजगार दीजिये, उनको ऐसा काम दीजिये कि वह अपना रोजगार प्राप्त करन जीवन-यापन करने की कोशिश करें, आप ऐसा काम दीजिये।

सभापति महोदय, पुरानी सरकार ने बहुत सी फैक्ट्रियां खोली थीं। महिला समूहों के द्वारा बहुत सा काम किया जा रहा था। जैसे हमारे क्षेत्र में था, बहुत से लोग खाद बनाने का काम कर रहे थे, बहुत से लोग सब्जी-बाड़ी का काम कर रहे थे। परन्तु आपकी सरकार ने वह सब बंद कर दिया। आज हमारी समूह की बहनें बेरोजगार हो गई हैं। वह आप लोगों के कारण बेरोजगार हुई हैं। यह सब हम कई जगह देखते हैं।

सभापति महोदय, आप लोग आवास की बात करते हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आवास दिए हो लेकिन उनको आवास की दूसरी किश्त नहीं मिली है तो आवास कैसे बनायेंगे ? नगरीय क्षेत्र में आवास योजना गया ही नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में भी तो आवास की आवश्यकताएं हैं। आप लोग नगरीय क्षेत्रों में आवास नहीं दिए हैं और आप लोग ऐसे ही वाहवाही लूट रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं मनरेगा की बात करूं तो क्या मनरेगा का नाम बदल देने के बाद उसका बजट बढ़ा देंगे ? मुझे तो लगता है कि यहां 40-60 का रेश्यो है। आप अन्य योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मनरेगा में केन्द्र शासन से 40 प्रतिशत की मांग किए हैं, वह आपको पहले रखना चाहिए। क्योंकि यह हमारी ग्रामीण व्यवस्था की बात है, गांव में रहने वाले लोगों की बात है। आज आपने 2 साल में मनरेगा का काम, रोजगार गारन्टी के तहत काम नहीं दिया है। कहीं पर 4 दिन, कहीं पर 6 दिन का काम दिए हैं तो आप 125 दिन का काम कैसे देंगे ? आप यह भी सुनिश्चित कीजिये तभी हम समझेंगे कि आपने वास्तव में ग्रामीण व्यवस्था के लिए काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज आप लोग महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं दिन में अकेले चलने के लिए डर रही हैं। क्योंकि पहले जैसे बोलते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ घटना हो जाती थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाभी जी, येती-तेती के बात ला छोड़, तोला तो विधान सभा क्षेत्र मा का का करवाना हे, बता अउ भाषण ला बंद कर। हमन करवा देबो। कहां तै हा लंबा चौड़ा भाषण देवत हस। हमन वित्त मंत्री जी से आग्रह कर देबो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं नहीं बोलूंगी। क्योंकि आप सरकार में बैठे हो, आपकी सोच नहीं है। चारो तरफ देखने के लिए आपकी आंखे होनी चाहिए। खाली जशपुर, रायगढ़ और अम्बिकापुर के लिए नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां तै हा भाषण-वाषण मा लगे हस। तै हा लिख के दे। लिख के दे, हमन सब करवा देबो। तोर भाषण ला बैठ के समर्थन करबो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बालोद जिला भी है। आप लोग बालोद जिले को बजट में कुछ भी नहीं दिए हो। मुंह खुलवाने की बात मत करो। बालोद जिले को ऐसे एक तरफ मक्खी की तरह निकालकर रख देते हैं। आज बजट में कोई घोषणा नहीं है, कोई बड़े काम दिए नहीं हैं, तो हम कैसे कहें कि आप जोड़वाओ? हमारे कहने से क्या बजट में जोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सरकार में आप बैठे हो, आपकी नज़र पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में होनी चाहिए कि प्रदेश में क्या-क्या की आवश्यकता है, किसको क्या आवश्यकता है। आपने बालोद ज़िला को अलग कर दिया है, तो इसमें आपको बोलने का हक नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बालोद ज़िला टारगेट में है, क्योंकि तीनों विधायक कांग्रेस के हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तो हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं, हम जान रहे हैं कि हमारे साथ आप लोग क्या करोगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दीदी एक मिनट, एक सच बात ये है भांचा जी, आप 15 साल में जितना कुरुद में विकास कराये..।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ के आदमी हस न ममा ते हा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां-हां।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब भांचा के खिलाफ धोखा से मत बोलबे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, भांचा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, हक़ीक़त को बोल रहा हूं। आज आपकी स्थिति यही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- सुनो भाई, आज तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा ओपन ही कर दिया, वह क्या किये हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बजट में देख लीजिये कुरुद विधान सभा की क्या स्थिति है। अप्रत्यक्ष रूप से आप चाह रहे हो कि बजट में शामिल नहीं किया है, इधर से बोला जाये, सच यही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कसडोल से बागबाहरा अइसे सड़क आही पढ़े हस ते हा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय जी बोल रहे हैं कि भांचा के खिलाफ नहीं बोलना है। माननीय अजय जी, आप बोलने के लायक रहे कहां? (हंसी) कल भी आपको मौका नहीं दिया था। आज भी ये भा.ज.पा. की सूची देख लीजिए, उसमें भी नाम नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती हम लोगों के खिलाफ चढ़ाई किये रहते हैं। आप अपनी पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता हैं, ओपनिंग नहीं दिये, सेकंड में आ जाता, थर्ड में आ जाता और कहीं तो मिलता चौथे, पांचवे राउंड में।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 12th मैन हो गए हैं, 12th मैन। एक्स्ट्रा खिलाड़ी।

श्री भूपेश बघेल :- एक्स्ट्रा खिलाड़ी, वे एक्स्ट्रा प्लेयर हो गए हैं। क्या स्थिति बना करके रखे हैं? ये तो कम से कम ठीक नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट में गोल-गोल घुमाकर पुराना बजट को ही स्थापित करने की कोशिश किये हैं। न ही यहां उद्यानिकी विभाग का है, न ही यहां पर आपके हर्बल के लिए कोई है, कुंभकारों के लिए बहुत कम बजट है। आपके खादी ग्रामोद्योग में बहुत कम बजट है। लोगों को सोसाइटी के माध्यम से धागे वितरण नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ियों में जो साड़ी देने का काम है, वह नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ग्रामोद्योग में बजट एक़र सेती कम है, ते बुनकर मन के लुगरा ला खुद नहीं पहिनस, तेखर सेती हरे ओ। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, तोर बखत का है? अजय जी, तोर बखत का है, तेला पहली बता, ते बीच-बीच में उठथस ज़बरदस्ती।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुन न, जो पहनते हैं, उनको भी तो नहीं दे पा रहे हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिकाओं को नहीं दे पा रहे हैं। दो साल में साड़ी दिए हैं, वह भी फटा-सटा दे दिए हैं। तो ये स्थिति तो आपकी सरकार में है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उन लोगों को साड़ी मिला है न, उन लोग मेरे पास शिकायत करने आये थे कि उसकी क्वालिटी में सुधार होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला साड़ी पसंद करे ला आये नहीं। अभी बालोद गे रहव तो सिन्हा जी मोला बताइस, दू दर्जन ले हंव कहिके। सुनत हस। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तो बिल्कुल ये स्थिति इस सरकार की है। तो जो आपने संकल्प लिया है, जो समावेशी विकास की बात आज कर रहे हैं, वह सिर्फ विफल हो रही है। हम इस बजट का विरोध कर रहे हैं, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद, श्री अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आमतौर पर बजट में जो रूचि है, सबकी जो रूचि रहती थी, वह पार्ट-2 में रहती थी। टैक्सेशन में किसमें कम हुआ, किसमें ज़्यादा हुआ। वर्ष 1998 में जब आप सब हम एम.एल.ए. थे तो विधायक होने के बाद भी हम केवल पार्ट-2 को देखते थे। कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई और उसी को बजट मानते थे, लेकिन आज तो पूरा परिदृश्य क्योंकि अब राज्य सरकारों के पास तो जी.एस.टी. आने के बाद सारे टैक्सेशन के जो अधिकार हैं, वह आज जी.एस.टी. काउंसिल के पास हैं। तो इसलिए जो राज्य का बजट है, उसमें जो पार्ट-2 है, वह अब लगभग-लगभग कहना चाहिए कि 2017 से वह पार्ट-2 नज़र आता नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्ट-2 कभी बजट का हिस्सा हुआ करता था, आज यह जी.एस.टी. काउंसिल करती है। अभी चार महीने पहले 400-500 आइटम पर रेट कम किया। एक आर्थिक स्थिति का आंकलन करें कि आगे कैसी प्रगति हो, उसके हिसाब से काम किया और उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई। लेकिन वह एक बहुत तात्कालिक, क्षणिक है कि Taxation के प्रभाव से कोई चीज सस्ती होती है या कोई चीज महंगी होती है, वह चार या पांच महीने के लिए अच्छा और बुरा लग सकता है। माननीय सभापति महोदय, जो बजट है, वह वास्तव में सरकार की क्या दिशा है, सरकार क्या सोचती है, उसका एक प्रत्यक्ष सोच का एक दर्पण होता है। वास्तव में

बजट तैयार करते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, हमारी वर्तमान जरूरतें क्या हैं और दूसरा, वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए हम और ऊपर प्रगति कैसे करें, भविष्य के लिए हमारी प्रगति की नींव डालने का काम कैसे करें, इन दो एंगलों पर बजट की तैयारी करनी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारा छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, तब आपको भी याद होगा, उस समय अजय जी भी थे, आप भी थे और मैं भी था। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक पास हुआ था, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा हुई थी, तब मध्य प्रदेश का जो पुराना मिंटो हॉल था, वहां छत्तीसगढ़ के सभी विधायक एकत्र हुए थे। एक तरफ हमारे मन में खुशियां थीं कि हमको हमारा राज्य मिला है, लेकिन उस समय भी जब हमने छत्तीसगढ़ के रोड का नेटवर्क देखा, रेल का नेटवर्क देखा, छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति देखी, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मास्टरों का ratio देखा, हेल्थ सेक्टर के सारे संस्थान को देखा, तब हमें चिंता भी हुई थी। माननीय सभापति महोदय, उस समय थोड़े-बहुत आंकड़ों के बारे में आपके और हमारे बीच में unofficially चर्चा हुई थी। जब यह छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि विरासत में हमको एक गरीब राज्य मिल रहा था। हमें यह कहना चाहिए कि विरासत में हमको एक अति पिछड़ा बीमारू राज्य मिल रहा था। उस समय हमारे सामने चुनौती थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्ष 2003 में इस प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब हमारे सामने वही चुनौती थी। छत्तीसगढ़वासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी थी कि उनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, जिसका जिक्र कल ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे कि जशपुर में भूख से मृत्यु होती थी। वर्ष 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब हमने इस संकल्प के साथ काम की शुरूआत की थी कि इस देश के यशस्वी नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और इस विकास को हम करेंगे, उस धारणा के साथ हमने काम किया। (मेजों की थपथपाहट) मैं बहुत विस्तृत में पुरानी बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट बनाते समय कौन से एंगल को ध्यान रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और हम आगे चलकर यह छत्तीसगढ़ को आगे कैसे ले जाएं? माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी शुरुआत वहीं से कर रहा हूं। हमने वर्ष 2003 में वह कल्पना कर ली थी। जब हमने वर्ष 2003 में वर्तमान जरूरतों के लिए कल्पना की। मैं ज्यादा विषय को नहीं छूऊंगा। यह जो फूड एक्ट है, 2 रूपया किलो चावल 35 किलो,

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था, जिसने फुड सिक्यूरिटी एक्ट बनाया और 2 टाईम खाने की गारण्टी किसी सरकार ने दी है तो उस समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और बजट में हमने उनका प्रावधान किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, मैंने शुरूआती में बताया कि मिन्टो हाल में जो-जो हमने चर्चा की...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जिस योजना का अमर जी उल्लेख कर रहे थे, योजनायें ऐसी बनती थी कि उसका सामाजिक प्रभाव दिखता था। जब आपने चावल की योजना लाई तो पूरे छत्तीसगढ़ से पलायन तो रूका ही, पेशेवर पलायन को छोड़ दें, छत्तीसगढ़ में बाढ़ी जैसे प्रथा बंद हो गई । ऐसी योजना ये लोग बनाते थे, इसको बजट बोलते थे।

श्री अनुज शर्मा :- यह लोग गलत कह रहे हैं। थोड़ा संशोधित कर दीजिए, हम लोग बनाते थे। आप भी उसके सहभागी थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, 2 रूपये किलो चावल की बात बोल रहे हैं, यह सच है लेकिन यह भी सच है कि...।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाढ़ी प्रथा खत्म होईस कि नई होईस, ये बता।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह सही है ना, मान गया। मेरा कहना यह है कि उसी समय दिल्ली सरकार ने भी 1 रूपया 25 पैसे में केवल छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि समूचे देश में चावल दिया है। आप उसे कम करके अपनी योजना बनाये । यह बात सही है कि योजना सफल रहा है।

श्री अमर अग्रवाल :- सभापति महोदय, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, अगर मैं कहूँगा तो उचित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ ने जो फुड सिक्यूरिटी एक्ट बनाया, उसकी नकल केन्द्र की यूपीए सरकार ने किया और उसका मार्गदर्शन करने का काम हमारी सरकार ने किया है । आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चलिये, 3 रूपये 25 पैसे ...।

श्री अमर अग्रवाल :- आप उस विषय में मत जाईये । माननीय सभापति महोदय, मैंने मिन्टो हाल में जिक्र किया । जिन-जिन पैरामीटर में हम कमजोर थे, हॉस्पीटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, एजूकेशन संस्थान में, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया । माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना करिये कि नये राज्य में हमने एक तरफ आय बढ़ाने का काम किया तो दूसरी तरफ हमारे सामने जो चुनौतियां थी, उसको पूरा करने का काम किया । आज जब हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रजत वर्ष में खड़ें है और आज जो वर्तमान छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, अगर वर्ष 2003 में हमने बजट ठीक से नहीं बनाया होता, आय को नहीं बढ़ाया होता तो आज इस छत्तीसगढ़ की खुशहाली दिखाई नहीं देती । यह बजट का प्रभाव था। उस समय हमने वर्तमान जरूरतों को भी पूरा किया और छत्तीसगढ़ में भविष्य के लिये नींव रखा। माननीय सभापति महोदय, जो हमारी 15 साल की सरकार रही है, मैं इन 3 सालों को छोड़ रहा हूँ, मैं वह विषय करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि व्यवधान होगा। मैं उस पर बाद में आऊंगा । हमारा जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, छत्तीसगढ़ के सारे जो बैकलॉग थे, जो चुनौतियां थी, उसको पूरा किया । भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसे तैयार हो, उसकी नींव डालने का काम वर्ष 2018 में ही जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसे हमने किया है। माननीय सभापति महोदय, हर 20 साल में जरूरतें बदल जाती है, पैमाने बदलते हैं, अब नये परिवेश में छत्तीसगढ़ के लिये विचार करने की जरूरत है । माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ को 2047 का विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जरूरत है । उन सारी बातों पर विचार करके फिर से जनता के आर्शीवाद से वर्ष 2023 में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस सरकार का नेतृत्व हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। इस प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में ओ. पी. चौधरी जी ने तीसरा बजट पेश किया है। यह किस दिशा में किया, इनके पिछले 2 साल के परिणाम क्या हैं? माननीय सभापति महोदय, बजट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या बजट के प्रावधान करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस बजट का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ कितना आगे गया, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, वह 2 साल के परिणाम का भी मैं हल्का सा जिक्र करने की कोशिश करूंगा। 2023 में जब हमारी सरकार फिर से बनी, यह तीसरा बजट है, दो बजट, पहला GYAN पर आधारित, दूसरा GATI पर आधारित था। उसके जितने प्रावधान थे, मैं उस पर बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी चर्चा बजट सत्र में भी होती है, जाने-अनजाने में भी होती है लेकिन उसका जो एक परिणाम 2 साल के अंदर सामने आया, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में एक उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा, इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र भी किया है, इस बार हमारे GSDP की जो ग्रोथ 11.8 है, यह किसी राज्य में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है और यह क्यों आया? (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, जब GSDP की दर बढ़ानी पड़ती है, आर्थिक प्रगति करनी पड़ती है तो उसके लिए स्पष्ट नीति और नीति के साथ क्रियान्वयन करना पड़ता है। 2 साल में जो परिणाम आया है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी सरकार ने अच्छे प्रबंधन से, अच्छी राजस्व लेकर, अच्छी नियत से जो

काम किया, उससे छत्तीसगढ़ तरक्की की राह पर जा रहा है, यह 2 साल में हमने सिद्ध किया। माननीय सभापति महोदय, 2023 में जब हमारी सरकार बनी, मैंने पहले ही कहा कि 20 साल में जो चुनौतियां होती हैं, उसका स्वरूप बदलता रहता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी ? हमारे सामने चुनौती नक्सलवाद थी । छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास के लिए अगर सबसे बड़ी कोई बाधा थी तो वह नक्सलवाद थी। मैं उस विषय पर भी नहीं जाऊंगा कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो विरासत में हमको नक्सलवाद मिला और यह विरासत में नक्सलवाद किसके समय में पनपा, क्यों पनपा ? मैं उस विषय पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1984 से बस्तर नक्सलवाद के प्रभाव में आया। किसका शासन था? माननीय सभापति महोदय, अगर मैं और पहले चलूं, और अगर बस्तर के पहले चलें, बहुत पुरानी बात है। कांग्रेस का बस्तर के प्रति नजरिया क्या है, अशांत करने का, बस्तर को लाल घाटी के रूप में परिवर्तित करने का, 62-63 का दशक यह छत्तीसगढ़ कभी भूल नहीं सकता, बस्तर कभी भूल नहीं सकता कि वहां के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव किन परिस्थितियों में गए और किन कारणों से गए, उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी, मैं उन बातों का भी जिक्र नहीं करना चाहता। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती के लिए और आज जो हमारे सामने एक संकल्प है, ये 2047 का जो विकसित छत्तीसगढ़ है, इस विकसित छत्तीसगढ़ को हम कैसे बनाएं और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए 2023 से लगातार हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जब इस बार का 26-27 का बजट आया, विधानसभा में आया, आज विधानसभा में चर्चा प्रारंभ हुई, स्वाभाविक है, बजट पेश के बाद प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, पक्ष की भी आती हैं, विपक्ष की भी आती हैं, स्वाभाविक है कि पक्ष वाले हैं वह अच्छी बात करेंगे, स्वाभाविक है कि विपक्ष वाले हैं वह जो भी उनकी मंशा है, वह करेंगे लेकिन वास्तव में जो राय है, जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, एक आम आदमी क्या सोचता है, एक आम संगठन क्या सोचता है, अगर हम उन प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश करेंगे, सारे समाचार पत्रों में आया है, चर्चा में आया है, सोशल मीडिया में आया है। जो निष्पक्ष व्यक्ति है, उन सबके मन में एक भरोसा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णु देव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने एक अच्छा बजट लाकर आधुनिक छत्तीसगढ़ की नींव रखने का काम किया है। यह आम प्रतिक्रिया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं। स्वाभाविक है कि वह बोलेंगे। कुछ लोग हैं, जिनको जितना कहना चाहिए उतना वह कहते भी हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। मैं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी की प्रतिक्रिया देख रहा था। मैं पूर्व मुख्यमंत्री और जिसने 5 साल तक वित्त मंत्री के रूप में काम किया, भूपेश

बघेल जी की प्रतिक्रिया देख रहा था और कांग्रेस के एक-दो प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया देख रहा था। ठीक है कि कोई करे। मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉ. चरणदास महंत जी का अपना एक राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक प्रतिष्ठा है, पूरा जीवन विभिन्न पदों में गया है। वही बात भूपेश बघेल जी के साथ लागू होती है। ये लोग इतनी नासमझी से टिप्पणी करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनता इसको पसंद नहीं करती। बाकी कोई करे तो ठीक है, लेकिन जिसकी समझ हो, जिसका राजनीतिक जीवन का अनुभव हो, वह टिप्पणी करे और ऐसी टिप्पणी करे तो अब मैं क्या कहूं कि इतने वरिष्ठ सदस्य को जब यह समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि भूपेश बघेल जी की टिप्पणी थी कि यह दुर्गति करने वाला बजट है। अगर यह दुर्गति करने वाला बजट है तो इसमें दो-चार बातें जरूर कहनी चाहिए कि इसमें प्रदेश की कैसे दुर्गति होगी? या यह बताना चाहिए कि इस बजट में कमियां क्या हैं? किसानों का दिखाई नहीं देता।

श्री अटल श्रीवास्तव :- भैया, उसी के लिए तो अभी बहस हो रही है। अभी हम बताएंगे कि उसमें क्या दुर्गति होगी।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं इसीलिए बोल रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, बजट की चर्चा में ही वह बात रखेंगे और उसमें आएगा।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने जो बाहर कहा है, उसको सदन में बताएं। मैं इसीलिए कह रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह हमारी चर्चा में आएगा और हमारे सभी सदस्य चर्चा में भाग लेकर बोलेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- संगीता जी, आप बिल्कुल बोलिए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, इसके बाद आप ही को बोलना है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि इसमें किसान के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता, महिला के बारे में दिखाई नहीं देता, युवा के बारे में दिखाई नहीं देता। आपको 5 साल तक अवसर मिला, आपने तो बहुत देखा था। आपने तो इतना ज्यादा देख दिया

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि इन सारे वर्गों ने आपकी अनदेखी करके आपको वहां बैठा दिया, आपको उस काबिल भी नहीं समझा कि आप उसको देख सके। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, महंत जी को क्या हो गया है? वह कितने पदों में रहे हैं? वह समझ से परे टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का संकल्प का बजट है। यह भ्रष्टाचार करने वाला बजट है। क्या आपने दुनिया में कहीं सुना है कि कोई बजट आए, वह भ्रष्टाचार के लिए आए? मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब वह विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठते थे और 5 साल तक उन्होंने जो देखा, वह बोल तो सकते नहीं थे। गलती से वह वहां आ गए। वास्तव में जो व्यक्ति जैसा देखा रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसको वही दिखाई देता है। (मेजों की थपथपाहट) भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश की दुर्गति की, इसलिए उनको दुर्गति दिखाई देती है और डॉ. चरणदास महंत जी को कांग्रेस का भ्रष्टाचार बजट में दिखाई दिया और वही भ्रष्टाचार इनको यहां दिखाई देता है। आपको धन्यवाद है कि आपने आपका आचरण, आपकी कार्यशैली को छत्तीसगढ़ की जनता को बता दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, मालूम नहीं कांग्रेस के कौन-कौन लोग किस-किस को प्रवक्ता बना दिये हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक टिप्पणी की, वह बोले वित्त मंत्री जी ने रेल में और सड़क में मोदी जी की प्रशंसा की। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के दिमाग का दिवालियापन निकल गया है। आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? आप गलत दिशा में जा रहे हैं इसीलिए मुझे कहना नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी देश में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। इन लोगों की पहचान क्षेत्रीय पार्टी की पहचान बन गई है । माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर इस प्रदेश में 51,000 करोड़ रूपये का रेल का काम चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ आगे जा रहा है। आप लोगों ने तो आजादी के बाद कभी नहीं दिया। हमारी सरकार ने दिया, डबल इंजन की सरकार ने दिया और हम उसकी बजट में भी चर्चा न करें ? यह कैसे संभव है? जिसने छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दिया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रस्तुत न करें?

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि वह 40,000 करोड़ रूपये के नेशनल हाईवे सड़क के मामले में समृद्ध है। उसके कारण छत्तीसगढ़ आज तेजी के साथ विकास कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हम बजट में उसका उल्लेख भी न करें? सड़क का क्या महत्व है? नितिन गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे, सड़क वगैरह का जो सारा डेव्हलपमेंट हुआ। आप भी गए हैं और

कई बार मिले हैं, हमारे सदस्य भी गए होंगे। जब आपकी सरकार थी तब आप लोग भी गए होंगे । उनके यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ है। जॉन केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे । केनेडी ने कहा था कि अमेरिका की सड़क समृद्ध इसलिए नहीं है कि अमेरिका समृद्ध है, पैसे वाला है, बल्कि अमेरिका पैसे वाला इसलिए बना क्योंकि यहाँ की सड़कें समृद्ध थीं। (मेजों की थपथपाहट) उस मूल मंत्र को लेकर हमारी दिल्ली की सरकार ने पूरे देश में काम किया। यदि हमारे छत्तीसगढ़ को 40,000 करोड़ रुपया दिया गया और हमने बजट में उसका उल्लेख कर दिया, तो हम क्यों नहीं उल्लेख करेंगे? हमारी संपत्ति है, हमारी आर्थिक गति का आधार है। हम क्यों धन्यवाद नहीं देंगे? हम क्यों कृतज्ञता नहीं करेंगे? इनको क्या तकलीफ है? माननीय सभापति महोदय, रेल के लिए 51,000 करोड़ रूपये हैं। आज छत्तीसगढ़ में रेल का जाल बिछ रहा है, नई-नई पैसेंजर ट्रेन छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का आधार बनेगी। इसमें लोगों को तकलीफ है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह जो लोकल ट्रेन चलत हे। आये दिन कैंसिल होत हे। मालगाड़ी जात हे।

श्री अमर अग्रवाल :- मुझे समझ में नहीं आता कि आपको क्या तकलीफ है?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एखर खातिर कि हम तोर यहां बिलासपुर से जाकर ट्रेन चढ़त हन तो पूरी ट्रेन हर कैंसिल रिहीथे अउ हमर आगे में मालगाड़ी भागत रहिथे। हमन ला ये बात के तकलीफ हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कभी रायगढ़ में इतनी बढ़िया सड़क देखे थे?

श्री अमर अग्रवाल :- उन्हीं के इलाके चंद्रपुर से आती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे अमर भैया जब बोल रहे हैं तो आप समझिये। वह वित्त विभाग के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। यदि गलत होता तो वह नहीं बोलते। अब हम प्रतिक्रिया पढ़ रहे थे इसलिए हम तो बता रहे हैं और यहां सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। मंत्री जी क्या-क्या बजट में लिखे हैं, उसमें जो किताब वाला है, वह तो समझ में आ गया लेकिन अलग-अलग डिपार्टमेंट की जो किताब रहती है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को बुलवाया है कि चिन्ह लगाकर बताईये कि हमारा है कि नहीं है। वह थोड़ा-सा कठिन है इसलिए हर जगह टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपको भी समझ में नहीं आया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोल तो रहा हूं और मैं यहां बोल रहा हूं। मैं कोई चोरी-छिपे बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि मैं वित्त के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। इसमें हम निल बटे सन्नाटा हैं। इसलिए हम बहुत ज्ञानी और अर्थशास्त्री जैसा बयान नहीं देते। मैंने तो पढ़ा है। मोहल्ले में ठीक से जिसकी इज्जत नहीं है, उसने भी बयान दे दिया था कि वित्त मंत्री का बयान ठीक नहीं है। यह कोई तरीका है ? माननीय वित्त मंत्री जी इनको आपके बारे में बता रहा हूं।

"कुछ रास्ता लिख देगा,

कुछ मैं लिख दूंगा,

तुम लिखो मुश्किल

मैं मंजिल लिख दूंगा।"

यह मंजिल में पहुंचने का लिखेंगे, यह वहीं दस्तावेज है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसको उभारने के लिए केवल कविता और शेर-ओ-शायरी चल रही है। यह बजट धरातली नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सीनियर नेता जी, लेकिन यह मंजिल कब मिलेगी ? वह मंजिल मिलेगी 20 साल बाद वर्ष 2047 में। यह आपका विजन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार यादव जी, पशुपालन विभाग में बहुत बजट है, बैठ तैंहा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांजा ये तो पशुपालन में बोल लेंगे, लेकिन आप कब बोलोगे। आपको तो स्थायी बिठा दिये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- एमन ला सिर्फ बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पशुपालन विभाग में बहुत पैसा है, बैठ तैंहा।

श्री रामकुमार यादव :- वह सब पैसा ला तुमला मिल जाही, चिंता मत करव। घूम-फिरकर आप मन ला पाना है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अब ये बोल रहे हैं तो मैं सुना देता हूं। रामकुमार जी, ये आपके लिये है। हमारे लिये या अजय चन्द्राकर जी के लिये नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नई समझ में आये तो भी ताली बजा देना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये आपके लिये है-

ये इश्क भी बड़ी अजीबोगरीब चीज है,

उसी से होता है जो किसी और का होता है। (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ का छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिये रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क बिछाया और उसको हम बजट में भी उल्लेखित न करें। सभापति महोदय, कहां इन लोगों की सोच है, कृतज्ञता तो पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों की बनती है। लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अटल बिहारी बाजपेयी जी ने बनाया। कभी उनको राज्योत्सव में नहीं बुलाया। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2003 में हमारी सरकार आई, हमने 2003-04 के राज्योत्सव में अटल जी को बुलाया। उस समय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय कांग्रेसियों ने क्या किया था ? छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, अटल जी को काले झंडे दिखायेंगे। छत्तीसगढ़ का निर्माता छत्तीसगढ़ बनने के बाद राज्योत्सव में अतिथि बनकर आ रहा है और ये छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा किये थे। ये बंद किये थे या जो करते हैं मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। वह तो जनता की अदालत में फैसले होते हैं। लेकिन उस समय एक संपादक ने बड़ी जोरदार टिप्पणी की थी। उस समय संपादक ने संपादकीय लिखी थी, उसको मैं कोड करना चाहूंगा। उस समय उनने टिप्पणी की थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अमर जी, आप वरिष्ठ हैं, आपके बीच में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे चूक हो रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- आप जो बोलना हो, जवाब में बोल लीजियेगा न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं एक मिनट आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक पेड़ मां के नाम 7 करोड़ रुपये डाले, लेकिन कितने पेड़ काटे गये, इसका भी उल्लेख होना था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुख्यमंत्री जी जवाब में बोले हैं कि नहीं। हां, झाड़ काटे जायेंगे, सड़क हवा में बनती है क्या ? झाड़ काटेंगे तो सड़क बनेगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, कम से कम आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। इसी सदन में आपकी आंख में आंसू आया था।

सभापति महोदय :- बीच-बीच में टोकाटाकी न करें।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उस संपादक ने एक संपादकीय लिखी थी तो उस समय बहुत चर्चित हुआ था। उनने संपादकीय में लिखा था कि अटल जी इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माता, छत्तीसगढ़ आ रहा है, इनको स्वागत करना चाहिए, ये बंद करा रहे हैं। अटल जी, इनको माफ करना, माफ करना। तो मैं इस बजट के बारे में क्या कहूं जो ये प्रतिक्रिया दिये हैं। कभी रेल कनेक्टिविटी की, कभी सड़क की, कभी दुर्गति की, कभी कुछ भी। मैं यही कह सकता हूं कि सदन इनको माफ करे या छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ करे, नासमझ हैं। इनको ये नहीं मालूम ये कर क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, जनता इनको माफ करे, सदन इनको माफ करे, इनकी टिप्पणी इनको मुबारक।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, नासमझ शब्द का जो उपयोग किये हैं उसको विलोपित किया जाये।

श्री अमर अग्रवाल :- नासमझ कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- तो ठीक है फिर वैसी परंपरा की शुरूआत इधर से भी हो जायेगी।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो मैंने थोड़ी प्रस्तावना बतायी, पृष्ठभूमि बतायी कि कैसे बजट बनता है, कैसे उसके परिणाम आये ? छत्तीसगढ़ कहां गया, इन लोगों की क्या सुविधा रही लेकिन वर्ष 2023 जिसका जिक्र मैंने पहले किया था ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी चुनौती इस छत्तीसगढ़ के विकास में रही, समावेशी विकास में रही । यह नक्सलवाद कैसे आया, कैसे पनपा वह चर्चा का विषय नहीं है । एक धारणा यह भी थी कि बस्तर हमेशा से विकास में उपेक्षित रहा, शोषण का शिकार रहा, उसके कारण नक्सलवाद दण्डकारण्य में आया यह भी एक धारणा है और अगर

वह भी धारणा है तो मैं यह भी नहीं कहूंगा कि उसके दोषी कौन हैं, मध्यप्रदेश में किसकी सरकार थी, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना है । पूरा प्रदेश जानता है कि इनकी सरकार थी, इन्होंने बस्तर के साथ क्या किया, नहीं किया । मैं उस विषय में भी नहीं जाउंगा लेकिन आज जब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, दोबारा बस्तरवासियों को यह विश्वास पैदा हो कि सरकार हमारे सामने खड़ी है तो वास्तव में यदि यह बजट देखें जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने समावेशी विकास के नाम से किया कि पूरी क्षेत्रीयता का विकास बस्तर और अंबिकापुर दोनों को प्राथमिकता है । माननीय सभापति महोदय, अगर इस बजट में हम देखें तो बस्तर स्किल डवलपमेंट में, एजुकेशन में, दो बडे-बड़े एजुकेशन सेंटर की घोषणा इस बजट में की गयी । बस्तर इंद्रावती उसमें बैराज की, बांध की घोषणा की गयी । मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाउंगा, अगर यह देखेंगे तो वास्तव में नियदनेल्लार हो, बस्तर का संपूर्ण विकास हो, स्किल डवलपमेंट से लेकर औद्योगिकीकरण तक सारी बातों का समावेश इसमें है । एक-तरफ नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और दूसरी तरफ बस्तर, विकसित बस्तर के रूप में परिवर्तित हो, इस बजट में उसकी नींव डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, आज अगर हम देखें । मैंने पहले ही कहा कि प्राथमिकताएं बदलती हैं, आज प्राथमिकता क्या है? सिंचाई के संसाधन, कल ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सिंचाई का रकबा दो साल में कितना बढ़ा और इस साल के बजट में कितना है तो सिंचाई का रकबा बढ़े लगभग-लगभग इस बार 5,000 करोड़ रूपये का सिंचाई में भी हमारे यहां एग्रीकल्चर में और तरक्की करें, किसानों की आमदनी बढ़े उसकी नींव डालने का काम भी सिंचाई के माध्यम से किया। यदि इसमें हम देखेंगे तो बहुत सी नयी पहल हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट की है। मैंने पहले ही कहा कि अबूझमाड़, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी, नये औद्योगिक पार्क जिससे हमारी आर्थिक प्रगति हो सके, लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। बस्तर और सरगुजा समावेशी विकास के तहत् वहां जो उद्योग लग सकते हैं उसके लिये नयी नीतियां बनाना, उसके लिये सुविधा उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसके अलावा यह सारे प्रयत्न, नयी पहल चाहे वह कर्मचारियों का केशलेश ईलाज हो, चाहे अतिरिक्त पोषण सहायता हो, सिरपुर का विकास हो, यह सारी नयी पहल इस बजट में की गयी है और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जो पुरानी योजनाएं हैं, बजट भाषण में हाईलाईट पढ़ा जाता है, न्यू आईटम पढ़े जाते हैं लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं, ऑन गोइंग योजनाएं हैं वह तो चल ही रही है। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे

किसानों को बोनस देने की योजना हो, चाहे 3100 रूपये में धान खरीदी की योजना हो, वह सारी योजना ऑन गोईंग स्किम में चल रही हैं। अगर हम देखेंगे मैंने उदाहरण सहित बताया कि दो सालों में हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की दर 11.8 प्रतिशत है जब हमारा छत्तीसगढ़ अंजोर, विजन 2027 आया तब उस समय हमने क्या कल्पना की थी? मीड टर्म में हमारी जो प्रगति की दर है जब वह 13 से 14 प्रतिशत होगी तब जाकर हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और इस मीड टर्म में हमने उस प्रगति को इन दो सालों में करके दिखाया है। मैंने नई योजनाओं का शुभारंभ, कई नई पहल का बताया। अगर हम देखेंगे तो अगर आज हमको छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति करनी है और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और संकल्प भी है। माननीय सभापति महोदय, रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है। अभी यहां पर उमेश पटेल जी बैठे है। पिछली सरकार में कौन सा बोर्ड बना था? शायद उसके अध्यक्ष आप ही थे।

श्री उमेश पटेल :- मैं उस बोर्ड का अध्यक्ष नहीं था।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने रोजगार बोर्ड बनाया था, शायद आपको ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अध्यक्ष वह थे तो आप उन्हीं के खाते में डाल दीजिए। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कि आप खरसिया के हो तो मैं आपके बारे में कैसे बोलूं । आपने यह अच्छा किया, उनने कबाड़ा किया तो आपने उन्हीं के खाते में डाल दिया। आपको धन्यवाद्। कोई बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता है। आपका प्रयास अच्छा है। कभी हमने वर्ष 2017-12018 में इस बात की कल्पना की थी कि विभिन्न विभागों की रोजगार को लेकर अलग-अलग योजनाएं हों, चाहे खादी ग्राम उद्योग हो, ग्रामीण में अलग चलती है, शहर में अलग चलती हैं लेकिन उसको एक जगह इकट्ठा करके उसकी उचित मॉनिटरिंग करके रोजगार बोर्ड बनाना चाहिए। हमने वर्ष 2017-12018 में इस बात की कल्पना की थी, लेकिन ऐसा संयोग रहा कि उस समय हमारी सरकार नहीं बनी, इनकी सरकार बनी, इन्होंने बोर्ड बनाया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका परिणाम क्या आया? जो हमारे सामने चुनौती है। आज छत्तीसगढ़ की हमारी आय को देखेंगे तो हमने जी.एस.डी.पी. में तो 11 प्रतिशत की ग्रोथ की है।

श्री विक्रम मंडावी :- अमर भईया, इस बार इस बजट में युवाओं के लिए क्या है, आज जरा बतायेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनते जाईये। मैंने तो अभी चालू किया है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम इस बजट के साईज को देखेंगे तो केवल 4

प्रतिशत की वृद्धि है। यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हमको रोजगार के अवसर पैदा करना है और सरकार का राजस्व बढ़ाना है। जो सरकार की आय है उसके जो स्त्रोत हैं जैसे ट्रेड कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री हैं, सर्विस सेक्टर हैं आज इस बात की जरूरत है कि किसी प्रदेश की इकॉनामी को बढ़ाने के लिए हमको कोई नये सोर्स खोजना पड़ेगा। तो यह सर्विस सेक्टर हुआ, यह ट्रेड कॉमर्स हुआ उसके अलावा दुनिया कहां जा रही है हर 20 सालों में व्यापार-धंधे, टेक्नालॉजी के युग में सबका स्वरूप बदलता है। अब इतनी फास्ट टेक्नालॉजी हो गयी है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो आज हमको जो बेरोजगारी दिखायी दे रही है, उसका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। हमको स्किल डेव्हपल करके हमारे छत्तीसगढ़ के युवा दुनिया के साथ चल सके, इसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। अगर हम इस बजट को देखें तो स्किल डेव्हपलमेंट है, स्किल डेव्हपलमेंट के साथ-साथ कई स्कूलों में विवेकानंद जी के नाम से 100 स्कूल सेन्टर का प्रावधान हमने किया है। इस बात का पूरा प्रयास है कि बढ़ते हुए परिवेश में दुनिया के साथ हमारा छत्तीसगढ़ चल सके, उसके लिए हमारे युवाओं को तैयार करना, उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान, एक सोच के साथ भविष्य के छत्तीसगढ़ के लिए युवाओं को सम्पन्न बनाना, इसका पूरा प्रयास करके इस बजट में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अगर हम देखें तो काम करते-करते बहुत से विषय जन प्रतिनिधि के नाते हम लोगों के सामने भी आते हैं । अगर हम देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको परीक्षा की तैयारी में या हास्टल के अभाव में जिनके पास पैसे का आर्थिक अभाव रहता है, वह अवसर से चूकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एसीई योजना जिसमें अभ्यर्थियों का प्रवेश चयन परीक्षा के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे अर्थ के अभाव में कोई टैलेंट पीछे न रह जाए, यह एक नई पहल की है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैंने मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना का जिक्र किया कि बहुत से मेघावी छात्र हैं । जो शासकीय हॉस्टल है, उसमें जगह नहीं रहती और जो निजी हॉस्टल रहते हैं, उसमें कई लोग उसके खर्चे को वहन नहीं कर पाते और उसमें भी मेघावी छात्र-छात्राओं के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि जिनके पास टैलेंट हैं, प्रतिभावान हैं, उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए। अर्थ के अभाव में उनका टैलेंट पीछे न हो जाये, उस बात की गारंटी देने का काम अगर किसी ने किया है तो

छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने किया है, विष्णु देव जी सरकार ने किया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक योजना और है। हम छत्तीसगढ़ में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां का जेंडर रेश्यों अच्छा है, लेकिन हम दूसरे प्रांतों का जेंडर रेश्यों देखें तो चिंताजनक है और आज जरूरत है। हमारा जो जेंडर रेश्यो सही है, अगर वह बना रहे, उसके लिए भी एक रानी दुर्गावती जी के नाम से नई योजना लाई गई है । यदि 18 साल की कोई भी बेटी होगी तो उसको डेढ़ लाख रूपए मिलेंगे और सरकार शुरूआती दौर से उसकी जो किस्त है या जो प्रीमियम है, वह देने का काम करेगी । वह डेढ़ साल मिलेगा, जिससे बच्चियां किसी के ऊपर बोझ न रहें। यह प्रयोग मध्यप्रदेश ने किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आये और आज रानी दुर्गावती के नाम से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैंने जिक्र किया कि हमें अब नये परिवेश में सोचना पड़ेगा । जब हमें विकसित भारत बनाना है तो आज का समय क्या है ? छत्तीसगढ़ के 25 साल में, ठीक है, 15 साल हमारी भी सरकार थी, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है । पर्यटन के क्षेत्र में हमें जितनी तेजी के साथ काम करना चाहिए था, पर हम नहीं कर पाए । मैं किसी को दोष नहीं देता, 15 साल हम लोगों ने भी सरकार चलाई । हमने भी मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नीचे तक, जिसको विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है तो वह पर्यटन का बन सकता है। उस पर्यटन के लिए बहुत से प्रावधान बस्तर के लिए किए गए हैं, जशपुर के लिए किए गए हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसमें बहुत से वक्ताओं को बोलना है। लेकिन पर्यटन को प्रायरारिटी में लेने के लिए जो 5 मिशन बनाये हैं, उसमें एक मिशन सी.एम. पर्यटन विकास बनाया गया है, आगे चलकर यह जो पर्यटन है, यह छत्तीसगढ़ की विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसको प्राथमिकता में लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 5 नये मिशन हैं। अभी भारत में ए.आई. समिट हुआ। पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आए, बहुत से लोगों ने कहा कि ए.आई. के मामले में भारत दुनिया का

लीडर बन सकता है। दुनिया यह संभावना हमारे देश में देख रही है। अब मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उस ए.आई. में ये लोग नंगे क्यों हो गए? मैं यह नहीं कहूंगा। वह विषय आ चुका है। वह अपना कानूनी कार्यवाही कर रहा है। ए.आई. समिट में नंगे हो गए। चलो कोई बात नहीं, वह चलता है। माननीय सभापति महोदय, उस ए.आई. मिशन यह बहुत डिटेल टेक्नालॉजी है, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, उसको प्राथमिकता देना कि दुनिया के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का युवा चल सके, हम दुनिया के साथ प्रगति कर सकें, एक नई सोच, एक नई पहल इस बजट में की गई है।

माननीय सभापति महोदय, खेल का प्रावधान है, वह जरूरी है। अधोसरंचना का प्रावधान है, वह जरूरी है, लेकिन वह समय पर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात स्टार्टअप की है, नये एनीवेशन, नवाचार, टैलेंट की है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के युवकों ने सिद्ध किया है कि अगर उनको अवसर मिले तो वह दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर सकते हैं। यह काम विगत 10 साल से चल रहा है। अगर आप स्टार्टअप में देखेंगे तो शुरूआती दौर में छत्तीसगढ़ में 36 की जगह सौ स्टार्टअप का चयन किया था, आज वह नौकरी पाने वाले नहीं हैं, नौकरी देने वाले हैं। आज वह सौ स्टार्टअप 3 से 4 हजार युवकों को रोजगार दे रहा है। इस स्टार्टअप की भविष्य में और भी संभावना है। लेकिन उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। वह चाहे वित्त का हो, चाहे स्थान का हो, यह सारा काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। इसमें सी.एम. स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन बनाया है, वास्तव में अगर हम इस बजट को देखेंगे तो इस बजट में हमारे सामने वर्तमान जो चुनौतियां थी।

सभापति महोदय :- और कितना समय लेंगे?

श्री अमर अग्रवाल :- मैं बस 5 मिनट में अंतिम कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने सन् 2023 से लेकर आज तक जो चुनौतियां थीं, उन सारी चुनौतियों का आगे कैसे समाधान करें, उन बातों का भी ख्याल रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो जरूरत थी, किसानों, युवाओं, महिलाओं की जरूरतें थीं, उन सारी जरूरतों को पूरा किया गया है। इसके साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ 2047 कैसे बनाना है, वह केवल कागजों में ही न रह जाये, उस पर नींव डालने का काम किया गया है। उसके लिए जितने प्रयत्न हो सकते थे या जितना बजट हो सकता था, उन सारी बातों का प्रावधान इस बजट में हुआ है। निश्चित तौर यह विकसित छत्तीसगढ़, आधुनिक छत्तीसगढ़ की नींव का बजट है। मैं इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सारे मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा बजट बनाया, जिसकी सराहना नॉन पालिटिकल लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में की है। वास्तव में यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में कारगार होगा। यह छत्तीसगढ़ तरक्की करे। हम सबके प्रयास सफल हों और हम सब विकसित छत्तीसगढ़ देखें और मिंटो हॉल में हमने जो चिंता की थी, आज हम खुश हैं कि उन सारी चुनौतियों को हमने आधा पूरा कर लिया, आधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी और जहां तक इनकी भूमिका है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये सही रास्ते में चलें तो थोड़ा बहुत इनका भी कल्याण हो जाए। हम सबका कल्याण चाहते हैं। सद्बुद्धि आ जाए तो थोड़ा सा भी इनका काम हो जाए। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में मैं बोलने के लिए खड़ी हूं। आदरणीय सभापति महोदय जी, बजट चाहे घर का हो, चाहे सरकार का हो, बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट आता है और इसको किस-किस जगह खर्च करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरे संज्ञान में या मेरे नॉलेज में जो है, यह जो तीसरा बजट पेश हुआ अगर तीसरा बजट है, तो सबसे लंबा बजट पौने दो घंटे का बजट था। मतलब बजट का जो भाषण था, वह पौने दो घंटे का था। हम उस पौने दो घंटे में यह अंदाज़ा लगाए कि बहुत सारा छत्तीसगढ़ के लिए बजट दिए हैं, बहुत सारी राशि हमें प्राप्त हुई है, चाहे युवा भाई के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसान भाई के लिए हो, सभी बहुत आशा में थे, लेकिन जब हम लगातार सुनते गए तो हमारे चेहरे पर निराशा की झलक मिलती गई। सभापति महोदय जी, अगर बजट का बात करूं तो बजट पिछले बार भी पेश हुआ था और वह बजट सिर्फ 28 परसेंट ही खर्च हुआ है । हम सभी विधायक मांग के ऊपर मांग भेजते गए, आज तक वह मांग पूरी नहीं हुई। जो पूर्ववर्ती सरकार का जो कार्यकाल का पैसा, जो बजट पेश हुआ था, उसकी राशि बहुत ज्यादा हम विधान सभा में आपके पास निवेदन करते रहे तब वह पास हुआ और यह मैं नहीं कह रही हूं, ये वित्त मंत्री का बयान आया था, कुछ दिन पहले हमने खुद पढ़ा है कि वित्त मंत्री जी ने सभी मंत्रियों को लेटर भेजा है कि बजट को खर्च किया जाए। लेकिन पता नहीं, मंत्री नहीं सुनते या वित्त मंत्री, जब हम मंत्री महोदय जी लोग के पास बजट के लिए जाते हैं, इस बजट में एक ही काम पास हुआ है, पाँच काम मेरा

बचा हुआ है। उनका साफ कहना रहता है कि यह वित्त विभाग में रुका हुआ है। जब सब प्रक्रिया हो जाती है, हमारी तरफ से बुकलेट वहां चला जाता है, विभागीय बुकलेट जमा है, फिर कहां रुकता है? हमारे पास पैसा ही नहीं आता है और जब पिछला जब 28 परसेंट ही खर्चा हुआ तो बाकी पैसा है कहां? सभापति महोदय जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार जनता के लिए काम करना नहीं चाहती? सभापति महोदय जी, जब पिछला बजट इतना बचा हुआ है, 50 परसेंट भी खर्च नहीं हुआ है, फिर से नया बजट आया है। सभापति महोदय जी, नए बजट में हमने जितना सोच कर रखा था, जितने कर्मचारी हड़ताल में थे, जितने युवा साथी लोग हड़ताल में थे, हम सोचे थे उनके लिए बजट आया होगा। लेकिन यहां जीरो बटे सन्नाटा है।

समय : 2.53 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय जी, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वह महतारी गौरव वर्ष मना रही है। मतलब ये महतारी गौरव वर्ष महतारी महिलाओं के लिए सम्मानजनक वर्ष है और हमको गर्व भी है क्योंकि हम महिला हैं और हमारे सम्मान में सरकार ने ये गौरव वर्ष रखा है तो हमें खुशी भी है। लेकिन यहां महिलाओं का कहीं सम्मान मुझे दिखाई नहीं देता। आदरणीय सभापति महोदय जी, लगातार रसोइया संघ की महिलाएं और पुरुष, दोनों तूता में नया रायपुर में ढाई महीने से बैठी हुई हैं । लगातार खुले में टेंट छाया हुआ है और वहां पर अलग-अलग चूल्हा जला हुआ है, क्योंकि लोग बाहर से आए हैं, बाहर से पलायन करके आए हैं, टेंट में अपनी व्यवस्था की है। खुली जगह में वे शौच के लिए जा रही हैं, खुली जगह तालाब में स्नान कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था नहीं है। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? सभापति महोदय जी, जब मैं उस सभा स्थल पर बात करने गई कि आपकी मांग क्या है, उन्होंने कहा कि 50 परसेंट हमारे पेमेंट में वृद्धि की जाए। आदरणीय सभापति महोदय जी, उनका पेमेंट सिर्फ 66 रुपया है। आज के महंगाई के दिन में 66 रुपया क्या होता है? वे दूसरा काम भी नहीं कर पाती हैं। वे सुबह 10 बजे स्कूल में जाती हैं, 3 बजे स्कूल से निकल रही हैं, उसके बाद वे दूसरा काम कर ही नहीं सकती हैं। 66 रुपया होता क्या है? आज महंगाई का जमाना है, मोदी जी का जमाना है। आप एक बार घर से निकलेंगे तो 5000 रूपये खत्म हो जाता है। वे 66 रुपये में अपना रोजी-रोटी चला रही हैं। सभापति महोदय जी, उन्होंने मांग रखा था और उन्होंने इसलिए मांग रखा था क्योंकि आप लोगों ने आश्वासन दिया था। मोदी की गारंटी में था कि रसोइया संघ के लोगों के तनख्वाह में 50% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि क्यों नहीं हुई? जब वह रसोइया

संघ के लोग मंत्री जी से बात करने गए, तब मंत्री जी बोले कि तुम लोग काम पर लौट जाओ। फिर उन्होंने बोला कि जब तक हमारे वेतन में वृद्धि नहीं होगी, तब तक हम नहीं काम पर लौटेंगे। उसके बाद आदरणीय मंत्री जी का रिप्लाई आया कि अगर आप लोग काम में नहीं लौटेंगे तो हम मशीन से खाना बनवा लेंगे। यह कितनी लज्जा की बात है। आज उस गरीब लोगों की आवाज को नहीं सुनी जा रही है। इस बजट में कम से कम उनकी मांग रखनी चाहिए थी। मंत्री जी ने उनको 25% की वृद्धि करने का आश्वासन दिया था। इसलिए कम से कम 25% वृद्धि कर देना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज उनको क्या धमकी मिला, क्या नहीं मिला, यह हमें नहीं पता, लेकिन वे लोग आज पूरा मैदान छोड़कर अपने घर में चली गईं। यह महतारी गौरव का दिन है? ऐसी सरकार को लज्जा आनी चाहिए। हमको ऐसे सरकार पर लज्जा आती है कि जो महतारी गौरव वर्ष मना रही है, लेकिन वह महतारी का सम्मान नहीं कर रही है। सभापति महोदय जी, हमने महतारी वंदन योजना का बहुत गुणगान सुना है। हम मानते भी हैं कि आप लोग उनको संबल प्रदान कर रहे हैं। आप लोग महतारी वंदन योजना में महिलाओं को एक-एक हजार रूपये दे रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, इस सरकार को ढाई साल होने को जा रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आपकी सरकार में क्या हुआ था, यह भी बता दीजिये?

श्रीमती संगीतास सिन्हा :- मेरी सरकार में हमने महिलाओं को गोधन न्याय योजना के तहत सब सब चीज दिया था।

श्री अनुज शर्मा :- कुछ नहीं दिया था।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोगों ने प्रत्येक महिला को 500 रूपये देंगे बोला था, लेकिन कुछ नहीं दिया था।

श्री रामकुमार यादव :- हम उनको गौठान से जोड़े थे। हम लोग उनको गौठान से जोड़कर उनके लिए स्थायी आय का व्यवस्था बनाये थे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार भाई, तैं तो टेबल म गिनाई म मस्त रहे।

श्री रामकुमार यादव :- ओहर सब तुंहर माल हे। ओला तो तोप के राखे हौं। आप चिंता मत करौ, ओइसने-ओइसने कतका कन हावय। ओखर समय आही ता बताहौं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जब इन्होंने कहा। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मैं उस प्वाइंट को भूलूंगी नहीं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- उनको गोधन न्याय योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा था। वे गोबर की खरीदी करते थे। समूह वालों को काम दिया जाता था।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- समूह वाले जो गोबर बेचे थे, उसका भी पैसा आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। अभी आपने माननीय सदस्या को बजट भाषण पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। वह बोल रही हैं तो तर्कपूर्ण बात करें, विषय में बात करें। हवा-हवाई ऐसा कुछ भी बोल रही हैं। मैं सामने मैं बैठा हूँ और आप कुछ भी ब्लेम करें, यह उचित नहीं है। क्या आप उस बैठक में उपस्थित थीं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं कोई हवा-हवाई में बात नहीं कर रही हूँ। मंत्री महोदय जी, आप सम्माननीय हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- आप हवा-हवाई में बात कर रहे हैं। आप गुमराह मत करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप सदन में बात रख रहे हैं तो तर्कपूर्ण बात रखें। क्या आप उस बैठक में थीं, जहाँ क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? आप सुनी-सुनाई बात को बढ़ा-चढ़ाकर अपनी वाह-वाही लेने के लिए आप कोई भी विषय न रखें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, उन्होंने जो मेरे संज्ञान में लाया, उस बात को मैंने पक्ष में रखा। मंत्री महोदय, आप नकार नहीं सकते कि वहां दो महिलाओं की मौत हुई थी और आपके रहते हुए मौत हुई है। क्या आप उनको एक लाख रुपये नहीं दे सकते? क्या आप उनको मुआवजा नहीं दे सकते?

श्री गजेन्द्र यादव :- आप एक लाख की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांच लाख दोनों के लिए घोषित किया है। (मेजों की थपथपाहट) अभी उनको चेक मिलेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं मिला था, उस समय नहीं मिला था। जब हम लोग बाद में अनुरोध किए, तब यह लोग घोषणा किए होंगे। जब हम वहां पर गए थे, तब आपने कहीं घोषणा

नहीं किया था। यह चीज आप स्वीकार कीजिए। आदरणीय सभापति महोदय जी, ठीक है, मैं महतारी वंदन में आ जाती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय जी, इनकी सरकार के कार्यकाल को ढाई वर्ष हो रहे हैं। बहुत सारी बच्चियों की शादी हो गई है। आप वोट मांगने के लिए उस समय जरूर चले जाइयेगा। जो शादी हुई हैं, उनसे फिर से वोट मांगने के लिए चले जाइयेगा। लेकिन आज से उनको पैसा दीजिए ना, पोर्टल खोलिए ना और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको आप लोग 500 काटकर सिर्फ 500 दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये दीजिए ना। आप उनका पैसा क्यों काट रहे हैं? जब आपने कहा कि सभी महिलाओं को, चाहे विधवा हो, चाहे कोई भी हो, उन महिलाओं को 1000 रूपये मिलेगा तो उनको 1000 रुपये दीजिये। आप बुजुर्ग महिलाओं को 500 रूपया काटकर 500 रूपया दे रहे हो और बजट में 1 परशेंट नहीं है। सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि बजट में सब आना चाहिये । घोषणा पत्र में 500 रूपये में सिलेण्डर देने की बात किये थे। अभी दीदी 500 रूपये-500 रूपये बोल रही थी...।

श्रीमती शकुन्तला पोर्ते :- आप लोग भी कहे थे वह नहीं दिया था, यह बता रही हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम नहीं दिये थे, इसलिये यहां बैठे हैं।

श्रीमती शकुन्तला पोर्ते :- आप वहीं बैठिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग सरकार में है, 500 रूपये में सिलेण्डर देने की बात किये थे । यह आज इस बजट में नहीं आया है । 500 रूपये में सिलेण्डर देने का कौन से बजट में आयेगा? आप लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो 500 रूपये में सिलेण्डर देंगे। बजट में कहां है?

श्री अनुज शर्मा :- इब्तदाये इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिये, होता है क्या?

श्री रामकुमार यादव :- सुनव न महराज । एखर चोला नई पहिने रहेव त हीरो रेहेव । अब तुमन ला खोजथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, इसके बाद आपका नंबर है।

श्री अनुज शर्मा :- सुन ना । काम दिखे तो नजरे झुका लेते हैं, कैमरा आये तो मुद्दा बना लेते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- नई महराज, तुमन जब ले आय हव, सही बयान दे के बजाय आंय-बांय-सांय हो गये हव। शायर लहुट गये हव ।पूछत हन त शायरी मारथव।

श्री अनुज शर्मा :- विधायकी में काम होवथे, फेर लहुटिही महराज।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- समुंदर के लहरा हा लौट के फिर आथे, महराज । हमन समुंदर के लहरा अन।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं तो स्वास्थ्य के बारे में भी एक बात बोल देती हूँ । मितानिन जो कार्य करते हैं वह मानदेय के लिये मुझे आवेदन भी दिये थे और मुझे अभी भी याद है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमने मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि किया था । सभी महतारी लोग आये थे तो हमने भी कहा था कि इस बार बजट में होगा और आप लोग होली मनायेंगे । सभापति महोदय, मितानिन और आंगनबाड़ी की कार्यकर्तायें खाली हाथ रह गई है, जबकि उन लोग बहुत सारा काम करती है। वे हड़ताल में बैठी हैं, जेल में अलग भेजे हो । महिलायें कितना काम करती है, आप उनको इतना काम देते हैं और वेतन कितना 2500 रूपया है । सभापति महोदय, आजकल 2500 रूपया कुछ नहीं होता है।

श्री अनुज शर्मा :- हमारी बहन बहुत वरिष्ठ विधायक हैं । आपकी सरकार ने कितना दिया था, इसका उल्लेख जरूर करें । आप हमसे जो मांगना चाहते हैं, उसका भी उल्लेख जरूर करें और आपके कार्यकाल में कितने लोगों को कहां-कहां पीटा गया, जेल भेजा गया, स्व-सहायता समूहों में मातृ शक्ति का अपमान किया गया, 500 रूपया तक तो दिया नहीं है, उस पर भी आपका बयान आग्रहपूर्वक आना चाहिये । मैं अपने प्रतिपक्ष के साथी से आग्रह करता हूँ । पत्रकारों के साथ क्या हुआ, उसको भी जोड़ लीजियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में रात को 2.00 बजे बच्चियों को जेल नहीं भेजा है, जो आपने किया है । हमने बच्चियों को रात 2.00 बजे जेल में नहीं बिठाया है । हमने 4 दिनों तक बच्चियों को जेल में नहीं रखा है । आपने तो बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है । ये है आपकी सरकार।

एक माननीय सदस्य :- बाल मुंडवा दिये, बाल।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारे सरकार की कर्जा माफी को भी याद करिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उसमें पूरी कांग्रेस साफ हो गई । आप कैसे बात कर रहे हैं?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, कोई पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस को साफ कर ले । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- कर्जा माफी किये हैं, यह भी याद रखना है ।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप सभी का नाम है, सब को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- पूरी कांग्रेस साफ हो गई, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई पैदा नहीं हुआ है जो हम लोगों को साफ कर दे । कान खोलकर सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- हम लोग तो स्वच्छता की बात कर रहे थे, आप लोग तो गंदगी स्वीकार करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं आपकी भाषा की मर्यादा को समझता हूँ। आप गंदगी और सफाई मुझे न समझाने का कष्ट करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- सदन की तरफ से दिलीप लहरिया जी को सचेतक बनने की बधाई हो। भैया को ले-देकर तो कुछ मिला है। पहले गायक थे, अब विधायक हैं। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- इसीलिए मैं सचेत कर रहा हूं, अभी भी संभल जाईए।

सभापति महोदय :- चलिए, प्लीज बैठिए। ज़्यादा टोका-टाकी न करें। बहुत नाम हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाह रही थी। किसी गरीब की तबीयत खराब होती है, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे डिलीवरी का ही केस क्यों न हो। अगर महिला डिलीवरी करवाने जाती है तो उनसे 1600 रूपए सीज़र के लिए वसूल की जाती है। आपके स्वास्थ्य विभाग की ये सच्चाई है। नॉर्मल डिलीवरी 3500 रूपए, क्यों जाती हैं? भई, सरकारी अस्पताल में वह इसलिए जाती हैं कि फ्री में इलाज हो और वह भी गरीब जनता जाती है। बड़े लोग तो प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग वहाँ जाते हैं, मोतियाबिंद के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ऑपरेशन के लिए 4500 रूपए है। अगर प्री-मैच्योर बच्चा है, अगर गरीब का बच्चा डिलीवरी होता है, ऑपरेशन से होता है, 16,000 रूपए का मार अलग पड़ता है। 16,000 रूपए के साथ अगर बच्चा प्री-मैच्योर है तो 5,000 रूपए का उसका एक दिन का चार्ज है। अगर उससे ज़्यादा कमज़ोर है तो 6,000 रूपए है और उससे ज़्यादा बहुत वीक है तो 8,000 रुपया देते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आप कहाँ का रेट बता रही हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं जिला अस्पताल बालोद का बता रही हूँ। आयुष्मान से इलाज करवाते हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, अपने कार्यकाल का याद आ गया। ये अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वर्तमान स्थिति बना रही हूं। यहां पर अगर अधिकारी वर्ग में बैठे होंगे तो अभी पता करवा लीजिए। ये चार दिन पहले का रिकॉर्ड है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, सरकारी अस्पतालों में तो पैसे ही नहीं लगते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं यही तो पूछना चाहती हूँ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप सदन को गुमराह कर रही हैं। अगर कोई तथ्य है तो सभापति महोदय के आग्रह से पटल पर रख दें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं सदन को कोई गुमराह नहीं कर रही हूं। यहां अधिकारी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। यहां बात कर लें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए। टोका-टाकी न करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, बोलते हैं कि इसको आयुष्मान से कटवाना है। बाइ द वे मैंने कहा पैसा नहीं है तो क्या होगा? मैडम फ्री में करवा देंगे। सभापति महोदय, यह क्या है? वहां गरीबों के लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए। अगर आप नहीं करवा सकते तो सरकारी अस्पताल बंद कर दीजिए । वहाँ पर लिख दीजिए प्राइवेट से इलाज होगा । सरकारी अस्पताल क्यों रखे हो? बंद कीजिए न। इतने सारे आपके बजट में आए हैं। इसमें कैंसर का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हॉस्पिटल खुल रहा है। इसमें बहुत सारे अस्पताल खोलने का है, आप क्यों खोलोगे ? जब पैसा ही वसूली करना है तो सरकारी अस्पताल का मतलब क्या हुआ? आप यह बताइए न।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ये बताईए, जैसे वित्त मंत्री जी मेडिकल अस्पताल, हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल खोलने का प्रावधान किए हैं, आप क्या चाह रही हैं, उनको निरस्त करा दें क्या?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं निरस्त नहीं करवाना चाह रही। मैं चाह रही हूँ अगर वहाँ पर गरीब जाते हैं, गरीब तबके के लोग जाते हैं तो वहाँ पर फ्री में इलाज हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- दूसरे विषय में आगे आईए न।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सरकारी अस्पताल में कहीं भी 16,000, 5,000 पैसा लगता होगा, जैसा आप बता रही हैं। आप माननीय विधानसभा सदस्य हैं, आप लिखकर दीजिएगा, मैं सदन में बोल रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं आपको लिखकर दूँगी। सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर सरकारी अस्पताल में कोई जाता है तो वहाँ आयुष्मान नहीं होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट इलाज सरकार से होना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं, आयुष्मान तो सरकारी हॉस्पिटल में लागू है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इंश्योरेंस है सीधी सी बात है, पूरी सेटिंग है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप सुनिए ना, पाँच साल पूरी आपकी गवर्नमेंट थी, दादी बैठे हैं, उस समय मंत्री थे, अभी पुराने मंत्री में एक ही बैठे हैं। पाँच साल भी आयुष्मान चला तो उस समय आप भी विधायक थे, आपने अपनी सरकार में एकाध बार क्यों नहीं बोला?

श्री सुशांत शुक्ला :- इनके समय में धकाधक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चला। बाबा आए थे, लूट के ले गए थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमने उस समय भी मांग की थी, जब चेंज करने वाले थे, आपकी सरकार आ गई तो करवा दीजिए ना, हम तो निवेदन कर रहे हैं, आज

हमारे बजट में हमें बोलने का अवसर मिला है। हम बस इतना चाहते हैं कि जब गरीब तबके के लोग सरकारी अस्पताल जाएँ तो उनको पैसे की आवश्यकता मत पड़े। आदरणीय सभापति महोदय, सोनोग्राफी के लिए 200 रूपए। आपने मेरी विधानसभा में मेरे जिला में सीटी स्कैन मशीन दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सीटी स्कैन के लिए 2,000 रूपए लगते हैं, अगर वहाँ सोनोग्राफी भी करवाते हैं तो 200 रूपए लगते हैं, एक्स-रे भी करवाते हैं तो 30 रूपए है। आप क्यों रेट फिक्स करके रखें हैं? भले वह आयुष्मान से हो, लेकिन उसको बंद कीजिए। सरकारी अस्पताल मतलब गरीबों के लिए है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आपत्ति है, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मंत्री जी को इंगित करते हुए कहा कि क्यों कर रखे हैं? शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था के साथ जांच की भी व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि अगर कोई तथ्य है तो आपकी अनुमति से पटल पर रख दें। लेकिन यह भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं और तथ्य नहीं दे रही हैं तो मौखिक बातों पर कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, बोल तो रही हैं न। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप तर्कों के साथ बात करें। आपकी बात स्वीकार की जाएगी। यह आपत्ति का विषय है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैंने भ्रष्टाचार नहीं कहा है। आप गलत बोल रहे हैं। सुशांत भाई, आप इसको गलत ओर ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- विधायक महोदया बोल रही हैं और यह बार-बार उनका ध्यान भटकाने के लिए यह सब बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैंने भ्रष्टाचार कहीं नहीं कहा है। मैं तो निवेदन कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने पैसे की बात कही है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यदि शासकीय अस्पतालों पैसे लिये जा रहे हैं तो आप उसके तथ्य दे दीजिये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि अगर बजट में है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, बाबू के पास भ्रष्टाचार। आप लोगों ने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बार-बार यह उत्तेजित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग कमीशन के बिना धान नहीं ले रहे थे।

सभापति महोदय :- आप लोगों की बारी आएगी। आप उसमें अपनी बात रखियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप चिंतित हैं। हम सब आपकी चिंता से सहमत हैं। मंत्री जी ने कह दिया है कि वह जवाब देंगे। आप यह बताइये कि अभी बजट का सत्र चल रहा है। आपकी सरकार में सिर्फ आबकारी से 5 हजार करोड़ रूपये आये, लेकिन हमारी सरकार में वह 11 हजार करोड़ रूपये हो गया। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो, इसमें कोई खराबी दिख रही हो तो बोलिये। आप जरा पॉजिटिव्ह बात कीजिये। यदि आप ऐसे ही बोलती रहेंगी, आप सब बोलते रहेंगे तो भगवान राम भी सबको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाये थे तो हम लोग कहां से संतुष्ट कर देंगे? आपके समय आबकारी में 5 हजार करोड़ रूपये आते थे। 5 हजार करोड़ रूपये गायब हुए थे, लेकिन अब वह 11 हजार करोड़ रूपये हो गया है। उसमें आप जरा हम लोगों का ज्ञान बढ़ाइये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं आबकारी विभाग में बोल रही हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, गायब नहीं हुआ था। अभी बढ़ा है, इसका मतलब है कि दुकानें डबल हुई हैं, तब आय बढ़ी है। गायब अभी भी हो रहा है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप दुकानों को ट्रिपल कर लिये होते। क्या आपको किसी ने रोका था? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, आपने जो कहा कि 5 हजार करोड़ रूपये गायब हो गये थे। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- कुलमिलाकर यदि रूपया नहीं आएगा तो यह जन कल्याणकारी कार्यक्रम कैसे होंगे? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में ढकेलना नहीं चाह रहे हैं। धीरे-धीरे हम लोग दारू को बंद करना चाह रहे थे। नशा को कम करना चाह रहे थे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भैया, 5 हजार करोड़ रूपये गायब नहीं हुए थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- कहां था, यह मैं बताता हूं। इनकी सरकार में यह जो मुगलिया वंशज थे, उनकी जेब में जाता था। आप किसको बताना चाह रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- शुक्ला जी, हम समझ गये। हम लोग नशा को धीरे-धीरे कम करना चाह रहे हैं। आप जैसे छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में नहीं ढकेलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये। आपको 21 मिनट हो गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आबकारी विभाग की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि थी। 30 तारीख को शुष्क दिवस मनाया जाता था, उस दिन को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। उस दिन भी दारू भट्ठी खुली थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि के दिन भी दारू बंद नहीं किया गया। सभापति महोदय जी, इन्होंने होली के दिन दुकान खुलने का आदेश कर दिया था।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, पिछले समय आबकारी में मेरा एक प्रश्न लगा था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि दुकान को मैं बंद करा दूंगा, लेकिन आज पर्यंत तक दुकान बंद नहीं हुई, बल्कि बाजू में और खुल गई।

सभापति महोदय :- आपकी बारी आएगी, तब अपनी बात रखिएगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, जब आबकारी की बात आई तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रही हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बड़े उत्साह से कहा था।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए, आप अपनी रखिए। आपके 25 मिनट हो रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग में आती हूं। शिक्षा विभाग में जब हमारा पहला सत्र लगा तो उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री जी थे। उस समय 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी। हम 33 हजार घोषणा को भूल गये। युक्तिकरण में सभी शिक्षकों को हटा दिया गया। हर स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। आप स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला था। स्वामी आत्मानंद स्कूल में गरीब के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगी। उसमें एक गरीब का बच्चा बैठकर पढ़ रहा था तो मैं उससे पूछी कि बेटा, मम्मी-पापा कहां हैं तो उसका जवाब था कि मोर मां हा रोजी मे गे हे। इससे हमें गर्व होता था कि एक गरीब का बच्चा, रोजी-रोटी कमाने वाले का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। आज स्कूल को बंद करने का काम यह सरकार कर रही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- इधर की ईंट, ईंधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहां की बात हुई? आपने बगैर सेटअप और व्यवस्था के चलते हिन्दी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश में परिवर्तित किया और यह उपलब्धियों की बात कर रही हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भैया, मैं सच्चाई बता दो? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उसके लिए अलग भर्ती हुई थी। उसके लिए अलग शिक्षक, अलग स्टाफ सेलेक्ट किये गये थे। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहां की बात हुई ? कोई चलते हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिस मीडियम में परिवर्तित किया। बगैर सेटअप के, बगैर व्यवस्था के और यह उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अलग भर्तियां हुई हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सारे शिक्षक सारे स्टाफ (व्यवधान)। आप कैसी बात कर रहे हैं ? आपने 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। क्या हुआ ? (व्यवधान) 2024 में। आपकी सरकार को 2 साल हो गया। 5 हजार शिक्षक भर्ती नहीं कर पाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कुंवर जी, बैठिये।

श्री जनक ध्रुव:- माननीय सभापति जी, यह लोग युक्तियुक्तकरण करके मेरे विधान सभा में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी शिक्षक नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब गांव के बच्चे इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, तब इनको तकलीफ हो रही थी। यह केवल निजीकरण में . .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, गांव के शिक्षकों को शहर में ले आये थे। उस समय आप लोगों को गांव के स्कूल की चिंता नहीं हुई ?

सभापति महोदय :- आशाराम जी, बैठिये। आपकी पारी आयेगी, आप उसमें अपनी बात रखियेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप जाकर देखिये आत्मानंद में आपने जितने भी प्रिंसिपल पदस्थ किये हैं, उससे सारे हिंदी मीडियम स्कूल की पूरी दुर्दशा हो गयी है।

श्री आशाराम नेताम :- आपको गांव के बच्चों की याद नहीं आयी क्या ?

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उनको केवल नौकरी करनी है। अपना समय पास करना है। उनको एक, डेढ़ साल बचा है, उन सारे प्राचार्य को आपने वहां पर पदस्थ कर दिया है।

सभापति महोदय :- बैठिये। जब आपकी पारी आयेगी, उसमें अपनी बात रखियेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ओ.एस.डी. को शिक्षा विभाग में तबादला उद्योग चलाने के लिए हटाया गया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बार-बार टोका-टाकी न करें।

अशोभित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी क्या हो रहा है ? अभी भी वही हो रहा है। युक्तियुक्तकरण के नाम से खेल चल रहा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप एक आरोप तो बताईये। आपके ओ.एस.डी. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कुंवर जी, बार-बार टोका-टाकी मत करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप मेरे विधान सभा में चलिये। मैं अभी आपको बताता हूं। जो युक्तियुक्तकरण के नाम से खेल चल रहा है। किसी को कहीं का कहीं पदस्थ कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, इनके राज में शिक्षक कुकुर गिन रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कुकुर, बिलाई, मुसवा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ही ने आदेश निकाला था कि सब टीचर कुकुर को गिन-गिन के लाओ। इनकी सरकार में हो रहा है। हमारी सरकार में हम लोगों ने तो शिक्षक को आदरणीय बनाए हैं। हम गुरु को भगवान की तरह पूजते हैं और आप लोग उनसे कुकुर गिनवा दिए? आप लोग तो शिक्षकों से कुकुर गिनवाने का काम करा रहे हैं। यह है आपके संस्कार।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ। इन्होंने 18,198 टीचरों को एस.आई.आर. में लगा दिया। एग्जाम सर पर है, जब बच्चों की पढ़ाई का वक्त है। बच्चों का भविष्य क्या होगा? बताइए ना क्या होगा भविष्य? आप टीचरों को एस.आई.आर. में लगा दिये। और बहुत सारे विभाग हैं, उनके लोगों को लगाइए। सभापति महोदय, अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं और आपने शिक्षकों को एस.आई.आर. में लगाने का काम किया।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, देश का ढांचा संघीय ढांचा है । अगर संघीय ढांचे में कोई अनुमोदन की व्यवस्था है।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं-नहीं, यह एक विषय है। आज हमारी जो वरिष्ठ सदस्या हैं, इनको यह मालूम होना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने ही प्रश्न में अपना जवाब दे दें कि अगर जिन कर्मचारियों की बहुतायत की संख्या है, यदि उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, तो किसकी लगाई जाए आप ही बता दें ?

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिए।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप अन्य विभाग को लगा सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो आज अपना करियर तय करेंगे। 12वीं का बोर्ड होता है, 10वीं का बोर्ड होता है। कोई ऐसी-वैसी परीक्षा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बेरोजगारी भत्ता की तरफ आऊँगी क्योंकि इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। डी.एड., बी.एड. के सभी लोग हैं। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य किया था और इन्होंने सब बंद कर रखा है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, डी.एड., बी.एड. के बच्चे जो हड़ताल में थे, उनको रात को 2 बजे उठाकर। इस बात को मैं बता चुकी हूँ, डबल नहीं करना चाहूँगी। सभापति महोदय, उनके लिए कोई रोजगार का अवसर दें, शिक्षा का विस्तार हो। टीचर लोगों के लिए कुछ भर्ती खोलिए। जो लगातार मेरी बातों का रिप्लाई दे रहे हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सरकार को बोलिए कि कुछ रोजगार दें, डी.एड., बी.एड. के बच्चे भटक रहे हैं। उनके लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान होना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मनरेगा का बहुत ज्यादा चल रहा है।

श्री आशाराम नेताम :- जी राम जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- राम-राम। सभापति महोदय जी, अभी भाई साहब जी राम जी बोले । उसके फुल फॉर्म में तो जी राम जी है ही नहीं, आप देख लीजिए उसमें जी-राम-जी है ही

नहीं, उसमें सिर्फ नाम शब्द का उपयोग किया गया है। अगर केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत देती थी तो रेशियो को चेंज करने की क्या आवश्यकता थी? क्या मोदी जी के पास पैसा नहीं है? क्या मोदी जी मनरेगा के लिए 100 प्रतिशत पैसा नहीं दे सकते? राज्य सरकार 40 प्रतिशत और केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत उन्होंने रेशियो बना दिया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यही डबल इंजन की सरकार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं यही पूछना चाहती हूं कि सरकार के पास पैसा है क्या ? सरकार पैसा हम लोगों को काम के लिये नहीं दे रही है, क्या वह मनरेगा में पैसा देगी ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोग छोड़े कहां थे, जो हम लोग लाते। हम तो अपनी व्यवस्था से ला रहे हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर 5 सालों तक छत्तीसगढ़ को एकवंशीय परिवार की चरणवंदना में समर्पित करने वाले ये लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को ए.टी.एम. बनाकर रख दिया था।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हर साल की राजस्व वसूली हो रही है, हर साल नया बजट तय होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, वह मेरा समय ले रहे हैं, मेरे को समय में वृद्धि की जाये।

सभापति महोदय :- मोतीलाल साहू जी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, [XX][7]।

श्री सुशांत शुक्ला [XX]

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX]

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- इस तरह की आपस में सदस्य लोगों को बात करना उचित नहीं है। ध्यान रखियेगा। आप सब लोगों की यह बात विलोपित होगी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

सभापति महोदय :- श्रीवातस्व जी, यह सारी बात विलोपित होगी। ऐसे आपस में टोकाटाकी उचित नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX][8]

सभापति महोदय :- यह सारी बात रिकार्ड में नहीं होगी। यह सारी विलोपित होगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

सभापति महोदय :- यह सारी बात विलोपित होगी, रिकार्ड में नहीं होगी। द्वारिकाधीश यादव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

सभापति महोदय :- प्लीज, शुक्ला जी, बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। यह बार-बार टोकाटाकी उचित नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

सभापति महोदय :- यह सारी बात रिकार्ड में नही आयेगी। विलोपित होगी।

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX] ..(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- [XX]

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(सभा की कार्यवाही 3.23 बजे से 3.32 बजे तक स्थगित रही।)

समय : 3.32 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय :- संगीता सिन्हा जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मुझ पर सदन के अंदर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि व्यवस्था का प्रश्न है। या तो खेद व्यक्त किया जाये, नहीं तो विषय वैधानिक तौर पर मुझ पर आरोप लगाये, तथ्य आज सदन के अंदर प्रस्तुत करें । यह गरिमामय सदन है, मेरा जमीन का व्यापार नहीं है और जिन्होंने जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया है तो आज सदन के अंदर उसका साक्ष्य दें कि कब, किससे कहां, किसको कितना पैसा दिया, यह बतायें। नहीं तो खेद व्यक्त करें, सदन की गरिमा होती है, मैं भी सदन का सदस्य हूं और मेरी भावनाएं आहत हुई हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल...।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात की आपत्ति लेता हूं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, आप अपनी बात बोल लीजिये न।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल यह बताया कि बिलासपुर के मोपका में एक मंडल अध्यक्ष द्वारा सुपाड़ी दी गयी थी और वह सुपाड़ी किलिंग भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की हो रही थी, उसने 3 करोड़ की लूट की और यह हमारे ऊपर अपराध का मामला बता रहे थे तो मैंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि आपका मण्डल अध्यक्ष जिसके साथ आपकी फोटो है, वह अपराधी है।

सभापति महोदय :- ठीक । अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

असंशोधित/प्रमाणित के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं, अगर देखिये। मैं फिर कह रहा हूं कि आप रिकॉर्ड चेक करा लें, आपने जिसको विलोपित से पहले जो सभापति थे उन्होंने विलोपित करने की व्यवस्था दी थी।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये, मैं इस विषय से बहुत आहत हूं। लगातार अन्य स्थानों पर भी माननीय सदस्य के द्वारा और आज सदन के अंदर भी मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जमीन का व्यापार किसका है, मैं सदन के अंदर दस्तावेजी प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- कर दो, कर दो।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं कह रहा हूं । लेकिन मैं...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप दोनों आपस में बात मत करिये। आप दोनों, देखिये, आप बोल लिये न। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा तो व्यापार है। (व्यवधान) मैं ट्रेक्टर चलाता हूं, इसका व्यापार क्या है, यह बतायें। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं कह रह रहा हूं कि मैं भी व्यापारी हूं, मैं भी अपना व्यापार करता हूं।

सभापति महोदय :- मैं अब व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- उसका प्रस्तुत कर सकता हूं, मैं सदन में बकायदा चुनाव लड़कर नामांकन में ऐफिट-डेविट भरकर यहां पर आया हूं । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- व्यवस्था तो सुनिये न।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं, व्यवस्था नहीं । उन्होंने कटाक्ष किया इसलिये आपके माध्यम से प्रश्न है और मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर सदन के अंदर खेद प्रस्तुत नहीं होगा, मेरी व्यक्ति भावनाएं आहत हुई हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय । आपने उनका पक्ष सुन लिया।

अशोभित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- आप चेक करा लें, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं । यह गलत बात है।

श्री उमेश पटेल :- आपने इनका पक्ष सुन लिया, उनका पक्ष लिया । अब आपको व्यवस्था देनी है वह दे दीजिये।

सभापति महोदय :- मैं दे रहा हूं न।

श्री उमेश पटेल :- आप सदस्य सुन लें।

<u>व्यवस्था</u>

सभापति महोदय :- यह चर्चा बजट के ऊपर हो रही है और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के लिये यह न मंच है और न यह जगह है इसलिये हम सबको इस प्रकार की बात से बचना चाहिए । आप दोनों के बीच जो भी बात हुई है, जो भी चर्चा आयी है वह सबको विलोपित किया जाता है, वह कोई भी चर्चा में, रिकॉर्ड में यहां नहीं रहेगा और आप सब अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर के बात करें, सभी सदस्यों के लिये है । यहां सभी सम्मानित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं । जनता से चुनकर के आये हुए हैं और किसी के ऊपर बिना किसी प्रमाण के, अगर प्रमाण भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है तब आप कोई बात कह सकते हैं अन्यथा इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। यहां पर सौहाद्रपूर्ण वातावरण में चर्चा होनी चाहिए, यह प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। इस मंदिर में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से अगर आप जितना बचेंगे, उतना ही स्वस्थ चर्चा हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि इस बात को यही खत्म करें। हम सबको इस प्रकार की बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब यहां चर्चा शुरू होनी चाहिए। माननीय संगीता सिन्हा जी आप अपनी चर्चा संक्षेप में खत्म करें।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, अभी भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत आरोप का विषय है और माननीय सदस्य खेत प्रस्तुत करेंगे तब ...।

श्री उमेश पटेल :- इसमें अब व्यवस्था आ गयी है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय उमेश जी, मैं आसंदी से आग्रह कर रहा हूँ।

श्री उमेश पटेल :- आप आसंदी की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था दे दी। अब आगे बढ़िये।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय उमेश जी, मैं आसंदी से आग्रह कर रहा हूँ। मेरा आग्रह करना अधिकार है।

श्री उमेश पटेल :- अब आगे बढ़ें। इसी को लेकर पीछे पड़े रहेंगे तो थोड़ी बनेगा।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैंने व्यक्तिगत कोई आरोप किया हो तो आप पुराना रिकॉर्ड चेक कर लें। मैंने आज तक किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं। मैं यह मानता हूँ कि मैं कनिष्ठ सदस्य हूँ, लेकिन मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं। अगर व्यक्तिगत आरोप का विषय आता है तब मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ नहीं तो मैं इस व्यवस्था से पृथक हो जाऊंगा। यह आहत करने वाल विषय है। लगातार बिलासपुर के विषय पर सार्वजनिक मंचों पर जो गलत बयानबाजी हो रही है, व्यक्तिगत तौर पर। आज यह सदन में भी यह बोला गया है और [9]**[XX]** यह भी चिंता का विषय है। यहां जैसी भाषा शैली होगी, यहां पर वैसी भाषा शैली में जवाब दिया जायेगा। यह गलत बात है, यह मेरी चिंता का विषय है।

<u>व्यवस्था</u>

सभापति महोदय :- देखिये। आपस में आपत्तिजनक, आक्षेपजनक आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ही उचित नहीं है। आपकी भावना विधान सभा के अंदर आ गयी है। अब मैं अटल जी के विवेक पर छोड़ता हूँ कि वह इसमें क्या करना चाहेंगे। आप देख लीजिए। माननीय सुशान्त जी, आप अभी बैठिये। आपको कुछ टिप्पणी करना है या नहीं करना है। ठीक है। आपको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है। तो यह सारी कार्यवाही बाहर कर दी गयी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इसमें आहत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी आरोप में बिना तथ्य के कोई आरोप लगा है, वह अभी प्रमाणित नहीं है इसलिए आप स्वस्थ मन से कार्यवाही में भाग लीजिए। सारी कार्यवाहियां निकाल दी गयी हैं। अब संगीता जी, आप अपनी बात बोलिए। थोड़ा जल्दी समाप्त करिये। अभी 34 लोग बाकी हैं।

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)</u>

---

[9] [9]**[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.**

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मनरेगा के विषय में आयी थी। ठीक है। अब मैं बिजली बिल के विषय में आती हूँ। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली बिल योजना को हाफ रखा था, मै आपसे यह निवेदन करती हूँ कि उस बिजली बिल हाफ योजना को फिर से चालू कर दिया जाये क्योंकि आपने इसे 400 यूनिट किया, उसे फिर घटा दिया गया फिर आप 200 यूनिट पर आ गये। उसके बाद बड़े-बड़े बधाई के पोस्टर छापे। जैसे कल के प्रश्नकाल में आया था कि एक बुजुर्ग महिला का 5 लाख रूपये का बिजली बिल आया है। अभी इस तरह के बिजली बिल आ रहे हैं। सभी जो गरीब तबके के लोग हैं, यहां सभी परेशान हैं बिजली बिल हाफ योजना इस बजट में रहना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसको इसमें जोड़ दिया जाये। अगर यह जुड़ सकता है तो इसको जरूर जोड़ें।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं दिव्यांग लोगों की बात करना चाहूंगी । अभी नये रायपुर में लगातार दिव्यांग लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे आवेदन दिया और मुझसे यह निवेदन किया है। दिव्यांग लोग अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से करते हैं उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनके पेंशन को बढ़ा दिया जाये। अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो वहां उनको 3200 रूपये पेंशन मिलता है और अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में उनका पेंशन 6000 रूपये है, जो उनकी सेवा करता है अगर वह दिव्यांग बेड में है तो जो उनकी देखरेख करता है उनको भी पेंशन के रूप में 6000 रूपये मिलता है। अगर हमारे प्रदेश की बात करूं तो हमारे प्रदेश में भी साढ़े 7 लाख दिव्यांग हैं उन दिव्यांगों में सिर्फ 65 हजार लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। मैं इस सरकार से निवेदन करती हूं कि दिव्यांगों का पेंशन बढ़ायी जाये और इस बजट में दिव्यांगों के लिए बजट ली जाये । मैं इस बजट से बहुत संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इसमें न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवा साथियों के लिए कुछ है, न किसान भाईयों के लिए कुछ है, न हमारे गरीब तबके के भाइयों के लिए कुछ है। मैं इस बजट का घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- सभापति महोदय, जिन्होंने 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया है, उनको लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। यह माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी का तीसरा बजट है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतरने वाले और छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट प्रस्तुत किया है । उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है । उन्होंने पहले ज्ञान का बजट लाया, उसके बाद गति और फिर

यह संकल्प का बजट है । हमने दो बजट में छत्तीसगढ़ के विकास को देखा भी है कि किस प्रकार से बजट आया और वह धरातल पर कैसे उतरा और विकास की ओर छत्तीसगढ़ फिर से कैसे पटरी पर चलने लगा । पहले हम कहते थे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया । लेकिन अब इस कहावत को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में यह ''छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया'' अब यह वास्तव में लगने लगा है । इसलिए लगने लगा है क्योंकि अब लोगों के जीवन स्तर में अभूतपूर्व बदलाव और एक सुधार हमें देखने को मिल रहा है । अब लोगों के जीवन में खुशहाली भी लगने लगी है । पहले लोग छोटी-छोटी बातों के लिए चिंतित रहा करते थे कि हमारी जरूरत कैसे पूरी होंगी। बुनियादी जरूरतों के लिए तरसा करते थे और उसको छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल में विकास हुआ है । छत्तीसगढ़ को पहले जो देखा करते थे और अब जो देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि ये वही छत्तीसगढ़ है । आज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान है और यह प्रावधान सिर्फ कागजों में है, ऐसा नहीं है, यह धरातल पर उतरने वाला भी बजट है । मुझे वर्ष 2018 का कांग्रेस का घोषणा-पत्र याद आता है । ऐसा कोई योजना नहीं है, जो इन्होंने घोषणा पत्र में की थी और वह धरातल पर उतरी हो, लेकिन 2023 के चुनाव में जब हमें जनादेश मिला और विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इतने कम दिनों में ही जो हमने चुनाव के समय में वायदा किया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है और मोदी जी की गारंटी के साथ में उनके नेतृत्व में सभी कार्य पूरे हुए हैं । जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय 5000 करोड़ का जो बजट था, अब वह बजट बढ़कर 1,72,000 करोड़ में परिणित हो गया । यह अब तक का बड़ा बजट है और इसमें गरीब कल्याण, युवा, महिला, किसान और उद्यमी, सबके लिए कहीं न कहीं इस बजट में प्रावधान है, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ एक समुचित, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आगे बढ़े, इसलिए दूरगामी सोच के साथ में इस बजट को माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । यह भी कोशिश की गई है कि जो क्षेत्रीयता असमानताएं थीं, ऐसा माना जाता था कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में और भी ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, जिन्हें हम वनांचल कहते थे । आज हम उनको भी विशेष प्रावधान लाकर, विशेष बजट देकर उनको मुख्य धारा में जोड़कर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, अब वह भी विकसित के रूप में जाना जाएगा और छत्तीसगढ़ की पहचान भी अब उसी से होने लगी है । ऐसा हमारा बस्तर और सरगुजा अंचल है। यहां की

विशिष्ट संस्कार और संस्कृति है, यहां की जो हस्तकला और वस्तुकला है, उसमें छत्तीसगढ़ की पहचान बनी हुई है। अब इसमें और भी निखार आने वाला है। अब यहां के रहने वाले युवा हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के नाम को पूरे देश और पूरी दुनिया में रौशन करने वाले हैं, ऐसा इस बजट का परिणाम आने वाला है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ को शांति के टापू के रूप में जाना जाता था। लेकिन कुछ समय तक ऐसी परिस्थितियां आईं, जिसके कारण हमारा यह छत्तीसगढ़ बदनाम होने लगा था। लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प के चलते और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वे अब नक्सलमुक्त होते जा रहे हैं। वहां बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक और अनेक योजनाओं के कारण वह क्षेत्र अब आगे बढ़ने लगा है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमने पहले गीदम में एक मात्र एजुकेशन हब देखा था। वहां पर रहने की सुविधाएं और वहां की अन्य सुविधाओं की शुरूआत हुई है, अब वहां उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बस्तर के कई जगहों में एजुकेशन हब और अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया जा रहा है, जिससे अब बस्तर भी छत्तीसगढ़ में विकास की जो गति चल रही है, उसमें उनकी भागीदारी हो, उनका हिस्सा हो। वैसे ही हर क्षेत्र में, खासकर युवाओं के लिए एजुकेशन और कौशल उन्नयन के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके लिए नया मेडिकल कालेज खोलने, रोजगार के अवसर सृजित करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के युवा, कभी रोजगार और एजुकेशन के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाया करते थे। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए उनके लिए नये अवसर प्रदान कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ने और काम के लिए, प्रशिक्षण के लिए यहां उपयुक्त जगह बने और उसका यहीं लाभ हो। बाहर भटकने की जरूरत न पड़े, इस दृष्टिकोण से इसमें अनेक कार्ययोजनाएं शामिल हैं।

सभापति महोदय, अभी महिलाओं के विषय में विपक्ष के साथी चर्चा कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के हाथ में कुछ भी रूपया धन नहीं हुआ करता था। छोटी-छोटी बातों के लिए, छोटी-छोटी जरूरतों के लिए हाथ फैलाया करती थीं। लेकिन जब से विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में महिलाओं के खातों में एक हजार रूपया प्रति माह जाने लगा है, तब से महिलाओं में खुशहाली आग गई है। अब वह अपने बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। यह छत्तीसगढ़ की खुशहाली का नमूना है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पिछले 15 से खाद्यान्न योजना चल रही है, माननीय अमर अग्रवाल जी ने भी इसका जिक्र किया, यह सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बच्चें कभी भूखा सोया करते थे, लेकिन

आज उनकी हर प्रकार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं हैं। उनके मकान बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने रोक कर रखा था। लेकिन जैसे ही विष्णु देव साय जी की सरकार आई, हमारे घोषणा-पत्र में तो 18 लाख आवास देने की बात थी, लेकिन आज 25 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं और निर्माणाधीन स्थिति में हैं तथा कुछ मकान बन भी चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की शुरूआत की तो यह विषय आता था कि अगर शौचालय बनायेंगे तो पानी कहां से आयेगा ? यह विषय देश की सर्वोच्च संस्था में उठता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने धरातल पर लाकर हर घर में चाहे वह नलजल योजना से हो, चाहे अमृत मिशन योजना से हो, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे आज बुनियादी जरूरतें खाद्यान्न, आवास, पानी, बिजली से लेकर सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना योगदान देने का अवसर है। सरकार हर दृष्टिकोण से, अलग-अलग मुद्दों को लेकर काम कर रही है और स्वास्थ्य के विषय को हम लें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हमारी इस सरकार ने किया है कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, जिसको कांग्रेस ने रोक कर रखा था और उसको इस बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस दिशा में बहुत अच्छा पहल किया है कि जो अस्पताल हैं, जो इलाज करने के लिए झिझकते थे, इलाज नहीं करना चाहते थे, पेशेंट जाकर आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पतालों से वापस लौटा करते थे, आज वह स्थिति नहीं है, उनकी भी जो बकाया राशि थी, उनको चुकता करने की स्थिति में माननीय मंत्री जी यहां तक ला चुके हैं। यह यहां के स्वास्थ्य के लिए हम सबके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, गरीबों का इलाज नहीं हो पाता था, तो ऐसी परिस्थिति से भी अब हम 5 लाख रूपये का जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत इलाज करा पा रहे हैं। उसके लिए भी 1500 करोड़ का प्रावधान इस साल माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में दिया है। वैसे ही 25 विकासखंडों में डायलिसिस केंद्र के बारे में कहना चाहूंगा। आज यह बहुत बड़ी यह समस्या बन चुकी है और बड़ा महंगा होता है। लोग प्राइवेट निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते, लेकिन विकासखंड स्तर तक अब चिकित्सा सुविधा और बड़ी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के गए हैं तो 25 विकासखंडों में डायलिसिस और 50 विकासखंडों में जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई उनको मिल सके। तो बजट में बड़ी सोच के साथ में स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए किया गया है। वैसे ही नए मेडिकल कॉलेजों को ऐसी जगहों

पर खोले जाने का भी प्रावधान लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अधोसंरचना के विषय में इन दो साल तीन महीने में इतना विकास हुआ है, नई सड़कों का जाल बिछा हुआ है और मांगें जो आई हैं, उसके अनुरूप इस साल की बजट में है। 15 सालों में डॉ रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सड़क का निर्माण हुआ था, पिछले पांच सालों में उसका गड्ढा तक नहीं भरा गया था। जब हम चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रों में गए तो लोगों को यकीन नहीं होता था। जब हम कहते थे और नारियल तोड़ते थे तो लोग यह कहते थे कि यह तो नारियल तोड़ने वाले तो पिछले लोग भी थे, पिछले विधायक आये थे तीन बार, चार बार नारियल तोड़े थे, लेकिन काम शुरू नहीं कर पाये थे तो लोगों को यकीन नहीं होता था। माननीय महोदय, अब लोगों को यकीन हो गया है कि अब नारियल भी टूटेगा और नारियल टूटने के बाद में सड़क भी बनेगी। (मेजों की थपथपाहट) यातायात की कितनी बड़ी समस्या है। रायपुर शहर की बात कर लें और कनेक्टिविटी के कारण लोगों का आर्थिक विकास और तरक्की, उन्नति होती है, इन सब में बड़ी बाधा बन चुकी थी। लोग कई रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्तों पर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे। अब लोगों को अच्छी सड़क मिल गई है, लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, यातायात सुगम हो चुका है। मैं मेरे क्षेत्र रायपुर की बात करूं, यहां पर सड़क अधोसंरचना के विषय में पुरानी सड़कों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे यहां नई सड़कें इतनी स्वीकृत हुई हैं कि लोग मुझे ऐसा कहने लगे थे कि आपने तो बहुत बड़ी स्वीकृति करा ली है। इतना ज्यादा रायपुर शहर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बनने का है। वैसे ही बहुत से फ्लाईओवर इस क्षेत्र में बनने का है, जिससे यहां रायपुर की यातायात सुगम हो सके। रेलवे अंडर ब्रिज भी है, रेलवे आर.ओ.बी. भी है, यह सभी स्वीकृत हो गए हैं। अब यह काम शुरू होने का है और उसी प्रकार से यातायात के दृष्टिकोण से कहें तो हवाई मार्ग की भी जैसे हम बात करते हैं बिलासपुर की, जगदलपुर की, अंबिकापुर की, इन सबकी उन्नयन की बातें आ रही हैं तो ये सभी चीजें छत्तीसगढ़ के लिए एक नई पहचान बनने वाली है। लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, यहां का रोजगार, यहां का व्यापार फलेगा फूलेगा तो हर क्षेत्र में विकास होगा। नवा रायपुर की हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि नवा रायपुर तो अब लोगों के लिए पर्यटन करने का घूमने का देखने का जैसे एक जगह बनने वाली है, क्योंकि वहां पर मेडिसिटी के रूप में, एडुसिटी के रूप में और स्पोर्ट्स सिटी के रूप में, फिल्म सिटी के रूप में, आई.टी. हब के रूप में ऐसे वहां पर एजुकेशन से लेकर उद्योग तक में विकास होगा। सेमीकंडक्टर का भी सुना करते थे, छत्तीसगढ़ में हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज वे चीजें यहां पर आ चुकी हैं और अंतरिक्ष केंद्र भी खुला है। यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कभी

टी.वी. में दूरदर्शन में कभी सुना करते थे कि अंतरिक्ष केन्द्र कैसे होता है, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी ही धरती पर, अपनी राजधानी पर ऐसा अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलेगा। इससे हमारे छात्रों का भी मनोबल बढ़ेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा और यह बहुआयामी कार्य चल रहा है।

सभापति महोदय :- हो गया, क्योंकि आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूंगा। मैं बड़ी सड़कों की बात कर रहा हूँ, जो बेहतर यातायात के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजट में शामिल किए गए हैं। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मोवा से सेरीखेड़ी तक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। (मेजों की थपथपाहट) यह यातायात को बहुत सुलभ करेगा। लाभांडी से सड्डू तक की सड़क के लिए 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर के लिए 20 करोड़, मोवा से दलदल सिवनी ब्रिज के लिए 8 करोड़ रूपये, व्ही.आई.पी. रोड पर श्रीराम मंदिर के पास फुट ओव्हरब्रिज के लिए 7 करोड़ तथा अशोका रत्न से कोया कचना में वृहद पुल हेतु 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अतिरिक्त उन्होंने माना कैंप में महाविद्यालय के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र गांवों से घिरा हुआ है। गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, जिसका स्वरूप न तो गांव रह गया है, न ही वह शहर बन पाया है। वे गांव बीच में अटके हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि इन गांवों के ज़रूरत के हिसाब से विकास किया जाये। जैसे मेरे यहाँ तालाब है। वहां तालाब पटते जा रहे हैं, गंदगी पसरा हुआ है, वहां बदबू आती है। इसकी सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है। खेल मैदान में अवैध कब्ज़े हो रहे हैं। खेल के लिए छोटी मिनी स्टेडियम ही सही या स्टेडियम बन जाए और ऐसे ही श्मशान घाट वगैरह है। ये सब अछूता पड़ा हुआ है। इनका सौंदर्यीकरण जरूरी है। क्योंकि रायपुर राजधानी है और इनका सौंदर्यीकरण हो जाए तो हम राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी के स्वरूप में देखना चाहते हैं, वह सब दिखने लग जाए। यही मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उनकी कुछ विशेष कृपा मेरे क्षेत्र के लिए हो जाए, यही कहते हुए इस बजट का मैं समर्थन करता हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय विष्णु देव साय जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट लाया है, जिससे छत्तीसगढ़ अब विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा। यह

उसके लिए कदम ही नहीं, हम तेज़ चाल से चलने लग गए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी, जो एक प्रशासनिक अधिकारी रिहीस, जो देश के सबसे बड़े सेवा होथे, ओ हर यू.पी.एस.सी. के पेपर पास करके आज मंत्री बने हे। ऐसे महाज्ञानी मंत्री जी जो बजट पेश करे हे, ओखर विषय म बोले बर मैं खड़ा होय हंव। सभापति महोदय जी, जब भी देश के कोई बजट पास होथे तब पूरा देश टकटकी देखथे और जब परदेस के बजट पास होथे तब परदेस के आदमीन मन देखथे। जब मंत्री महोदय जी सदन मा बोलत रहिस हे ता पूरा परदेस कोई मोबाईल में, कोई किसी भी माध्यम से सब ऑनलाइन देखत रहिन हे, तब सबला बड़े निराशा होइस। कौन मन ला? जब हमन के सरकार चलत रहिस हे तो यही हमर जो सामने मा बइठे सत्ता पक्ष वाला मन किंदर-किंदर के बड़का-बड़का कुरती-पजामा लगा के, जहाज़ में टोपी-चश्मा लगाके भाषण मारे रहिन हे और कहे रहिन हे कि ऐ मितानिन दीदी मन, हमको बनाईये सरकार में, हम आपका वेतन बढ़ाएंगे।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, ऊपर में जहाज़ में कैसे भाषण होइस होही? कौन सुनिस? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओ जहाज़ में कपड़ा कैसे बदलाथे? जहाज़ में कपड़ा कैसे बदलाथे?

एक माननीय सदस्य :- ए.आई. के ज़माना सब हो सकथे।

श्री उमेश पटेल :- सुनना, एहा ए.आई. के ज़माना हे। ओ चीन के ए.आई. वाला कुकुर ला देखे हस ना?

एक माननीय सदस्य :- चीन के कुकुर भारत के होगे, मालूम हे?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन हे कि अब एला मोरे में झन जोड़िहा। (हंसी)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, देख, तैं हर जब बोले बर खड़े होय हस ना ता तोला बहुत डिस्टर्ब करही। काबर कि तैं हर सबला बहुत डिस्टर्ब करे हस। (हंसी) एखर लिए तैं तो अब हिम्मत करके बोल। हिम्मत से काम ले।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, आज सबसे ज़्यादा दुखी कोई हे ता इहां बेरोजगार मन हे। जब हम देखत रहेन ता छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मन सबसे ज्यादा दुखी होइन। काबर? काबिर कि सरकार चलाने वाला मन सामने मा बइठे हावय। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा बरगलाए के काम करे हावय ता बेरोजगार मन ला करे हावय। बेरोजगार मन ला अइसे-अइसे शब्द बोले रहिसे कि हमको सरकार में आने दीजिए, हम नौकरी की झड़ी लगा देंगे । कॉलेज में प्रोफेसर के पद खाली हे, ये स्कूल गुरूजी से खाली हे, ये सब ला भर देंगे । अइसे सपना देखाय रहिसे ।

श्री अनुज शर्मा :- जइसना आंदोलन नई होय रहिसे ना, वईसना आंदोलन तुंहर सरकार म करे रहिने । भुलागेस का । विधान सभा करा दौड़े रहिन हे । भुलागेस ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तुंहर छईंहा भूइंया ला धोखा से देख डारे रेहेंव । मोर पइसा ला वापस करिहव । सभापति महोदय, मैं कहना चाहथंव कि किसान भी सोचिस कि लईका मन ला नौकरी लागही तक ट्यूशन करादंव, कोचिंग करादंव, वोला कहां बिलासपुर भेज दिस । कोचिंग करथे ।

श्री विजय शर्मा :- नई भई । पईसा ला वापस करही त तैं काला वापस करबे तेला बता । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं आप मन ला यही कहना चाहथंव कि जौन आपला विश्वास करके बैइठाये रहिन हे, मैं दिल से कहाथंव अऊ पूरा जनता के अवाज ला कहाथंव, वो विश्वास मा आप मन खरा नई उतरे हव । किसान ला जाके पूछव, किसान अपन लईका ला धान बेचके बिलासपुर में पढ़ात रहिसे । रोज 4 बजे ले उठके कूदथे कि मैं दरोगा बनहूँ । आपके बात हे..।

श्री अनुज शर्मा :- पी.एस.सी. के तैयारी करिन तेन ला त बड़ेक जनि घोटाला करके ठग देव ।

श्री विजय शर्मा :- 950 सब इंसपेक्टर परीक्षा लेके 5 साल अगोर लिन, अभी उनला विष्णुदेव साय जी नौकरी में लगइन हे । अब वोखर बाद...।

श्री अनुज शर्मा :- अब कइसे बात करथस गा, बता ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ऊँट के मुंह में जीरा । ये तो हमन करथ रेहेन तेन ए, तुमन काय करथ हव ? ढ़ाई साल-तीन साल ले आलू छिलथव ? तुमन काय करे हव

बताओ, ए सब हमन करे हन । बी.एड. वाला गुरूजी गिन हे तेनो हमरे भर्ती, पुलिस वाला ज्वाइनिंग करे हे तेन हमरे मन के, सब इंसपेक्टर भर्ती करे हे तेन हमरे मन के ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आंदोलन होईस त तुम्हरे मन के हरै ना, बाकी ला छोड़ देत रहेव । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब विधायक नइ बने रहिसे त मैं बहुत आंव। बहुत उम्मीद रहिसे । साहब हा व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा आदमी ए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- हमी मन अच्छा आदमी अन, अच्छा पार्टी में हन । तहीं गलती कर डरे हस ।

श्री रामकुमार यादव :- भारतीय जनता पार्टी के चोला ला पहिनथे तेमन के दिमाग हा आंय-बांय-सांय हो जाथे ।

श्री अनुज शर्मा :- कुंवर भईया, तहुं अच्छा आदमी हरस, ऐति आजा तोर ले निवेदन हे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहथंव कि सरकार मिले के बाद आदमी ला दिल के भी सुनना चाहिये । हर बात के लिये दिल्ली नई जाना चाहिये । आप मन ला येला सुनके काम करना चाहिये ।

श्री अनुज शर्मा :- रामकुमार भाई, रिमोट कहां हे नई जानथस । (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- इटली में है । (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- एखरो रिमोट वाला खोज दव । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, एमन सबसे ज्यादा बात गऊ माता के करथे, हमर सरकार रहिसे त एमन काहय नरवा, घुरवा, बाड़ी, जब देखव वइसने बात करय । हां, हम गरवा वाले अन, हम गऊ माता के सेवा करथन, मैं ता वहीं ले आय हव सभापति महोदय जी, मैं आज धन्यवाद देहंव मोर दल के नेता मन ला जेन हा मोर जइसे गरीब व्यक्ति ला विधायक बना के बइठाय हे । मैं गवा चराय हंव ।

श्री विजय शर्मा :- चरवाहा के बजट घलो पास हो गे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, एमन पांच साल तक यही कहिन कि गऊ माता के सेवा नइ होवत हे, गऊ माता के सेवा नइ होवत हे, आज मोला खुशी होतिस जब एमन बजट पेश करिन ...।

श्री अनुज शर्मा :- गऊ माता के देहांत होय रहिसे तेला जानथ नहीं हस का । नवा रायपुर में भुला गेस ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर दिल ला तसल्ली पहुंचिस का आज एमन सरकार में आईन त एमा कुछ होही । कुछ बात नइ करना, खाली भाषण में बात करना । सभापति महोदय जी, गऊ माता बर झूठ बोले ला भगवान घलो थरिया गिर होही । आज भी रोड में जाथन, बिलासपुर जाथन त गऊ माता मन बइठे रहिथे । रात के अंधियर म कतका झन गाय बछरू मन बइठथे, त हमन ला ए बात के दुख होथे। कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, मैं आप ला कहना चाहत हौं, आप ला गौमाता के बात करना भूल जाना चाहिए, आप ला गौमाता के बात में बरगलाना नई चाहिए। हां, हमन गौमाता के जतका बनिस सेवा करेन, हमन गोबर भी खरीरे के काम करेन, एक झन महाज्ञानी बैठे रिहिस कहां चल दिस, ओखर दिमाग में 5 साल गोबर ही भराय रिहिस, ये दे महाज्ञानी बैठे है। (हंसी) पांच साल, गोबर-गोबर, गोबर बोले, सुते हे तभो गोबर, जागे हे तभो गोबर, खात तभो गोबर...।

श्री आशाराम नेताम :- गोबर के घोटाला मालूम हे न। इधर से उधर घोटाला।

श्री रामकुमार यादव :- गोबर घोटाला भी मालूम है, अउ 14 मुसवा भी मालूम हे। सभापति महोदय, आज आप मन गौमाता के बारे में जिस प्रकार से बात करे हौ, आने वाला समय बताही की किस प्रकार से आपके कथनी और करनी में फर्क होथे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज रथे, बहुत खुशी के बात हे, हमार प्रदेश में जल, जंगल, जमीन के रहईया, आदिवासी समाज ला में मंच से प्रणाम करत हंव, ओखर मन के खूब विकास होना चाहिए, ओमन ला जतका कन आरक्षण मिलना चाहिए, ओखर बाद अनूसचित जाति, परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी, मैं प्रणाम करत हंव, 269 साल पहले गुरू घासीदास बाबा जन्म करके यहां पर मनखे-मनखे एक समान, रोटी कपड़ा और मकान के संदेश दे रिहिस हे। मैं उहू कूल ला, उहू समाज ला प्रणाम करत हंव।

श्री अनुज शर्मा :- आप मन के सरकार में पांच साल में सतनामी समाज के कोई भी धर्मस्थल में एक ठन ईंटा नई रखे गिस। अभी बजट में कतना अकन दे हे तेला बजट में पढ़व। (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- ओखर बाद आप थोड़ा सुन लेव, ओखर पिछड़ा वर्ग आथे। ए प्रदेश में कितना अकन पिछड़ा वर्ग है पता हे। आप 52 प्रतिशत जोड़ सकथव, हमर चौधरी साहब तलो पिछड़ा वर्ग के हे, हमर पिछड़ा वर्ग के मंत्री जायसवाल जी बैठे हे, देवांगन जी बैठे हे, पिछड़ा वर्ग ला कतका अकन आरक्षण मिलथे, ऊंट के मुंह में जीरा के समान मिलथे। ओ समय मंडल कमीशन के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण पास करे हे, राज्यपाल मेर पड़े हे, मैं पूछना चाहत हौं, का ए छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी मन के साथ, अनुसूचित जाति मन जैसे आगे बढ़ हे, बहुत आगे बढ़े, उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग ला आगे बढ़े के अधिकार हे।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार, थोड़ा सांस लेकर बोल, आराम से बोल, एखर कोई नोट वगैरह नई रखाए हे कि तैं बेहोश हो जाबे। (हंसी) आराम से बोल, शांति से बोल, बदहवास मत हो, आजू-बाजू नोट नई हे, न तोला कोई नोट दिखात हे, समझ गेस न। जेब के नोट दिखांव का, नोट कहूं कर नई हे, काखरो कर नई हे, तैं बदहवास मत हो, आराम से बोल।

श्री ओ.पी.चौधरी :- रामकुमार, आज बतई दे, कइसे-कइसे होए रिहिस तेला पूरा बतई दे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- रामकुमार जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए आपको मजा आ जाएगा।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपकी सीट की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, आप वहां नहीं थे। आप बैठे रहिए बढ़िया बोलेंगे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल राज्य है। आप जो आरक्षण की बात कर रहे हो, चाहे व्यापम से भर्ती हो, चाहे पी.एस.सी. से भर्ती हो, चाहे मेरिट में भर्ती हो, शुरू से 1 से लेकर 10 तक जगह में हमर पिछड़ा वर्ग के ही कैंडिडेट मन रथे। आरक्षण बहुत ज्यादा मायने नई रखे। हमर पिछड़ा वर्ग हर जगह टापम टाप में हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह आरक्षण नहीं है, वह अपनी योग्यता के आधार पर हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपकी मंशा स्पष्ट है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए। आप स्पष्ट कीजिए।

सभापति महोदय :- अभी यह बहस उसके लिए नहीं है, रामकुमार जी, थोड़ा गौमाता से आगे बढ़ जाईए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, रामकुमार यादव जी कितने बड़े मदारी हैं, उधर से निगेटिव्ह बोलते हैं, अपने क्षेत्र में विकास के लिए कांग्रेसी विधायकों में सबसे ज्यादा पैसा वही ले गए। (हंसी)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति जी, अब इतना हो गया, रामकुमार भाई, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे ओबीसी लीडर हैं, लेकिन भाई दो-दो आईएएस मन कमेंट करिन, हमर वरिष्ठ नेता करिस, तैं आज ओ विषय ला बताई डार, ओ मामला का हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- दो-दो आईएएस को उठना पड़ गया, कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यह समझ लीजिए।

सभापति महोदय :- इस सदन में अभी तीन दिन की चर्चा में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया रामकुमार जी के भाषण में आ रही है। (हंसी) आप यह समझिए कि उनकी लोकप्रियता तो है।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन मेरा भी सभापति है। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय जी, एहा अइसने कहि-कहि के सब ला सेट कर देथे। (हंसी)

सभापति महोदय :- लगता है कि यह ऐसा बोलकर मुझे सभापति तालिका से हटवा देंगे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, हमर चंद्राकर जी हा नो डाउट बहुत पढ़े-लिखे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हे। ओ पढ़थे-लिखथे, लेकिन जइसे चंदा हे, चंदा पूरा दकदक ले दिखथे, लेकिन ओमे छोटे से दाग रहिथे। उसी प्रकार के हमर चंद्राकर जी के बीच-बीच में दिमाग

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

ह सनक जाथे। (हंसी) ओ सनकथे तो आगे मा कोन हे तेला ओ नहीं देख पाये। जइसे हमन जब गरवा चरात रहे हन ते समय के बतात हो, कखरो गरमी में नाक हा फूट जाये तो ओला गोबर ला सूंघावन। (हंसी) आज भी गांव मा होथे। आप मन चिंता मत करो। तुंहर मा भरे हे, तुंहर हा फूटबे नहीं करए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन तो। ते गरवा चरास, छेना थोपस, गोबर सइथस, पानी भरस, ओ सब ला क्रम से बता अउ दूसरा बात मत बोल। तहान तोर क्षेत्र के विकास होगे। समझ गेस नहीं। क्रम से बता। (हंसी) अच्छा ते भइसा ला दुहस कि भइसी ला दुहस? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं सब ला जानथो। समय पड़ही तो मैं तुहूं ला दुहहूं। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- एला देख के छेरी तक भाग जथे। (हंसी)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप उधर जवाब मत दो, आप अपने भाषण में रहिए। मैं आपको पहले ही समझा दिया था कि आप बोलोगे तो बहुत टोका-टाकी होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी रामकुमार भाई क्या बोले, उसको अजय भैया नहीं सुन पाये। ओहा कहे हे कि मौका पड़ही तो मैं तुहूं ला दुहहूं। (हंसी)

सभापति महोदय :- वह सब सुन पाये हैं। आप आगे बढ़िये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, मैं आज इस बजट भाषण में। एमन अइसने करही। आप बताओ। अब मैं का बोलो, कइसे बोलो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मोर मूल भाव यही है कि आप ला।

श्री विजय शर्मा :- ओहा मूल भाव ला ही पूछत हे। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हमन इही मन ला रहान देथन, हमन चलथन। मन के बोलत राहव। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- रामकुमार भैया, ते फेर रिपीट कर का बोलत रहेस?

श्री ओ.पी. चौधरी :- मूल भाव या बोल भाव?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, ए छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ जनता। ठीक हे कि आज हमन हंसी-मजाक करत हन, एहा जरूरी हे। कुछ पल के लिए होगे रिहिस हे। होत रहिथे। आज इस प्रकार के दोनों तरफ से कतका अच्छा लागत हे कि आप मन भी चिंता करत हव, हमन भी चिंता करत हन। ठीक हे कि हमन कम विधायक बने हन, आप मन सरकार में हव, आपके कलम में पॉवर आ गेहे। लेकिन हमू मन ला भी तो क्षेत्र के जनता हा चुने हे तो आज हमन यहां पर क्षेत्र के विषय ला लेके आथन, कुछ बात रहिथे तेला आप मन ला बताथन और इस प्रकार के हंसते-मुस्कुराते हुए सुनना बहुत अच्छा लगथे। आज मैं पुनः आप मन ला कहिहूं कि छत्तीसगढ़ के जनता हा बार-बार कोई ला मौका नहीं दे। आप मन ला मौका दे हे, अच्छा चलाव। ए कभी मत कहिहो। अब ढाई साल होगे अउ हमन आज के बात ला पूछथन तो ए मन कहिथे कि तुम अइसे करो। अभी पूछथन कि किसान के धान ला काबर नही खरीदिस? तो हमर एक झन विद्वान विधायक बोलथे कि हम 2047 में विकसित करेंगे। अभी पूछत हन कि हमर मोहल्ला में बोरिंग नही बने हे तो बोलथे कि हम 2047 में विकसित करेंगे। तब हमन 20 साल ला कइसे करबो? मैं आपसे ए बात ला पूछना चाहत हव। हम आज के बात करथन अउ आप सपना देखाय के बात करथो अउ ए सब गुरू घंटाल हे हमर चंद्राकर जी हा। एहा दोनों के बीच में ढाल बने के कोशिश करथे। जब भी हमन ओती हमला करे के कोशिश करथन, ए बीच में आके हमन ला फसो देथे। (हंसी) आज आप मन से इही प्रार्थना हे कि छत्तीसगढ़ के विकास बर अभी के बात करो कि अभी कइसे धान खरीदी करे जाही, अभी कइसे बेरोजगार ला नौकरी दिए जाही, अभी कइसे मितानिन मन ला अच्छा से ओमन के सेवा भाव से इनाम दिए जाही। ओ जो रसोइया हे, जे हर ओ लोग-लइका ला अपन लइका कस समझ के स्कूल में भरपेट खाना खिलाते, ओ मन आज खतम हो जात हे, ओकर बावजूद भी आप मन कोई संवेदना प्रकट नहीं करत हो। ए बात के आप मन ला चिंता करना चाहिए। कल के डेट में हमन देखे हन अंबिकापुर में दो आदमी गंदा पानी पी के खतम हो गे। हमर यहां के जांबाज विधायक जी हा उठाय रिहिस हे। रायपुर शहर, जहां पर मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी रहिथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, दो आदमी खत्म हो गए, तेकर जिंदा करे बर का बजट से पैसा देबो तो ओमन हर जिंदा हो जाही? अईसे-तईसे बात करत हव। ये किताब में कते करे लिखाये हे ओ हर, तेला बोलत हस तेला। कते करे लिखाए हरय कि दो आदमी मर गए तेला जिंदा करना है कहि के? बजट में कते करे लिखाये हे ?

श्री रामकुमार यादव :- आप मन के बात अइसने हे। आप मन कुछू भी कह लेवव लेकिन आप मन ये दारी मंत्री नहीं बन पावव। (हंसी) आप बन पाहती चंग बन पावा हमन ला दे दे हन अउ ओती ले 8-10 विधायक ले आवा अउ बन जाबो। तुमन ओ फिराक में हन हमन जानथन तुमन ला।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज ये छत्तीसगढ़ की जनता ला आप मन जो बजट पेश करे हव, एला एक ठन कहावत रिहिसे "खोदा पहाड़, निकला चूहा"। आज पौने दो घंटा ला भाषण दिस अउ हमन ला उठ के भागत नहीं बनत रिहिसे, काबर के मोला लोभ रिहिसे कि मोरो बर कुछु हो जाही करके। मैं लास्ट में खोज के देखे हन। अब भई अतके बड़े-बड़े विधायक मन ला दिस हे, तो महूं तो सदन के गरीब विधायक हन। महूं बर एकाध रोड दे देत हन। आज जे रोड में हमर खुद मंत्री जी ओ.पी. चौधरी के लगे हुए क्षेत्र हे, तो मैं ज्यादा बोलत नई हव, काबर के मोला पूरा डिस्टर्ब कर दे हे। मैं हर बस यही कहना चाहत हव कि वहां दू ठन रोड हे, ओला बजट में जोड़ देवव। मैं हर अतका कन कहना चाहत हव। आप मन हां कह देवव तो मैं हर बैठ जाहूं।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, हां कह दिस।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, इधर सुनिये। कोई बजट में नहीं आईस सीधे जोड़ दिस तुरंत तत्काल।

श्री रामकुमार यादव :- जुड़ गे हवय।

श्री आशाराम नेताम :- तोर बजट में कतका आवय ?

श्री रामकुमार यादव :- हमन के कइसने हय।

श्री आशाराम नेताम :- वित्त मंत्री ला बधाई दे।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ की जनता, आप मन सुन लो । जैसे मालिक ला ओला दे हे।

श्री आशाराम नेताम :- पहली बधाई दे दे।

श्री रामकुमार यादव :- दे डारे हव। सुन लो पहली। छत्तीसगढ़ की जनता कैसे आशीर्वाद देथे ।

श्री आशाराम नेताम :- तोला कतका बजट मिले बता ना ? अब बधाई दे देवव।

सभापति महोदय :- चलिये, अब खत्म करिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, बस यह दोहा के साथ में खत्म करत हव। छत्तीसगढ़ की जनता सब ला देखत हे, सब ला परखत हे। जैसे-जैसे करिहव वैसे-वैसे फल दीहि। ओकरे खातिर हमन कहथन। "जैसे मालिक लेहे देहे, तैसे झोकी असीसो, अउ अन्न-धन ले घर भरे, जुग-जुग जियो लाख बरिसो"। कर्म करिहा तो अच्छा फल मिलही नहीं तो फिर आप मन खुद समझदार हो। आप मन मोला बोले के मौका देवव। ए मन हर बहुत टोकिस तेकर लिए ए मन ला, खासकर ये गोबर वाला साहब ला जय राम।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, दोनों की सहमति से जो 2026-27 में बजट पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन के लिए बोलना चाहती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, यह जो बजट पेश हुआ है, यह हमारे प्रदेश के लिए समावेशी अर्थात सर्वांगीण विकास, समग्र विकास के लिए पेश हुआ है। इस बजट में सभी वर्गों को लिया गया है। चाहे हम सड़कों को देखें, चाहे सिंचाई सुविधा को देखें, चाहे हमारे आदिवासी वनांचल क्षेत्र में जो पढ़ने वाले आदिवासी छात्र-छात्राएं आश्रम में रहने वाले हो, चाहे वह रेल सुविधा हो, सभी के लिए इस बजट में राशि समायोजित की गयी है।

आदरणीय सभापति महोदय, यहां के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बातों को रखा। यहां पर बजट की इस पुस्तक में जो हमारे बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए जो हमारा बहुप्रतीक्षित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जिस तरह से इस बजट की पुस्तक में छपा है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस समय हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जिस तरह से नक्सलवाद का जमावड़ा था, उसी समय हमारी पूर्ववर्ती सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जब 2003 में मुख्यमंत्री थे, उसी समय से धीरे-धीरे करके हमारा सरगुजा संभाग आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ था, उसको धीरे-धीरे करके खत्म किया। सभापति महोदय, मैं

सरगुजा संभाग, बलरामपुर जिला से आती हूं और हमारा बलरामपुर जिला भी एक नक्सलवाद का गढ़ बना हुआ था। जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे, उस समय हम लोग भय में रहते थे। मेरे क्षेत्र के लोग जंगलों में, वनांचल में रहते हैं। चारो तरफ जंगल से घिरा हुआ मेरा क्षेत्र है। जब दिनदहाड़े गांव में जाते थे, उस समय खाने के लिये भी हमारे आदिवासी परिवारों में कुछ नहीं रहता था और कहीं से बनी-भूती करके हमारे गांव के लोग अपने बाल-बच्चे, परिवार को खिलाने के लिये पेच-पसिया बनाकर रखे रहते थे। अचानक नक्सलाइट लोग आते थे और खाना मांगते थे और जो खाना बना रहता था उसको खाकर चले जाते थे। और जब हमारे अपने आदिवासी परिवारों के पास अपने बाल-बच्चों को खिलाने के लिये नहीं हुआ करता था। जंगल से कांदा-कासा खोद करके लाते थे, उसी को अपने परिवार, बाल-बच्चों को खिलाकर के सुलाते थे। ऐसी स्थिति उस समय थी। लेकिन अब सरगुजा संभाग में नक्सलवाद का जो गढ़ था, वह नक्सलवाद धीरे-धीरे करके समाप्त हुआ है। उसी तरह से हमारा बस्तर संभाग आतंकवाद का गढ़ बना था, वहां भी धीरे-धीरे करके आतंकवाद समाप्त होगा। हमारी बजट पुस्तिका में भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके लिये प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार जिस तरह से किसानों के लिये धान का बोनस होली से पहले उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं, यह हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये बहुत ही सराहनीय काम साबित होगा। हमारी विष्णु देव साय जी की सरकार में चारो तरफ सड़क, पुल, पुलिया का पूरे क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है। इस बजट में हमारे छोटे-छोटे जो कुंभकार कुम्हार समाज से हैं, बसोड़ समाज से हैं, कुम्हार समाज के लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। पहले हमारे आदिवासी क्षेत्र में मिट्टी के बने हुए बर्तन से खाना भी बनाते थे, उसी मिट्टी के बर्तन से दाल भी बनाते थे, हमारे आदिवासी समाज के लोग हर चीज मिट्टी के बर्तन से उपयोग करते थे। आज उसके लिए भी हमारे इस बजट में प्रावधान किया गया है। बंसोड़ समुदाय के लोग जो बांस से काम करते हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भाषा में सूप, दौरा, टोकरी बोलते हैं। उसके लिए भी हमारे इस बजट में छोटे-छोटे कलाकार, छोटे-छोटे होनहार के लिये भी शामिल किया गया है। जो हमारे कुम्हार हैं या तो फिर बसोड़ हैं उनके लिये भी बाजार के लिये व्यवस्था की गयी है ताकि ऐसे छोटे-छोटे हमारे कलाकार, होनहार, जो हमारे छिपे हुए प्रतिभाओं को निखारते हैं ऐसे सभी समाजों को भी आज उनके लिये सही दाम पर या मार्केट के लिये भी यह प्रावधान दिया गया है।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से अभी कई हमारे पूर्व के सदस्यों ने भाषण दिया और हमारे बस्तर और सरगुजा में जो ओलम्पिक खेल है उसको आज बस्तर में ही नहीं

बल्कि आज हमारे सरगुजा संभाग में भी इसकी शुरूआत की गयी है और आज हमारा सरगुजा संभाग दूर-दूर गांव में बसे हुए हैं और हमारे दूर-दूर गांव से हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे-बच्चियां हैं, छात्र-छात्राएं हैं उनको आज अपने विकासखंड स्तर में अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिये यह हमारे विष्णुदेव साय की सरकार ने ऐसा मंच दिया है और आज हमारे वनांचल क्षेत्र के जो सरगुजा क्षेत्र के सभी पूरे विकासखंडों में यह ओलम्पिक मैच हुआ है और संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय सभी में यह मैच चल रहा है । मैं निश्चित तौर पर यह बताना चाहूंगी कि बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ में एक हॉयर सेकेण्डरी स्कूल है वहां पर हमारे एक शिक्षक हैं, वह व्याख्याता है उन्होंने नि:शुल्क में हमारे जो वहां पर पढ़ने वाले दूर-दूर से गांव से आते हैं ऐसे छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क उन्होंने अपना अग्निवीर ऐसा सीखाते हैं और हमारे क्षेत्र के जो ऐसे होनहार बच्चे हैं, वह आज दूसरे-दूसरे प्रदेशों में भी जाकर अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित करके आज अग्निवीर में, उनका सैनिकों में चयन भी हुआ है। ऐसे हमारे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में भी इस तरह के आज होनहार बच्चे निकले हैं उनके लिये भी इस बजट में जो सरगुजा ओलम्पिक का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यह प्रावधान रखा है इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सुशासन के संकल्प से होगा जनजातीय समाज का उत्थान । निश्चित तौर पर हमारे जनजातीय समाज का उत्थान लगातार हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि जो पी.एम.जन.मन. योजना के अंतर्गत हमारा जो पिछड़ा जनजातीय समाज है वहां तक प्रधानमंत्री सड़क के साथ-साथ वहां पर बिजली-पानी और आंगनबाड़ी से लेकर अपना प्रधानमंत्री आवास पूरा होने जा रहा है, उसी तरह से जो तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले सभी हमारी जो माताएं-बहनें हैं ऐसे सभी आदिवासी समाज के जो तेंदूपत्ता संग्रहण करते हैं ऐसी सभी बहनों को जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय चरणपादुका देने का काम उन्होंने किया था लेकिन पिछली सरकार में इसको बंद कर दिया गया था लेकिन अभी जैसे ही हमारे विष्णुदेव साय के सुशासन में वर्ष 2023 में इस सरकार ने आज फिर से इसको चालू किया है। निश्चित तौर पर मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूं और आदिवासी जो हमारी बहनें हैं वह सुबह अपना रात का जो खाना बचा रहता है उस खाने को लेकर के वह दूर जंगल में तेंदूपत्ता संग्रहण करने के लिए जाती हैं और वह दोपहर में आती हैं। जंगल में पत्ता तोड़ते समय उनको कॉटा-खूँटी न गड़े, यह सोचकर, इसकी चिंता करके हमारी पूर्ववर्ती सरकार के आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी ने इस योजना को चालू किया था और जैसे ही वर्ष 2023 में हमारी आदरणीय श्री विष्णु देव साय जी की सरकार आई वैसे ही उन्होंने फिर से इस योजना को चालू किया। इसके लिए भी इस बजट

में प्रावधान है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं जो कृषि विभाग से संबंधित बात कहना चाहूंगी। यहां पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमारा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए लगातार यह काम चल रहा है। वैसे ही हमारे जो बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर प्राधिकरण को भी इस बजट में शामिल किया गया है और जिस तरह से पहले की जो राशि थी, वह 50 करोड़ रूपये की राशि थी इसमें भी वृद्धि की गयी है और इस बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर प्राधिकरण की राशि को बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए भी हमारे आदरणीय माननीय विष्णु देव साय जी को धन्यवाद् दूंगी। इसमें हमारे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रमों में पढ़ने वाले एस.टी. और एस.सी. छात्रावासों में पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रावास की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार ने हमारे जो अंतिम छोर में निवास करने वाले बैगा और पुजारी को महत्व नहीं दिया, लेकिन जो बैगा और पुजारी होते हैं माननीय विष्णु देव जी के सुशासन में हमारी सरकार ने इनके लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय :- माननीय उद्धेश्वरी जी अब समाप्त करिये। आपको 15 मिनट हो गया है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर जो हमारा सरगुजा क्षेत्र है। हमारे सीतापुर के विधायक महोदय बैठे हैं इनका जो विधान सभा क्षेत्र हैं वहां पर मैनपाट नामक जगह है, जो विख्यात है। उसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जोंकापाट है, लहसुन पाट है, सामरी पाट है ऐसे क्षेत्रों में जो आलू का उत्पादन होता है। वहां बरसात में भी आलू का उत्पादन होता है वहां पर बाहर महीनें आलू का उत्पादन होता है। पहले इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसके विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जहां पर रखरखाव की व्यवस्था नहीं थी, इस बजट में उसके रखरखाव की व्यवस्था के लिए भी प्रावधान है। हमारे क्षेत्र में जो मिर्ची और टमाटर की अत्यधिक पैदावार होती है, उसके लिए भी इस बजट में शामिल किया गया है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय उद्धेश्वरी जी अब समाप्त करिये।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामकुमार यादव जी बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो भाई, मैं भी

आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपकी सरकार में आप लोगों ने कहा था कि यहां पर जितने बेरोजगार हैं, उन सभी को हम लोग हर महीने 25000 रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप लोगों ने ऐसा कहा था ।

श्री रामकुमार यादव :- हमने 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय,लेकिन आप लोगों ने उनको 2500 रूपये तो बात तो दूर है, उन्हें 25 पैसा तक नहीं दिया। यहां आप लोग बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय आपको यह बात भी याद होगी। हम लोगों ने तो उतनी ही राशि देने की बात की थी । आज आप लोगों ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यदि हम 2 करोड़ लोगों में गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी एक भी बेरोजगार नहीं बचते।

सभापति महोदय :- आप उनकी हर बात में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। वह बढ़िया बोल रही हैं आप उनको बोलने दीजिए। अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रही हूँ। सभापति महोदय, यहां पर जिस तरह से इन्होंने कहा था। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। यह मेरे क्षेत्र की बात है और किसानों से संबंधित बात है। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कहा था कि जिन किसानों ने ऋण लिया है, उसे माफ किया जाएगा । मैं किसान की बेटी हूं और मेरे क्षेत्र में जितने किसान हैं, वे सभी इनके सरकार में परेशान थे । कर्ज माफ किया जाएगा, यह सोचकर हमारे किसान भाइयों ने धान बेचा था, इन्होंने चुपचाप असत्य कहकर किसानों को बहला-फुसलाकर उनसे दस्तखत करवाकर उनका नया पासबुक बनाया और खाता खुलवाया । हमारे किसान भाइयों को पता भी नहीं चला कि हमारा दूसरा खाता खुला है । इन्होंने कहा कि आपका जितना कर्ज है, वह माफ हो जाएगा, लेकिन वह माफ नहीं हुआ है । बिना कर्ज के किसान भाइयों के खाते में आज कर्ज दिख रहा है । इस तरह का काम पिछली सरकार ने किया है । सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय, वर्तमान सरकार में हमारे युवा वित्त मंत्री जी ने तीसरी बात बजट प्रस्तुत किया है । छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बड़ी उम्मीद लगाई थी और दो वर्ष के बाद यह तीसरा वर्ष का बजट है और इस तीसरे बजट में भी जनता को उम्मीद थी । वे अपने आप से खुश हो सकते हैं, परन्तु छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बजट भाषण को सुना, अब लोग पढ़ रहे हैं । यह बजट छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीद पर खरी उतरती नहीं दिख रही है । संकल्प से सिद्धि । संकल्प लेंगे, काम करेंगे, फिर सिद्धि होगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास और सबके साथ और सबके विकास की बात इस बजट में नहीं दिख पा रही है । वैसे तो कहावत है कि जिस देश का राजा व्यापारी तो प्रजा लाचारी । जनता लाचार है, विधायकगण भी लाचार है । बहुत उम्मीद लगाए थे कि सबका साथ, सबका विकास, पर माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपने ढंग से अच्छा बजट पेश किया होगा, परन्तु छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और भारतीय जनता पार्टी ने ओ.पी. चौधरी जी, जो आई.ए.एस. अधिकारी रहे हैं, अनुभव है कि कुछ अच्छा करेंगे, परन्तु सोच परे लगता है मुझे । जैसे व्यापारियों की सोच हो गई है- खाली आय । आय बढ़ाने को लेकर उपलब्धि बताते हैं कि हमारा जी.डी.पी. इतना बढ़ गया, हम इतने के मालिक हो गए हैं, परन्तु उस राशि को धरातल पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ की वह गरीब जनता की सेवा के लिए उस तरीके से बांटने का काम नहीं हो पाया है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और धार के कटोरे में जिस ढंग से 21 क्विंटल धान 3100 रूपए क्विंटल में खरीदा गया । पूर्व में 141 लाख मेट्रिक टन, फिर 149 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस बार 141 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो गई इसीलिए पहले बजट में 1200 करोड़ से अधिक राशि इस पर दी गई थी । इस बार वह घटकर मात्र 10 हजार करोड़ तक ही आकर रूक गई है । यानि की नीति क्या दिखती है? यह पैसा किसी व्यावसायियों के पास नहीं, किसान और मजदूरों के पास जाता था, उस पैसे से किसान अपने भौतिक सुख-साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शादी-ब्याह सब पर खर्च करता था तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के चाहे व्यवसायी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हो, यह पैसा कहीं न कहीं बंटता था। परन्तु इस बार सरकार की धान खरीद नीति पर जो नुकसान हुआ है, उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ रहा है। आज आज तो किसानी भी करते हैं। हम तो माननीय ओ.पी. चौधरी

साहब को youtube और facebook में देखते हैं तो खुशी भी होती है। वह कुछ समय निकालते हैं और समय निकालकर खेतों में भी समय बिताते हैं। परन्तु एक किसान के नाते, एक किसान के पुत्र होने के नाते भी जिस ढंग से मदद की अपेक्षा थी, वह मदद इस बजट में नहीं दिख रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के बाद भी हमें दलहनी-तिलहनी की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसके लिए कार्ययोजना भी बनाने की जरूरत है। आप जब तक उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक हमारे किसान भाई उस ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसीलिए जब छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर निकलते हैं तो खाली खरीफ ही नहीं, वरन रबी फसल में भी धान, धान और धान ही दिखता है। बहुत ही कम क्षेत्र है, आपके कवर्धा और रायगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र में सब्जी के फसल पर ध्यान देते हैं। जैसे पहले मुंगेली-तखतपुर के बारे में सुनते थे कि चना बहुत होता था, लेकिन अब वहां भी जो ट्यूबवेल के किसान हैं, वे धान ही लगा रहे हैं। क्योंकि उसको धान से लाभ दिखता है। परन्तु इसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। जब कृषि विभाग की चर्चा चलेगी तो उस पर अपने सुझाव पेश करूंगा। परन्तु इस बजट में किसानों के लिए और अधिक राशि की अपेक्षा थी। ताकि वह इतना अनुदान प्राप्त करते जिससे वे अपने पैर पर खड़े हो जाते और अन्य फसल की ओर भी अग्रसर होते।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं पर कम ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हुए हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आपके यहां मेडिकल कॉलेज खुला या नहीं खुला है भईया?

श्री ब्यास कश्यप :- मेडिकल कॉलेज के लिए भूपेश बघेल जी को बधाई दूंगा। आप सुन तो लीजिये, महोदय, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वहां पर नर्सिंग कालेज खुला है या नहीं खुला है, बता दीजिये?

श्री ब्यास कश्यप :- अभी चालू नहीं हुआ है। इस साल चालू नहीं हुआ है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है? नालंदा परिसर खुला है या नहीं खुला बता दीजिये ?

श्री ब्यास कश्यप :- नालंदा परिसर की बिल्डिंग बन रही है। आपको उसके लिए भी धन्यवाद है। आप जो करेंगे उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं होगा, उस पर अपनी बात कहेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देख भाई, तै हा हमार पुराना आदमी अस ओखर हिसाब से बोल।

श्री ब्यास कश्यप :- भईया, पुराना आदमी रहतेव न, बने-बने मया रहतिस तो ओही कोती रहथेव, इती नहीं आय रहथेव।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हमरो भी खरीद लेहा, वापिस कर देवा।

श्री ब्यास कश्यप :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बात को कह रहा था कि अन्य राज्यों में स्वास्थ्य पर उच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहीं छत्तीसगढ़ में ज्यादा अपेक्षा थी, परन्तु उपेक्षा महसूस हो रही है। शिक्षा के उच्च संस्थान, शोध और कौशल विकास पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। क्योंकि शिक्षा के प्रति माननीय ओ. पी. चौधरी साहब, हमारे जिले में सी.ई.ओ. रहे हैं, कलेकटर रहे हैं। तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रहता था। हमारे यहां के बाद जब वह दंतेवाड़ा गये, बस्तर गये, वहां भी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किया। परन्तु क्यों भगवा चोला पहनने के बाद साधु जैसा व्यवहार हो गया।

समय: 4.44 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- भगवा चोला और साधु कैसे बदल गय एकदम से, तै हा हमर पुरा संघ के आदमी अस।

श्री ब्यास कश्यप :- संघ के आदमी रहेव। देखा, बार-बार ये बात ला नहीं कहीहा संघ, संघ, भा.ज.पा.। मैं जो करेव वो हा मोर करम रहिस हे, मोर धर्म रहिस हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- भईया, अभी भी सरस्वती शिशु मन्दिर के बिल्डिंग बनवाथे, मैं गवाही हव।

श्री ब्यास कश्यप :- हां, बनवाथव। काबर कि वहां शिक्षा के अलख जागथे। ओ.पी. साहब, शिशु मन्दिर के अनुशंसा करथव तो प्रभारी मंत्री कोटा ले दे देता, पर ब्यास कश्यप करथे तेकर बर नइ देवा। दूनो कोती ले बात नइ होना चाही। मोला गर्व होथे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र बर चाहे शिशु मन्दिर चाहे भा.ज.पा के रहय चाहे कांग्रेस के रहय, चाहे ककरो रहय, शिक्षा से व्यवहार अच्छा होथे। जिहा अच्छा संस्कार मिलत हे, पैसा देय बर नइ अखरय। एक एक बार ला सुनत जावा। जतका कस टोकत जाहा ओतक कस मोर तरफ ले जवाब पात जाहा।

सभापति महोदय, बेहतर रोजगार, सृजन, कौशल प्रशिक्षण, निजी निवेश रोजगार, बाजार सहभागिता पर बात नइ बन पाइस। बैठौं साहब थोड़ा सा, आपके हमन फेसबुक और वीडियो-ऑडियो ला देखत रहेन। जब आप मंत्री नहीं बन रहा भारतीय जनता पार्टी में गये रहौ, आपका करा स्वागत हमु मन करे रहेन । आपके संग हमु मन बैठ के गए रहेन स्टेशन ले। आप ला छोड़े तक गए रहेन खरसिया तक साहब।

श्री रामकुमार यादव :- तोरे कहे म तो ओती टिकट मिली रिसि। (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- हां निश्चित रूप से। मैं ओखर क्षेत्र भी गए रहौ काबर कि जब दिलीप सिंह जूदेव जी अर्जुन सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़े रिसि तो एकरे विधान सभा मा कुलबा, बरपाली, नंदेली ये सब क्षेत्र में रहे हव। तो मोरो इच्छा रिहिस कसना हे आजकल 20-25 साल बाद जाके देखूं केइ के। संग म घूमे भी रहेन, इनकार नहीं हे। जब कांग्रेस के सरकार रहिस, तो कांग्रेस के सरकार के समय आप जतका जगह कोचिंग सेंटर हे, जतका-जतका कॉलेज के जगह तीहां जा-जाके बड़े-बड़े भाषण देवव कि आप कांग्रेस के सरकार ला बदलौ और कांग्रेस के सरकार बदल जाही भारतीय जनता पार्टी के सरकार आ जाही। बेरोजगारी ला हमन दूर कर देबोन, लाखों हमन नौकरी निकाल देबोन। पर जे बेचारा मंत्री हा नौकरी के बात करीस, उइला निकाल देहौ, दिल्ली भेज देहौ और ये बजट में पूरा खाली वन विभाग के 1000 पद के छोड़ कहीं पर कोई नया नियुक्ति के बात एमे नहीं आए हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- भैया, हेल्थ में है करीब एकाध हजार पद का पूरा देख बे।

श्री ब्यास कश्यप :- बस।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- भाई तो एक-एक विभाग का है।

श्री ब्यास कश्यप :- भाई एक-एक हजार सब विभाग भी दीही न, 50 ठन विभाग होते तो 50 हजार होते, निकाल देवा कृपा करके। हम आप ला दिल से शाबासी देबो, निकालो तो। अतका-अतका विद्यालय चलत हे, मैं ओ विषय में आथ हव, कतका-कतका विद्यालय चलत हे तो कतका-कतका बेरोजगार पैदा होत हें। हमार रोजगार के बात होगे। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में भी स्वयं के लैब नहीं होय के भी एक बड़ा मामला आथे महोदय। सैंपल परीक्षण में दूसरे जगह हमन ला निर्भर रहे ला पड़थे। सहकारिता में हमर..।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- एक मिनट ब्यास जी, खाद्य औषधि में मध्य भारत का सबसे बड़ा लैब बन रहा है, उसके लिए 94 करोड़ रुपया की स्वीकृति भी मिली है और वह प्रोसेस में है मतलब वह हमारा हो गया है।

श्री ब्यास कश्यप :- चलिए धन्यवाद बधाई हो, पर मैं तो चाहूंगा कम से कम संभागीय मुख्यालय में भी खोल दीजिए। आप लोगों के इंस्पेक्टर खास करके दीपावली समय, होली समय और रक्षाबंधन के समय छोटे व्यापारियों को इतना परेशान करते हैं। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दीजिए। हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमें शुद्ध भोज्य पदार्थ मिले। परन्तु इंस्पेक्टरों के द्वारा जिस प्रकार से दबाव करके वसूली किया जाता है ना, कृपा करके उस पर तो प्रतिबंध लगायें । अन्य राज्यों से मिलावट में माल आता है, उसको प्रतिबंध लगाएं, उसके लिए लैब खोलिए, स्वागत योग्य है।

आजकल हमारे माननीय गृह मंत्री भी सहकारिता पुरुष कहे जाते हैं, जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने उन्हें आधुनिक भारत का स्टील मैन कहा। उनकी भी परिकल्पना है कि सहकारिता के क्षेत्र में सब लोग सहकारिता से जुड़ें। परन्तु सहकारिता से जुड़ने के बाद भी आज भी किसान परेशान हैं। बिलासपुर में जो कोऑपरेटिव बैंक का जिला प्रमुख है, जिला सहकारी बैंक, उसमें यू.पी.आई. आज तक नहीं हो पाया है और यू.पी.आई. नहीं होने के कारण हमारे किसान बंधु बैंकों में लंबी-लंबी लाइन लगाए रहते थे कि कब मेरी बारी आएगी, क्योंकि 25 हजार से ज्यादा तो मिलता नहीं। इसलिए जो बड़े किसान हैं, उनको बार-बार आना-जाना पड़ता है। तो इस बार बिलासपुर जिला सहकारी बैंक को यू.पी.आई. के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि किसानों को कार्ड मिल जाए और कार्ड मिलने के बाद ए.टी.एम. से आधुनिक युग में राजीव जी ने जिस ढंग की योजना लायी है, उसका लाभ हम किसानों को भी मिले। महोदय, रेल परियोजना की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं । निश्चित रूप से रेल का विकास हो रहा है, परन्तु रेल का वर्तमान विकास हमें माल ढुलाई के लिए ज्यादा दिखता है न कि यात्री सेवाओं के लिए। अच्छी बात है अगर भविष्य में स्टेशन बन जाएंगे, यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। परन्तु माननीय मंत्री जी, आपके ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा सुन लीजिए, आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस बार भी आपने बजट में लाया है पश्चिम केबिन का ओवर ब्रिज। उसके पहले वाले बजट में भी था। उसके पहले वाले बजट में भी था, परन्तु आज तक सेतु निगम में उसका नक्शा तैयार नहीं कर पाया है। दो नक्शे तैयार थे, उस नक्शे पर फिर आपत्ति आ गई। नक्शा नहीं आने के कारण मैं क्षेत्र की बात विधान सभा में नहीं कहूंगा फिर भी आपको अवगत करा दूं कि शहर ने नगर बंद

और चक्का जाम 6 मार्च की घोषणा की है। अगर नहीं बनेगा तो वह करेंगे। अभी भी समय है। मैं चाहूंगा कि आप कलेक्टर महोदय को निर्देश दे देते कि इसके लिए वह पहल करें। आपका बजट स्वीकृत है, केंद्र का भी बजट स्वीकृत है, परंतु अधिकारी क्यों आनाकानी कर रहे हैं? मैं इसके पीछे का राज बता दूं कि आपने जांजगीर-चांपा विधान सभा में गेमनपुर व घुन्टी नाला दिया तो वहां के एक स्थानीय नेता ने उस सेतु निगम के अधिकारी को चमकाया कि तुमको इतनी क्या जल्दी थी? वह डर गया और ओव्हरब्रिज निर्माण करने के लिए आनाकानी कर रहा है कि कहीं ये फिर मुझे ना डांट दे, मेरे को यहां से हटा ना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास तो सबके लिए है। मैं चाहूंगा कि जनता के हितों के लिए वह काम किया जाये। वह कई विधान सभा को जोड़ती है। वह बिलासपुर जिला, कोरबा जिला को जोड़ने वाली एकमात्र परियोजना है। वे घंटों इंतजार करने के बाद आज तकलीफ में है। इसलिए वह परियोजना आपके बजट में स्वीकृत है, उसको भी अधिक किया जाए। जब माननीय बृजमोहन भैया थे, तब राजिम मेला को कुंभ मेला बना दिए। जब भूपेश भैया थे, तब शिवरीनारायण को तीर्थस्थल बना दिए। परंतु यहां जो पुराने लोग हैं, आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल पीथमपुर है, जहां बाबा कलेश्वर नाथ जी का मंदिर है, जिसको खरौद में काशी बोला जाता है। पीथमपुर का वह स्थल, जहां नागा साधु आकर अपने आपको प्रदर्शित करते हैं, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन उसके विकास के लिए कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। गांव वाले इसके लिए चक्का जाम किए थे। उस चक्का जाम में मैं भी था। मेरे ऊपर भी एफ.आई.आर. दर्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ऊपर भी एफ.आई.आर. दर्ज हुआ। 32 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद आज हम जमानत पर यहां पर खड़े हैं। उन सड़कों के लिए क्यों आपत्ति आ जाती है? लगभग 9.5 किलोमीटर की जो सड़क भा.ज.पा. कार्यालय से पीथमपुर को जोड़ेगी। मैं यह भी बोल दूं, ताकि भा.ज.पा. के कार्यकर्ता भी पीथमपुर मेला आसानी से जा सकें। भैया, जो सड़क पीथमपुर के लिए जाती है, वह भा.ज.पा. कार्यालय से लगी हुई है। मात्र 30 करोड़ का बजट है। अगर आप उसको भी शामिल कर देंगे तो आपके कार्यकर्ता सहित गांव के नागरिक, चाहे जर्वे हो, पिसौद हो, पीथमपुर हो, सभी गांवों के लोगों को इसका लाभ होगा। यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। तकनीकी के क्षेत्र में आपने अभी सी.जी.पी.टी. यानी कि बहुत सारी जगहों को प्रोत्साहित किया है। जब आप माननीय कलेक्टर थे, उस समय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी। जांजगीर में सी.एस.आर. मद से 100 करोड़ का एक बजट तैयार हुआ था। 65 एकड़ की जमीन भी चिन्हांकित हो गई थी। अब सी.एस.आर. मद का पैसा कहां जाता है, यह आप नहीं कह सकते हैं। आपकी जो अच्छी योजना है और मोदी की गारंटी में है कि प्रत्येक लोक सभा,

प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, परंतु हमारे लोक सभा में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को आप शामिल कर लेते, जिससे आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते हमारी क्षेत्र की जनता आपका हम स्वागत सत्कार करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि जांजगीर का वह पॉलिटेक्निक कॉलेज को बजट में शामिल करके अपग्रेड कर दीजिये। एकाएक इंजीनियरिंग कॉलेज मत खोलिए। बीच में 26 जनवरी को भी आप हमारे क्षेत्र गये थे, फिर भी मैंने आपसे यह आग्रह किया था। इसलिए कृपा कीजिए। एक मुक्तिधाम निर्माण की बात है। अभी जी-ग्राम-जी योजना आने वाली है। जिस प्रकार से जी-ग्राम-जी योजना है। अब उसे चाहे राम जी कहो, चाहे ग्राम जी कहो, चाहे जो भी कहो, पर काम तो हो रहा है। आपने उस योजना में 4,000 करोड़ का बजट रखा है। जिस प्रकार से राजनीति क्षेत्र में आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि भाई, नरवा-गरवा-घुरवा अऊ बारी योजना संचालित हुआ। कम से कम उस योजना माध्यम से गोठान के घेराव के कारण आज छत्तीसगढ़ की शासकीय जमीन सुरक्षित हो गई है। आज कई गांवों में मुक्तिधाम के अभाव के कारण स्वयं के जमीन पर दाह संस्कार करना पड़ता है। मैं इसके लिए आग्रह करूंगा कि आपने जी-ग्राम-जी योजना लाया है, उसमें मुक्तिधाम के लिए अहाता निर्माण को शामिल कर लीजिए। क्योंकि कई जगह सामाजिक अव्यवस्था ऐसी रहती है कि इस जाति का लाश यहां पर जलेगा या इस जाति का लाश यहां पर दफन होगा। इसलिए कम से कम उनकी आवश्यकता के अनुसार भविष्य के लिए आप एक प्रोग्रामिंग बनाइए कि प्रदेश में सभी समाज और सभी वर्गों के लिए मुक्तिधाम होनी चाहिए। आपने अभी मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू की है। आपकी परिकल्पना अच्छी है। इससे शहर का विकास हो। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण ही नहीं, शहर का भी विकास होगा तो बाहर के लोग आयेंगे और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बेहतर है । यह शहर समृद्धि योजना में आप देखेंगे कि जांजगीर-नैला नगर पालिका 27 वर्षों से जिला मुख्यालय है । मध्यप्रदेश में जिस समय देवास और जांजगीर में नल-जल योजना के तहत नाली के लिये भी बात हुई थी । अंडर ग्राऊंड सिवरेज पाईप लाईन के लिये चांपा तो तैयार हो गया है । हमारे यहां मुख्य मार्ग का ड्रेनेज तो बना दीजिए, जहां शहरों में बरसात के दिनों में डुबाव रहता है, उससे मुक्ति हो जायेगी । सभापति महोदय, अभी आपने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का आपने 50 से 75 किया है, जांजगीर-चांपा जिले को भी उसमें शामिल कर लेते, वह भी मध्य क्षेत्र में आता है तो कम से कम उस जिले के उद्धार हो जायेंगे। मेरा यह आग्रह है । सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बात आई है, जब दुर्ग में बैठक हुई थी तो जितने हमारे माननीय विधायकगण वहां पहुंचे थे, हमारे माननीय धरम भईया के यहां से भी प्रस्ताव आया था । सभी

दल के लोगों ने एक स्वर से कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण का बजट बढ़ाया जाये । बजट में पिछले बार 80 था, आज भी 80 है । कृपा करके क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र के विकास के लिये कृपा करे आप राशि बढ़ा देते मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ । सभापति महोदय, एक बात पिछड़ा वर्ग के लिये और है कि आपने बहुत जगह पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये, पिछड़े वर्ग के बच्चे के लिये, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की बात कही थी । भूपेश बघेल जी के द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिये 100 बेड के हॉस्टल की घोषणा वहां की गई थी । भले ही वह आज सरकार में नहीं है, लेकिन मांग तो मांग होती है, वह पूरी की जानी चाहिये, वह आज भी अधूरी है। कृपा करके वहां भी जांजगीर में 100 बेड का पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण कर देते तो निश्चित रूप से हमारे जिले वाले आपके आभारी रहते । सभापति महोदय, मैं लाइवलीहुड के विषय में कहना चाहूँगा कि आपको पता होगा, जब आप कलेक्टर महोदय थे । लाईवलीहुड की शुरूआत जांजगीर से हुई थी । वर्तमान में लाईवलीहुड जिस प्रकार से भ्रष्ट्राचार का अड्डा बन गया है, आप इतना पैसा जारी करते हैं और कहीं भी तकनीकी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है । ट्रेनिंग भी हुआ है तो फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिये जाते हैं । मैं तो चाहूँगा कि लाइवलीहुड कॉलेज की जो घपलेबाजी हुई है, अब स्वयं को बचाने के लिये कुछ लोग भाजपा ज्वाईन कर लिये हैं कि हमारी जांच न हो । चाहे वह कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, अगर व्यक्ति गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिये, ताकि वहां के बेरोजगारों को लाभ मिल सके । सभापति महोदय, धन्य है कि आपने पूरे प्रदेश के लिये आपने बजट प्रावधान किया है । पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान में जो भी सरकार हो, गलत किया है वह बख्शे नहीं जाने चाहिये । मेरा यह अनुरोध इस बजट में लाईवलीहुड कॉलेज के विषय में है । आप जांच कराईये, जो भी दोषी हो, उसके ऊपर कार्यवाही किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री ब्यास कश्यप :- आदरणीय सभापति महोदय, अधिकतम दो मिनट और देंगे । आपने मछली पालन के बारे में कहा है तो आपको पता है कि किसी समय मैं स्वयं मछली पालन के लिये ट्रैक्टर चलाकर नेटिंग करने जाता था और शौक से मछली पकड़कर, उसे लाकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा भेजते थे । आज बारहमासी तालाब है, आपको पता है कि हमारे यहां जितने तालाब हैं, उसमें सर्वाधिक तालाब हमारे जिले में है, वह भी बारहमासी तालाब हैं । रबी फसल का पानी हमें मिलता है और तालाब लबालब भरा रहता है । वहां जो निवासरत् हमारे मछुआरे

बंधु हैं, उन मछुआरों को तालाब नहीं मिल पाता है, सरकार की महती योजना है कि गरीब तबकों के लोगों को जो निषादराज है, केंवटराज है, मांझी हैं, उनको मिलना चाहिये, लेकिन बड़े-बड़े ठेकेदारों को सौंपा जाना कतई उचित नहीं है। उसमें आंदोलन हुआ और आंदोलन हुआ तो 32 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. हो गया है। अभी हमारे गुंडरदेही के विधायक माननीय निषाद जी नहीं हैं। वह बड़ी आंदोलन की तैयारी में हैं, मैं आपको अवगत करा देता हूं, कृपा करके वहां के उन लोगों को बख्श दें, अपनी बातें रखना अपनी जगह है पर एफआईआर करा कर इतने बड़े समाज से क्यों दुश्मनी लेना? इतने बड़े प्रदेश स्तर का आंदोलन जांजगीर में हो। उनका हक बनता है, पूरे प्रदेश में आपकी योजना है कि मछली पालन हेतु पहले मछुआरा लोगों को देंगे तो मछुआरा समाज के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। यह मेरा आग्रह है।

सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी जो योजना है, बचत की योजना है। मैंने पहले ही कहा कि आप पहले बचा रहे हैं, बचा रहे हैं इसीलिए सरकार को बजट में पर्याप्त पैसा मिल रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी अभी 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 10,000 स्कूल बंद करने के बाद जो शिक्षकों की स्थिति है, छत्तीसगढ़ में आज भी हमारे यहां ऐसे 108 विद्यालय हैं जहां हमारे एक भी टीचर नहीं है। इस नीति को कृपया करके ठीक कीजिए। प्राइवेट विद्यालय में हमारे गरीब घर के लड़के को झोला, थाली और गिलास लेकर न जाना पड़े, उनको पुस्तक और कॉपी लेकर पढ़ने जाना पड़े। हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमको प्राइवेट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस बार प्राइवेट स्कूलों में जो दाखिल लेते थे, पूरे प्रदेश में उस दाखिल संख्या को कम कर दिया गया है। आने वाले सत्र में जब जून-जुलाई में एडमिशन होगा तब पता चलेगा। पहले हमारे यहां 1900 छात्रों को एडमिशन मिलता था अभी नई सूची आई है, उसमें मात्र 500 लोगों को एडमिशन मिला है। कुल मिलाकर प्रदेश के हर जिले में उस योजना के तहत प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को कम किया जा रहा है। सभापति महोदय, सरकार का पैसा बचेगा परंतु शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं इस विषय को बार-बार इसलिए बोलता हूं, यह नवोदय विद्यालय जब वे कलेक्टर थे तो माननीय वित्त मंत्री की उपलब्धि है। उन्होंने ही लड़कर जांजगीर में नवोदय विद्यालय लाया था। जांजगीर के नवोदय विद्यालय खोलने का श्रेय ओ.पी चौधरी साहब को जाता है, निर्मल सिन्हा को भी थोड़ा सा जाता है, क्योंकि वह लड़ झगड़ कर लाए थे।

महोदय, अब नवोदय विद्यालय शक्ति जिला में चला गया है तो जांजगीर-चांपा जिले में भी एक नवोदय विद्यालय होनी चाहिए। अब मैं जल्दी-जल्दी बोल देता हूं। सिटी बस का संचालन कृपा करके चालू कर दीजिए। पर्यटन में भी बहुत सारी बातें हैं, हमारे यहां भी बड़े-बड़े पर्यटन केंद्र हैं, वहां पर्यटन के लिए भी मैंने हमारे राजेश अग्रवाल जी पान खिलाने वाले माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद है, अभी मैंने प्रश्न लगाया है, उसका जवाब आया है। आपके पास बजट रुका हुआ है, बजट उपलब्ध करा देते तो कम से कम हमारे देवता गुड़ी जितने छत्तीसगढ़ के हैं, सबका उद्धार हो जाता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। मैं संस्कृति के विषय में एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कहने से नहीं होगा। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लगातार बड़े-बड़े कार्यक्रम होते थे, पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं, आप लोग भी कार्यक्रम करा रहे हैं, मेला महोत्सव करा रहे हैं, परंतु उनकी राशि कम कर दी गई है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार, बड़े-बड़े कलाकार जिनको मात्र 30,000-35,000 में आपने ब्रेक लगा दिया है। सांस्कृतिक कलाकारों को प्रोत्साहन देना जरूरी है तभी तो हमारी यह सांस्कृतिक आयोजन गम्मत, नाचा, ददरिया, सुआ जीवित रहेगी। मैं आग्रह करूंगा कि उन कलाकारों को भी प्रोत्साहन की अधिक राशि आपकी ओर से मिलनी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, पता नहीं क्यों जांजगीर-चांपा जिला के प्रति आपकी नाराजगी है, हमको भी रजिस्ट्री से मुक्त कर दीजिए। किसान मन खेत तो ले ले थे पर रजिस्ट्री नहीं करा पात हे। आपने अन्य जिलों को भी रियायत दी है, जांजगीर-चांपा को भी रियायत दीजिए। मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगा।

श्री ओ.पी.चौधरी :- भैया, दो दिन में निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए।

श्री ब्यास कश्यप :- धन्यवाद, मैं आपकी घोषणा मान लेता हूँ, खुशहाली है, फटाका फोड़वा देता हूँ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- घोषणा मत मानिये, सूचना मान लीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- जी-जी। सभापति महोदय, अभी पूरे बजट में सब बात हो गयी। मैं तो राउत नो हरव नई तो महू हांका ला कही देतेव। महोदय, वास्तव में किसी के प्रति आप जो देंगे, उसका फल मिलता है। आप जितना देंगे आपका उतना श्रेय बढ़ेगा। चाहे मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि रहूँ, सांसद रहे, विधायक रहे, जिला रहे, जनपद रहे, नगरीय क्षेत्र रहे, कुछ

उपलब्धि लेकर जाना चाहते हैं तो बगैर आपके दिए हम लोग कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मैं सदन से पुनः आपसे माँग करता हूँ, मुझे आप अपने विधायक का मेरा एक करोड़ मत दीजिये, पर गरीब-गुरबा किसी को पढ़ने के लिए, किसी को शिक्षा के लिए, किसी को चिकित्सा के लिए जो स्वेच्छानुदान है, उसको तो कम से कम दे दीजिये। (हंसी) आपने मुझे इतना समय दिया और मेरी बातों को माननीय मंत्रीगण और सम्मानित सदस्यों ने सुना, ओती साहबो मन सुनत हे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस लोकतंत्र के पवित्र सदन में छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूं। यशस्वी मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्मानीय ओ.पी. चौधरी जी का यह तीसरा बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बजट है। मैं इस तीसरे बजट के लिए सबसे पहले वित्त मंत्री जी को धन्यवाद व बधाई देती हूं। इस बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक के सभी प्रकार के विकास समाहित हैं। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कई ऐसी नीतियां हैं, इसलिए इस बजट बुक को हमारे माननीय सदस्यगणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि मैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की बात करूं तो वहां आज से 20-25 साल पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसलिए धन्यवाद दिया और मैं उनको श्रद्धा-सुमन भी अर्पित करती हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले सरगुजा, बस्तर और जशपुर की जो स्थिति थी, वहां की जनजातियों और लोगों की जो हालत थी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले गांवों में न सड़कें थीं, न बिजली थी, न पीने का पानी था, न स्कूल थे, न अस्पताल थे और न ही पी.डी.एस. के गोदाम थे। उस समय गांवों में लोगों को खाने के लिए आठ-आठ दिनों तक अन्न का दाना नसीब नहीं होता था। गांव के लोग भूख के मारे 10-10, 20-20 किलोमीटर तक अनाज की व्यवस्था में निकल पड़ते थे। बड़े-बुजुर्ग और जिनके घर में युवा रहते थे, वह दूसरों के यहां दो वक्त या दो जून की रोटी के लिए 4-5 साल तक काम करते थे। मैं उस बात को याद करती हूं तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है कि बरसात के समय में, मई-जून पहुंचने के साथ छोटे-छोटे बच्चे भूख से पीले हो जाते थे। घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था। लोग वन में चार-चिरौंजी और आम खाकर

जीवन-यापन करते थे। मैं उस गरीबी और भुखमरी को बहुत ही नजदीक से देखी हूं और अनुभव की हूं। सभापति महोदय, अमीरी की तो बात ही नहीं थी। यदि माता-पिता मेहनत, मजदूरी के लिये जाते थे तो उस समय चौदह, कनवा ,पैला होता था, जिसमें धान नापते थे। सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे तब जाकर आधा किलो धान या कुटकी मिलता था, जिसको शाम को लेकर आते थे और कूटकर बच्चों को खिलाते थे। सभापति महोदय, उस समय बिजली, पानी, सड़क और न ही कपड़ा हुआ करता था। मैंने उस समय की गर्भवती माताओं को देखा है और महिलाओं को भी देखा है। उस समय पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था। वह एक तरफ कपड़ा पहनती थी और दूसरी तरफ नन्हें बच्चों को गोद में, पीठ में लादकर रोपा लगाने जाती थी। यह कांग्रेस के जमाने की बात है और कांग्रेस के लोग उस समय कहते थे कि कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ। लेकिन उस गरीब माता को पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था। उस गरीब बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं हुआ करती थी और पहनने के लिए ड्रेस नहीं हुआ करते थे। अगर घर में 5 बच्चे हैं और बड़ा भाई 5वीं तक पहुंचा है तो बाकी छोटे बच्चे लगातार 5 साल तक उसी किताब को पढ़ते थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, छत्तीसगढ़ बनाने वाले सम्माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उसके साथ छत्तीसगढ़ में पुन: कांग्रेस की सरकार आयी और कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे दानव का विचरण होता था। गांव में शांति नहीं हुआ करती थी। सूरज डूबने के साथ दोपहर में नक्सली लोग बैठक लिया करते थे। अभी-अभी यह बात आयी थी कि वे अपने बाल बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते थे लेकिन अचानक जब नक्सली घर पहुंच जाते थे और सारा भोजन खाकर चले जाते थे तो घर के लोग भूखे बिलखते रह जाते थे। कांग्रेस की सरकार में यह स्थिति थी । लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने करीब से भूख को, गरीब को महसूस किया था इसलिए सरकार बनते ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किये। सबसे पहले 3 रूपये किलो में राशन मिला और वह राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम से बना। दूसरी बार सरकार बनी तो 2 रूपये किलो चावल मिला और तीसरी बार सरकार बनी तो 1 रूपये किलो चावल मिला और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के जमाने में वनांचल में रहने वाले लोगों का शोषण हुआ। सभापति महोदय, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, पुरूष सब मिलकर सुबह से लेकर शाम तक महंगा वनोपज चार, चिरौंजी, हर्रा,

बहेरा, आंवला, तोड़ने जाते थे और जब तोड़कर सूखाकर उसको बेचने जाते थे तो उसकी कीमत नमक से बराबर हुआ करती थी। यह शोषण था। उस शोषण से मुक्ति दिलायी तो बहुत ही संवेदनशीलपूर्ण मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने दिलायी। पहले बड़ा-बड़ा रोढ़ा नमक, अशुद्ध नमक मिला करता था, उस नमक को पीसते थे, तब सब्जी में डालते थे। उन्होंने उस शोषण से मुक्ति दिलाया और नमक को मुफ्त किया। आज सरकार चना दे रही है, चावल दे रही है। यह बहुत ही सुंदर पी.डी.एस. व्यवस्था है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वही नमक ला खाकर तो बड़े होये हव। अउ वही स्कूल मन में पढ़कर यहां तक आये हव।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये। आप लोग बैठिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- अनिला दीदी, मैं उसी को बता रही हूं। डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में पहुंचविहीन मार्गों को समाप्त किये हैं। 4 महीने का पी.डी.एस. जून या मई में गोदाम में डंप किया जाता था।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमर डहर 2 महीना के नई मिले हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे यहां अभी आंगनबाड़ी में अंडा का पैसा नहीं मिला है। दीदी, अंडा खिलाये हैं, उसका पैसा नहीं मिला है। मैं बता रही हूं, संज्ञान में ला रही हूं।

सभापति महोदय :- कृपया बार-बार टोकाटाकी न करें। आप बैठिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही द्रुत गति से डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में सड़कें, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी बनी और कई मेडिकल कालेज भी बने। आई.आई.एम., ट्रिपल आई.टी., आई.आई.टी. बना। यह हम सबके सामने हुआ है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचते थे कि कहां भेजेंगे। लेकिन आज नवा रायपुर में जिस प्रकार से व्यवस्थित हायर एजुकेशन इंजीनयरिंग के जो बड़े-बड़े इन्स्टीट्यूट हैं, इस सबसे पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं। हम सबको तो बहुत खुश होना चाहिए। मैं अभी गई थी। हमारे जशपुर के भी बच्चे ट्रिपल आई.टी. में पढ़ रहे हैं। पहाड़ी कोरवा, आदिवासी कोरवा बच्चे यहां परीक्षा पास करके पढ़ने आये हैं और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आज मैं यशस्वी मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देती हूं। आज महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वाली हमारी 70 लाख महतारी, बहनें हमारी सरकार को, विष्णु देव साय

जी, ओ.पी. चौधरी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। उनके खाते में प्रतिमाह 1 हजार रुपये जमा होते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान देखने लायक रहती है। हमारे सभी सम्माननीय सदस्यो को लगता है कि 1 हजार रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वह 1 हजार रुपये से हमारी माताएं, बहनें सुंदर सपने बुनती हैं। परिवार को, समाज को सशक्त कर रही हैं और वह 1 हजार रुपया राष्ट्र को भी सशक्त कर रहा है। मैं तो कई जगह महतारी सम्मेलन होता है तो जाती हूं। महिलाओं से बात करने से पता चलता है कि कोई महिला 1 हजार रुपये से 500 रुपये फीस पटाती है और 500 रुपये का अपनी बेटी के लिये एस.आई.पी. जमा करती है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 1 हजार रुपये बिजली बिल में पटाती है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता दीदी, आपकी सरकार में बिजली बिल हाफ के नाम से आप लोग जो वोट मांगे थे न, इसलिए जनता ने आप लोगों को हाफ कर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं दीदी को बोलना चाह रही हूं कि आप लोग उसी को कम करते हैं, उसी को ज्यादा करते हैं और श्रेय लेते हैं।

श्रीमती रायमुनी भगत :- ज्यादा और कम तो आपकी सरकार ने की है। आप लोग गोबर, पैरा खरीद रहे थे। गाय की सेवा कर रहे थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 400 यूनिट को 200 माइनेस कर दिया गया।

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती रायमुनी भगत :- हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग गोठान निरीक्षण की एक बार योजना बनाये थे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- दीदी, गोबर खरीदी से महिलाओं को रोजगार भी तो मिल रहा था।

श्रीमती रायमुनी भगत :- हम लोग सैकड़ों गोठान का निरीक्षण किये थे, गोठान में न पैरा था, न गाय थी। रोजगार के विषय में मैं आपको बताऊंगी। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उस समय हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय शिक्षा कर्मी की भर्ती एक-एक जिला में हजारों शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई, पुलिस कर्मियों की, आंगनबाड़ी बहनों, पंचायत कर्मियों की भर्ती हुई। आप लोगों के जैसे यह जो पी.एस.सी. घोटाला किये न,

उसी का पाप लगा है। पी.एस.सी. घोटाला, आप लोग बोल रहे थे न कि कुछ नहीं किया । छत्तीसगढ़ सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पी.एस.सी. परीक्षा को कितना पारदर्शी कर दिया कि आज कोई भी बच्चा पी.एस.सी. की परीक्षा की तैयारी करने के लिये नहीं डर रहा था, हमारे ही बच्चे आपकी सरकार में 2-2 बार पी.एस.सी. का प्री निकाले लेकिन मेन्स तक नहीं पहुंच पाये क्योंकि आप लोग तो अंदर से गड़बड़ कर रहे थे । कहां से पहुंचते ? आज बेझिझक पी.एस.सी. की तैयारी कर रहे हैं । आप लोग मितानिन की बात कर रहे थे, आपके समय में तो मितानिन थे भी नहीं, यह मितानिन बहनों का सृजन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और मितानिन लोगों के लिये 350 करोड़ रूपये का प्रावधान है । मैं ज्यादा बजट में नहीं जा रही हूं । मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है ? आपकी सरकार में ए.सी. में बैठकर बजट बनाने वाले लोग रहते हैं और हमारी सरकार में गरीबों को, मजदूरों को, स्कूली छात्राओं को सोचकर, आई.ए.एस., आई.पी.एस. बनने वालों को सोचकर, किसानों को सोचकर यह बजट बनाया जाता है इसीलिये इस बजट को अच्छा बजट कहते हैं । हम लोग सोचते थे कि आज वही जमीन है, 20 साल पहले भी वही धरती थी, आज भी वही धरती है, 20 साल पहले बल्कि धरती ज्यादा थी, आज जनसंख्या बढ़ी तो धरती भी कम हुई न, खेत भी कम हुआ लेकिन आपकी सरकार में धान का उपज नहीं हुआ करता था, वह क्यों ? क्योंकि आप लोग बजट बनाना नहीं जानते थे । प्रमाणित बीज आपके कार्यकाल में नहीं बना, आज प्रमाणित बीज हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है । कोदो-कुटकी, रागी का प्रमाणित बीज बना रहे हैं, दलहन-तिलहन का प्रमाणित बीज यहां बन रहा है, सबके लिये प्रोत्साहन राशि है । आज मिलेट्स का उत्पादन ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बीज निगम में पइसा नइ देत हे ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- अनिला दीदी, आप लोग तो रेडी टू ईट का ठेका बीज निगम को दे दिये इसलिये बहुत याद रहता है । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, ता आप मन तो दू साल ले महिला समूह ला देबो कहत रहेओ ता अभी का तुमन तुंहर बात ला भुला गे हओ ?

श्रीमती रायमुनी भगत :- हमन नइ भुलाय हन ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अरे, भुला गेओ ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, बीज निगम को ठेका देकर स्वसहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार किये थे उसका भी तो पाप लगा है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप लोग 2 साल से तो कह रहे हैं लेकिन अभी तक महिला समूह वालों को नहीं दिये ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा धीरज रखिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- कब देंगे ? अभी तो बजट में भी प्रावधान नहीं किये ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- थोड़ा धीरज रखिये । छत्तीसगढ़ की सरकार 26 प्रतिशत लेकिन मैं बहुत गहराई में नहीं जाउंगी । आज होम स्टे की बात चलती है, होम स्टे की बात चल रही है न । आप लोग गरूआ-डरूआ में भुलाये थे लेकिन हमारे वित्तमंत्री जी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिये, विश्व पटल पर रखने के लिये...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- ए.सी. को बंद करके बैठे थे ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, यहां की संस्कृति, यहां की कला । बस्तर-सरगुजा में ऐसे-ऐसे पर्यटन स्थल हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि घुमने आईयेगा, मैं जशपुर घुमा दूंगी । मैं होम स्टे की बात बता रही थी कि आज होम स्टे के माध्यम से हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, बहुत सारा विषय है। मितानिन कल्याण निधि 350 करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिये 183 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिये 120 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीर हुई है। आज यहां कैंसर के ईलाज और अन्य बीमारियों के ईलाज के लिए बहुत सुविधाएं हो गयी हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश में 5 नये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जिसमें जशपुर, जांजगीर, चांपा, दंतेवाड़ा और कवर्धा भी है। हम लोग सब चीजों को गलत-गलत कहेंगे तो गलत ही होगा। आप लोग शुरू से गलत सोचते हैं इसलिए गलत हो जाता है। आप लोग अच्छा-अच्छा सोचिए और अच्छा काम कीजिए। तो अच्छा होगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग अच्छा करने वाले बैठे हैं तो आपकी अच्छाई में गड़बड़ी निलईया होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओ संगीता भाभी बोलिए हे तो मैं बोलत हवं। मोर ए कहना हे कि स्वास्थ्य ला फ्री में खोलव, लेकिन गरीबों से पईसा मत लो। वसूली मत करिये। अगर कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसका बिना पैसे का ईलाज होना चाहिए। यहां तो हम कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो हमको 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता दीदी, आप बैठिये तो मैं आपको बता रही हूँ। आप सुनिये तो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- प्राईवेट हॉस्पिटल में आप लोगों का कार्ड नहीं चलता है। आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बंद करके रखा है। उसमें 5 लाख की राशि, 50 हजार की राशि आप लोगों ने सब बंद कर दिया। यह कौन से प्राईवेट हॉस्पिटल में चल रही है, यह योजना सब जगह बंद पड़ी है। कहीं पर भी आपके शासन की योजना नहीं चालू है। अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो उसमें शासन की योजना चालू होनी चाहिए।

श्रीमती रायमुनी भगत :- मैं आपको बता रही हूँ। यह जशपुर की बात है। आप थोड़ा बैठिए तो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अगर शासन की योजना है तो हर हॉस्पिटल में वह योजना चालू होनी चाहिए, वरना सब बेकार है। आप कितने भी हॉस्पिटल खोल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या को मिला था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं महिला के थ्रू आप तक अपनी आवज को पहुंचाना चाह रही हूँ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- मैं आपके थ्रू आपकी बात पहुंचाना चाह रही हूँ। सम्माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो जशपुर में 13 करोड़ की घपला हुआ था, उसकी जांच चली।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके सरकार में ऑंख फोण्डवा कांड होय रिहिस हे। मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ था और गर्भवती महिला लोग मौत के मुंह में गये हैं। आपकी सरकार में नसबंदी कांड हुआ है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- 13 करोड़ की घपला हुआ था, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। आप बैठिए तो आपकी सरकार में क्या-क्या हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही हूँ। आपकी सरकार में नसबंदी कांड हुआ है।

सभापति महोदय :- आप आप समाप्त करिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट पुस्तिका में नहीं आ पायी, लेकिन यहां पर बहुत से वक्ताओं ने सभी विषयों को बहुत बढ़िया से रखा है। मैं इस बजट सत्र में बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री एवं युवा वित्त मंत्री सम्माननीय ओ.पी. चौधरी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ। यह बहुत ही सुन्दर बजट है। इस बजट से 2047 तक छत्तीसगढ़ का विकास और छत्ततीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट यह तय करती है कि यहां विकास कितनी द्रुत गति से चलेगा। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिन्द।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 5 बजकर 29 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 8 शक संवत 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

दिनांक :- 26 फरवरी, 2026
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं